


वार्षिक रिपोर्ट 2019-20




ऊर्जा सक्षमता ब्यूरो
विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार
www.beeindia.gov.in

कार्यक्षेत्रों में मूल्य सृजन करते हुए



ऊर्जा संरक्षण बस एक क्लिक की दूरी पर।
जब जरूरत न हो स्विच ऑफ कर दें




वार्षिक रिपोर्ट 2019-20



ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

(विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार)


www.beeindia.gov.in






विषयसूची

सूची		पृष्ठ सं.
सामान्य		05
1.1	मिशन	06
1.2	बीईई के उद्देश्य और उसकी भूमिका	08
1.3	महानिदेशक की रिपोर्ट	08
1.4	ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की योजनाएं	10
1.6	राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार और चित्रकला प्रतियोगिता	42
1.8	शासी परिषद संरचना	49
अंतरराष्ट्रीय सहयोग		51
2.1	अंतर्राष्ट्रीय द्विपक्षीय कार्यक्रम	52
2.2	अंतर्राष्ट्रीय बहुपक्षीय कार्यक्रम	63
ब्यूरो का लेखा		73
3.1	पूँजीगत संरचना	74
3.2	वित्तीय परिणामों का सारांश	74
3.3	ब्यूरो की कार्यशैली सुधारने या सुदृढीकरण हेतु किए गए उपाय	74
3.4	लेखा का वार्षिक विवरण	74
प्रशासन		113
4.1	शिकायत निवारण	114
4.2	सूचना का अधिकार अधिनियम	114
4.3	अ.जा. / अ.ज.जा. / ओबीसी का कल्याण	114
4.4	अल्पसंख्यकों का कल्याण	114
4.5	राजभाषा का कार्यान्वयन	115
4.6	सतर्कता	115
4.7	दिव्यांगजनों का कल्याण (पीरुश्ल्यूडी)	115





सामान्य

- 1.1 मिशन
- 1.2 बीईई के उद्देश्य और उसकी भूमिका
- 1.3 महानिदेशक की रिपोर्ट
- 1.4 ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की योजनाएँ
- 1.5 राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार और चित्रकला प्रतियोगिता
- 1.5 शासी परिषद संरचना

1.1 मिशन

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो का मिशन, स्व-विनियमन और बाजार के सिद्धांतों पर बल देने सहित भारतीय अर्थव्यवस्था की ऊर्जा की खपत को कम करने के प्राथमिक उद्देश्य से ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (ईसी अधिनियम) की समग्र रूपरेखा के अंदर नीति और कार्यनीतियों का विकास करना है। इसे सभी हितधारकों की सक्रिय भागीदारी से प्राप्त किया जाएगा, जिसके परिणामस्वरूप अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में ऊर्जा दक्षता में तेजी और स्थिरता आएगी।

1.2 बीईई के उद्देश्य और उसकी भूमिका

बीईई के उद्देश्य

- राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण गतिविधियों को नीतिगत रूपरेखा और निर्देशन प्रदान करना।
- व्यक्तिगत क्षेत्रों के साथ-साथ राष्ट्रीय स्तर पर ऊर्जा दक्षता परिणामों को मापने, उनकी निगरानी और जांच करने के लिए प्रणालियों और प्रक्रियाओं की स्थापना करना।
- ऊर्जा के दक्ष उपयोग और इसके संरक्षण के लिए कार्यक्रमों और परियोजनाओं के कार्यान्वयन में बहु-पक्षीय, द्वि-पक्षीय और निजी क्षेत्र का सहयोग लेना।
- हितधारकों की भागीदारी से ऊर्जा के दक्ष उपयोग और इसके संरक्षण से संबंधित कार्यक्रमों और नीतियों में समन्वय स्थापित करना।
- ऊर्जा संरक्षण अधिनियम में परिकल्पित ऊर्जा संरक्षण कार्यक्रमों की योजना बनाना, उनका प्रबंधन और कार्यान्वयन करना।
- ऊर्जा संरक्षण अधिनियम में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार निजी-सार्वजनिक भागीदारी के माध्यम से ऊर्जा दक्षता प्रदानगी प्रणाली का प्रदर्शन करना।

बीईई की भूमिका

बीईई ऊर्जा संरक्षण अधिनियम के तहत ब्यूरो को सौंपे गए कार्यों को करने के लिए मौजूदा संसाधनों और बुनियादी ढांचे को पहचानने और उपयोग करने के लिए ऊर्जा संरक्षण/दक्षता के क्षेत्र में काम करने वाली नामित एजेंसियों, नामित उपभोक्ताओं और अन्य संगठनों के साथ समन्वय करता है।

अधिनियम विनियामक इनके लिए अधिदेश प्रदान करता है: उपकरण और उपस्करों के मानक और लेबलिंग; वाणिज्यिक भवनों के लिए ऊर्जा संरक्षण भवन कोड; और ऊर्जा की अधिक खपत करने वाले उद्योगों के लिए ऊर्जा खपत मानदंड।

देश में ऊर्जा दक्षता क्षेत्र का विकास करने तथा बीईई को और अधिक सशक्त बनाने हेतु कुछ अतिरिक्त प्रावधानों को शामिल करने के लिए 2010 में ईसी अधिनियम में संशोधन किया गया था। मूल अधिनियम में किए गए मुख्य संशोधन नीचे दिए गए हैं:



- केंद्र सरकार नामित उपभोक्ता को ऊर्जा बचत प्रमाणपत्र जारी कर सकती है, जिसकी ऊर्जा खपत निर्धारित मानदंडों और मानकों से कम है, जिसे प्रक्रिया के अनुसार निर्धारित किया जा सकता है।
- निर्दिष्ट उपभोक्ता जिनकी ऊर्जा खपत निर्धारित मानदंडों और मानकों से अधिक है, वे निर्धारित मानदंडों और मानकों का पालन करने के लिए ऊर्जा बचत प्रमाणपत्र खरीदने के हकदार होंगे।
- केंद्र सरकार, ब्यूरो के परामर्श से, प्रति मीट्रिक टन तेल की खपत ऊर्जा के बराबर मूल्य निर्धारित कर सकती है।
- वाणिज्यिक भवन जिनका कनेक्टेड लोड 100 किलोवाट या 120 केवीए और उससे अधिक है, उन्हें इसी अधिनियम के कार्यक्षेत्र के तहत लाया गया है।

संवर्धन भूमिका

बीईई की प्रमुख संवर्धनात्मक भूमिकाएं हैं:

- ऊर्जा दक्षता और संरक्षण पर जागरूकता पैदा करना और सूचना का प्रसार करना।
- ऊर्जा के दक्ष उपयोग और इसके संरक्षण के लिए कार्मिकों और विशेषज्ञों के प्रशिक्षण की व्यवस्था और आयोजन करना।
- ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में परामर्श सेवाओं को सुदृढ़ करना।
- अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना।
- परीक्षण और प्रमाणन प्रक्रियाओं को तैयार करना और परीक्षण सुविधाओं को बढ़ावा देना।
- प्रायोगिक परियोजनाओं और प्रदर्शन परियोजनाओं को तैयार करना और उनका कार्यान्वयन सुचारु बनाना।
- ऊर्जा दक्ष प्रक्रियाओं, उपकरणों, यंत्रों और प्रणालियों के इस्तेमाल को बढ़ावा देना।
- ऊर्जा दक्ष उपकरण अथवा यंत्रों के इस्तेमाल के लिए प्रारंभिक व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाना।
- ऊर्जा दक्ष परियोजनाओं के अन्वेषणात्मक वित्तपोषण को बढ़ावा देना।
- ऊर्जा के दक्ष उपयोग और इसके संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए संस्थानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना।
- ऊर्जा के दक्ष उपयोग और इसके संरक्षण पर शैक्षिक पाठ्यक्रम तैयार करना।
- ऊर्जा के दक्ष उपयोग और इसके संरक्षण से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय सहयोग कार्यक्रमों को लागू करना।

1.3 महानिदेशक की रिपोर्ट

हम असाधारण दौर से गुजर रहे हैं। भारत सरकार ने सतत विकास और जलवायु परिवर्तन में कमी लाने के लिए सस्ती ऊर्जा उपलब्ध कराने, ऊर्जा दक्षता बढ़ाने और नवीकरण ऊर्जा के माध्यम से स्वच्छ ऊर्जा अपनाने की शुरुआत की है।

भारत का विश्व स्तरीय मान्यता-प्राप्त औद्योगिक ऊर्जा दक्षता कार्यक्रम – प्रदर्शन, उपलब्धि और व्यापार (पीएटी) योजना अब अपने छठे चक्र में है। यह योजना अब 13 क्षेत्रों में ऊर्जा की अधिक खपत करने वाले 1073 उद्योगों/प्रतिष्ठानों को कवर करती है। हाल ही में सम्पन्न हुई पीएटी योजना के दूसरे चक्र के परिणामस्वरूप 13.28 मिलियन टन तेल समकक्ष (एमटीओई) ऊर्जा की बचत हुई है। ऊर्जा बचत 11.20 एमटीओई के लक्ष्य से लगभग 18% अधिक हुई है। इस बचत का मूल्य 31,000 करोड़ रुपए है और इसने 61.34 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड कम करने में योगदान दिया है।

उपकरणों के लिए मानक और लेबलिंग (एसएंडएल) उपभोक्ता को ऊर्जा की अधिक खपत करने वाले उपकरणों और उपस्करों के बारे में एक सूचित विकल्प प्रदान करने में बहुत सफल रहा है। सौर वॉटर हीटर के लिए स्टार लेबलिंग कार्यक्रम स्वैच्छिक आधार पर 14 दिसंबर, 2019 को शुरू किया गया था। इसके अलावा, बीईई ने मार्च, 2020 में स्वैच्छिक आधार पर ऊर्जा दक्ष 'डीप फ्रीजर' और 'लाइट कमर्शियल एयर कंडीशनर (एलसीएसी)' को शामिल करके इसकी कवरेज का विस्तार किया है। इनके जुड़ने से, कार्यक्रम में अब 26 उपकरण शामिल हो गए हैं जिसमें से 10 उपकरण अनिवार्य व्यवस्था के अधीन हैं जबकि शेष 16 उपकरण स्वैच्छिक व्यवस्था के तहत हैं।

वर्तमान में, 14 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों अर्थात् राजस्थान, ओडिशा, उत्तराखंड, पंजाब, कर्नाटक, हरियाणा, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी और अंडमान एवं निकोबार के लिए ईसीबीसी अधिसूचित किए गए हैं। 31 मार्च, 2020 तक, 16 यूएलबी ने अनुमोदन प्रक्रिया बनाने के लिए ईसीबीसी के प्रावधानों को शामिल किया है।

'एमएसएमई क्षेत्र में ऊर्जा दक्षता बढ़ाने पर राष्ट्रीय सम्मेलन' का आयोजन 23-24 सितंबर, 2019 को किया गया था। इस सम्मेलन ने उन प्रमुख बाधाओं की पहचान करने और उनका विश्लेषण करने पर ध्यान केंद्रित किया, जो एमएसएमई के बीच ऊर्जा दक्ष प्रौद्योगिकियों (ईईटी) को अपनाने और उसे बढ़ाने में बाधा उत्पन्न करती हैं। एमएसएमई (सिद्धि) में ऊर्जा दक्षता पर एक सरल डिजिटल व्यावहारिक सूचना नामक ज्ञान पोर्टल विकसित किया गया था। इस पोर्टल पर विभिन्न प्रकार के ज्ञान संसाधन जैसे कि केस स्टडी, सर्वश्रेष्ठ परिचालन प्रथाएं, नवीनतम ऊर्जा दक्ष प्रौद्योगिकियों का विवरण आदि अपलोड किए गए हैं।

ऊर्जा दक्ष सूचना उपकरण (यूडीआईटी) ऊर्जा दक्षता की निगरानी के लिए एक डेटाबेस बनाने और राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) लक्ष्यों को स्थायी रूप से हासिल करने की दिशा में भारत द्वारा किए गए कार्यों को दर्शाने के लिए ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) द्वारा की गई पहली पहल है। यह उपकरण 2 मार्च, 2020 को सचिव (विद्युत), भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया था।

संशोधित राष्ट्रीय विस्तारित ऊर्जा दक्षता मिशन पर 'राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता के लिए सतत और समग्र दृष्टिकोण

रूपरेखा (रोशनी) नामक एक पुस्तिका का सचिव (विद्युत) द्वारा 14 मई, 2019 को विमोचन किया गया था। इस दस्तावेज में 2030 तक की एक विस्तृत कार्य योजना दी गई है। संशोधित मिशन में बीईई की सभी मौजूदा गतिविधियाँ शामिल हैं जिन्होंने ऊर्जा दक्षता बढ़ाने और परिणामस्वरूप कार्बनडाइऑक्साइड को कम करने के साथ-साथ भविष्य में प्रस्तावित गतिविधियों की रूपरेखा बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिनमें से कुछ की पहचान की गई है, और अन्य जिन्हें अभी खोजने की आवश्यकता है।

वर्ष 2019 का राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को विद्युत तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री आर.के. सिंह की उपस्थिति में मनाया गया। एनईसीए 2019 में 366 इकाइयों ने भाग लिया और सामूहिक रूप से 5283 करोड़ रुपये की वार्षिक मौद्रिक बचत तथा 10568 मिलियन यूनिट विद्युत ऊर्जा की बचत की है। राष्ट्रीय चित्रकला प्रतियोगिता में देश भर के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के कक्षा IV से IX तक के 84 लाख से अधिक स्कूली बच्चों ने भाग लिया।

बीईई ने मीडिया (डिजिटल, प्रिंट और टेलीविजन) के माध्यम से उपभोक्ताओं के बीच जागरूकता पैदा करने में व्यापक काम किया है। जागरूकता गतिविधियों में बीईई स्टार रेटेड उपकरणों की खरीद के लिए उपभोक्ताओं को प्रोत्साहित करने हेतु सोशल मीडिया का भी सहारा लिया गया है।

2018-19 में ऊर्जा दक्षता कार्यक्रमों के सफल कार्यान्वयन से निम्नलिखित हासिल किया गया है:

- 136.4 बिलियन यूनिट की विद्युत ऊर्जा बचत, जिसकी कीमत 67,039 करोड़ रुपये है।
 - ◆ तेल के समतुल्य 12.00 मिलियन टन थर्मल ऊर्जा की बचत, जिसका मूल्य 22,083 करोड़ रुपये है।
 - ◆ 23.73 मिलियन टन तेल समतुल्य की कुल ऊर्जा बचत अर्थात् देश की कुल प्राथमिक ऊर्जा आपूर्ति का 2.7%
 - ◆ कुल लागत बचत मूल्य 89,122 करोड़ रुपये के लगभग है जो लगभग 152 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी के बराबर है।

कोविड-19 महामारी के मौजूदा संदर्भ में, जहां कई राष्ट्र आर्थिक मंदी, व्यापारिक मंदी और बढ़ती बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं, ऊर्जा दक्षता अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने के साथ-साथ स्वच्छ ऊर्जा को अपनाने की दिशा में सहायक की भूमिका निभा सकती है।

1.4 ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की योजनाएँ

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की योजनाएँ



1.4.1 राष्ट्रीय विस्तारित ऊर्जा दक्षता मिशन (एनएमईईईई) – वार्षिक रिपोर्ट

राष्ट्रीय विस्तारित ऊर्जा दक्षता मिशन (एनएमईईईई) राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना (एनएपीसीसी) के तहत आने वाले आठ राष्ट्रीय मिशनों में से एक है, जिसे भारत सरकार द्वारा जून 2008 में जारी किया गया था। मिशन का प्राथमिक उद्देश्य विनियमों और नीतियों को विकसित करना है जो ऊर्जा दक्षता के लिए बाजार को सुदृढ करने में सहायक हैं। ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए एनएमईईईई स्व-विनियमन और बाजार के सिद्धांतों पर निम्नलिखित चार पहलों को लागू करने पर बल देता है:

1. निष्पादन, उपलब्धि और व्यापार (पीएटी) योजना – जिसका उद्देश्य अधिक ऊर्जा खपत वाले क्षेत्रों में विशिष्ट ऊर्जा खपत (एसईसी) को कम करना है।
2. ऊर्जा दक्षता के लिए बाजार रूपांतरण (एमटीईईई) – ऊर्जा दक्ष उपकरणों का उपयोग करने के लिए बाजार रूपांतरण का लक्ष्य
3. ऊर्जा दक्षता वित्त-पोषण मंच (ईईईएफपी) – ऊर्जा दक्षता वित्तपोषण पर वित्तीय संस्थानों और अन्य हितधारकों के क्षमता निर्माण के लिए एक मंच प्रदान करना।
4. ऊर्जा दक्ष आर्थिक विकास की रूपरेखा (एफईईईईडी) – ऊर्जा दक्षता (ईई) परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए वित्त का लाभ उठाने हेतु वित्तीय साधन विकसित करना।



राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) के तहत की गई प्रतिबद्धताओं की दिशा में काम करने के लिए, बीईई ने एनडीसी लक्ष्यों के साथ समेकन और सामंजस्य बनाने के लिए जलवायु को फायदा पहुंचाने वाले कार्य शुरू किए। चूंकि तत्कालीन एनएमईईई ने एनडीसी लक्ष्यों के साथ तालमेल करते हुए, जलवायु परिवर्तन को कम करने वाली कई गतिविधियों को शामिल नहीं किया था, इसलिए यह आवश्यक समझा गया कि ऐसी सभी गतिविधियों को समेकित किया जाए। इसलिए, एनएमईईईई को मिशन के एक व्यापक संस्करण 'राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता के लिए सतत् और समग्र दृष्टिकोण की रूपरेखा (रोशनी)' के रूप में संशोधित किया गया था। संशोधित मिशन में बीईईई की सभी मौजूदा गतिविधियों के साथ-साथ नई गतिविधियों को भी शामिल किया गया है जिनकी पहचान की गई है और कुछ को अभी और अधिक केंद्रित तरीके से खोजा जाना है। उदाहरण के लिए, उद्योग की पूरी श्रृंखला अर्थात् बड़े से छोटे, कृषि से नगर पालिकाओं, व्यावसायिक भवनों से घरों तक राष्ट्रीय स्तर पर काम करने के लिए समर्पित पारिस्थितिकी प्रणाली जैसे तकनीक और वित्त द्वारा समर्थित ऊर्जा दक्षता समर्थन के दायरे में आने के लिए मांग पक्ष प्रबंधन कार्यक्रमों के दायरे का विस्तार करना।

एनएमईईईई की प्रमुख पहलों की स्थिति निम्नानुसार है:-

(i) निष्पादन उपलब्धि और व्यापार योजना (पीएटी)

पीएटी एक तंत्र है जिसे ऊर्जा गहन क्षेत्रों में आवश्यक ऊर्जा दक्षता प्राप्त करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। बीईईई द्वारा गहन उद्योग क्षेत्रों के लिए ऊर्जा की खपत के मानदंड और मानक निर्धारित किए जाते हैं। कुछ प्रमुख क्षेत्रों के भीतर बचतित ऊर्जा गहन संस्थाओं को नामित उपभोक्ता (डीसी) के रूप में पहचाना जाता है, जिन्हें ऊर्जा संरक्षण (ईसी) अधिनियम, 2001 के तहत अधिसूचित मानदंडों, नियमों और विनियमों का पालन करना आवश्यक है। विनिर्माण क्षेत्रों जैसे सीमेंट, लोहा और इस्पात आदि, तथा रेलवे और डिस्कॉम जैसे क्षेत्रों में ऊर्जा दक्षता के लिए अन्य संबंधित मीट्रिक में मानदंड मुख्य रूप से विशिष्ट ऊर्जा खपत (एसईसी) पर आधारित है।

इसमें बेसलाइन वर्ष में विशिष्ट ऊर्जा खपत (एसईसी) आदि का आकलन शामिल है और लक्षित वर्ष में अनुमानित एसईसी, संयंत्र की सीमा में जाने वाले निवल ऊर्जा के विभिन्न रूपों और एक विशेष चक्र पर इसे छोड़ने वाले उत्पादों को शामिल करता है। पीएटी 3 वर्ष के प्रत्येक चक्र के साथ एक बहु-चक्रीय कार्यक्रम है जिसमें एसईसी कटीती के लक्ष्य औद्योगिक इकाइयों को निर्दिष्ट किए जाते हैं जिन्हें नामित उपभोक्ता (डीसी) कहा जाता है। यह एक बाजार आधारित तंत्र है, जहां अतिरिक्त ऊर्जा बचत को ऊर्जा बचत प्रमाणपत्र (ईएस प्रमाणपत्र) नामक एक पारंपरिक उपकरण में परिवर्तित किया जाता है, जिसका विद्युत विनिमय में कारोबार किया जा सकता है। मार्च, 2020 में, डीसी, एसडीए, ईएमएईए और अन्य हितधारकों के लिए संबंधित पैट चक्र में अपने फॉर्म जमा करने के लिए एक नया पीएटीनेट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया था।

पीएटी चक्र-I का कार्यान्वयन जो वर्ष 2015 में पूरा हुआ था, के परिणामस्वरूप 8.67 एमटीओई की कुल ऊर्जा बचत हुई है, जिससे लगभग 31 मिलियन टन सीओ₂ उत्सर्जन की कमी हुई है। पीएटी चक्र-I में ऊर्जा बचत प्रमाण-पत्र के कारोबार से लगभग 12.98 लाख ऊर्जा बचत प्रमाण-पत्र का कारोबार हुआ जिसके परिणामस्वरूप 17 साप्ताहिक सत्रों के दौरान लगभग 100 करोड़ रुपए का व्यवसाय हुआ।

पीएटी चक्र-II (2018-19) को मार्च, 2018 में अधिसूचित किया गया था, जिसमें 11 क्षेत्रों से 621 डीसी शामिल

थे, जिसमें आठ मौजूदा क्षेत्र और तीन नए क्षेत्र अर्थात् रेलवे, रिफाइनरी और डिस्कॉम शामिल हैं। पीएटी चक्र-II 31 मार्च 2019 को समाप्त हुआ था जिसके दौरान 13.28 एमटीओई की कुल ऊर्जा बचत हुई है। यह ऊर्जा बचत लगभग 61.34 मिलियन टन सीओ₂ के उत्सर्जन से बचने के बराबर है। विशिष्ट ऊर्जा खपत के मामले में निष्पादन को बेहतर बनाने के लिए ऊर्जा दक्षता से संबंधित परियोजनाओं पर सभी क्षेत्रों में सूचित कुल निवेश लगभग 43,721 करोड़ रुपये है।

पीएटी चक्र-III, 1 अप्रैल 2017 को अधिसूचित हुआ था। अपने तीसरे चक्र में पीएटी योजना ने 1.06 एमटीओई के समग्र ऊर्जा बचत लक्ष्य प्राप्त किए हैं जिसके लिए छह गहन ऊर्जा क्षेत्रों से 116 डीसी को एसईसी में कमी करने का लक्ष्य सौंपा गया है। पीएटी चक्र-III 31 मार्च, 2020 को समाप्त हुआ था और इसके कार्यान्वयन से प्राप्त ऊर्जा बचत की सत्यापन प्रक्रिया चल रही है।

इसके बाद, पीएटी चक्र-IV, 1 अप्रैल 2018 से प्रभावी हुआ है, जिसमें 109 विनिर्दिष्ट उपभोक्ताओं को मौजूदा क्षेत्रों और दो नए क्षेत्रों अर्थात् पेट्रोकेमिकल्स और वाणिज्यिक भवन (होटल) से अधिसूचित किया गया है। पीएटी चक्र-V को 1 अप्रैल, 2019 से अधिसूचित किया गया था। पीएटी चक्र-V के तहत पीएटी के मौजूदा क्षेत्रों अर्थात् एल्यूमीनियम, सीमेंट, क्लोर-अल्कली, वाणिज्यिक भवन (होटल), लोहा और इस्पात, लुगदी और कागज, वस्त्र और थर्मल पावर प्लांट से 110 डीसी को अधिसूचित किया गया है। इन डीसी की कुल ऊर्जा खपत 15.244 एमटीओई बैठती है और पीएटी चक्र-V के कार्यान्वयन से 0.513 एमटीओई की कुल ऊर्जा बचत प्राप्त होने की उम्मीद है।

हाल ही में, पीएटी चक्र-VI, 1 अप्रैल 2020 से प्रभावी हुआ है। पीएटी चक्र-VI के तहत छह क्षेत्रों, अर्थात् सीमेंट, वाणिज्यिक भवनों (होटल), लौह एवं इस्पात, पेट्रोलियम रिफाइनरी, पल्प एवं पेपर और वस्त्र से 135 डीसी को अधिसूचित किया गया है। सीमेंट ग्राइंडिंग यूनिटों को अलग से सीमेंट के उप-क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया गया है जिनकी सीमा 10,000 टीओई है। इन डीसी की कुल ऊर्जा खपत लगभग 23.298 एमटीओई है और इनसे कुल 1.277 एमटीओई की ऊर्जा बचत प्राप्त होने की उम्मीद है।

यह परिकल्पना की गई है कि पीएटी योजना के कार्यान्वयन से 2023 तक अर्थात् पीएटी चक्र-VI के पूरा होने तक लगभग 25 एमटीओई की ऊर्जा बचत होगी।

इसके अलावा, जून 2020 में भारतीय रेलवे की सभी आठ उत्पादन इकाइयों, और कार्यशालाओं में कुल 750 एमटीओई की वार्षिक ऊर्जा खपत होती है; और वाणिज्यिक भवनों या प्रतिष्ठानों के तहत 500 एमटीओई की वार्षिक ऊर्जा खपत वाले हवाई अड्डों को भावी पीएटी चक्र में शामिल करने के लिए अधिसूचित किया गया है।

ईसी अधिनियम की अनुसूची के तहत शेष क्षेत्रों अर्थात् चीनी, रसायन और परिवहन, चीनी और रसायन का व्यवहार्यता अध्ययन पूरा हो गया है। ईसी अधिनियम की अनुसूची के तहत शामिल ऊर्जा गहन क्षेत्रों की सूची के अलावा अन्य क्षेत्रों को शामिल करने के लिए ग्लास, सिरामिक, और गैर-लौह धातु (जस्ता और तांबा) जैसे क्षेत्रों का व्यवहार्यता अध्ययन किया जा रहा है।

इसके अलावा, उद्योगों में ऊर्जा प्रबंधन प्रणालियों (ईएमएस) के कार्यान्वयन के समर्थन के लिए, ऊर्जा दक्षता

ब्यूरो ने एक प्रायोगिक कार्यक्रम शुरू किया है जहां धर्मल पावर प्लांट्स, सीमेंट, लौह और इस्पात, सर्वरक, पल्प एवं कागज और क्लोर-अल्कली जैसे ऊर्जा गहन क्षेत्रों से संबंधित 10 मॉडल उद्योगों में आईएसओ 50001:2018 लागू किया गया था।

धर्मल पावर संयंत्रों की एक प्रायोगिक दक्षता कमी मैपिंग भी पूरी की गई थी जिसमें 10 सबसे अदक्ष धर्मल पावर संयंत्रों को चुना गया था और कमियों की पहचान की गई थी तथा संबंधित संयंत्रों की दक्षता में सुधार के लिए सिफारिश की गई थी।

(II) ऊर्जा दक्षता के लिए बाजार रूपांतरण (एमटीईई)

मिशन के तहत इस पहल का उद्देश्य उत्पादों को अधिक किफायती बनाने के लिए अभिनव उपायों के माध्यम से विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में ऊर्जा दक्ष उपकरणों को अपनाने में तेजी लाना है। एमटीईई के तहत बाजार में ऊर्जा दक्ष उत्पादों के प्रचार के लिए दो कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। बचत लैप योजना (बीएलवाई) और अति-दक्ष उपकरण कार्यक्रम (एसईईपी)।

- कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप (सीएफएल) के साथ अदक्ष बल्बों को बदलने के लिए बचत लैप योजना (बीएलवाई) विकसित की गई थी। बीएलवाई कार्यक्रम में ईईएसएल और आरईसी जैसी भागीदार एजेंसियों को तकनीकी सहायता प्रदान करके उजाला के तहत एलईडी लगाने के लिए सहायता देना शामिल था।
- अति दक्ष उपकरण कार्यक्रम (एसईईपी) एक ऐसा कार्यक्रम है जिसे अति दक्ष उपकरण के द्वारा बाजार रूपांतरण के लिए डिजाइन किया गया है, जो महत्वपूर्ण बिंदुओं/कार्यकलापों के साथ वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करता है।

(III) ऊर्जा दक्षता वित्तपोषण मंच (ईईएफपी)

ईईएफपी का उद्देश्य भारत में ऊर्जा दक्षता वित्तपोषण को एक मंच प्रदान करना है जहां वित्तीय संस्थान (एफआई) ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं, प्रौद्योगिकियों और उपकरणों के वित्तपोषण और कार्यान्वयन के लिए उद्योगों के साथ बातचीत कर सकते हैं। इस कार्यक्रम के तहत बीईई द्वारा ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं के लिए वित्तपोषण को बढ़ावा देने के लिए मैसर्स पीटीसी इंडिया लिमिटेड, मैसर्स सिडबी, एचएसबीसी बैंक, टाटा कैपिटल, इंडियन बैंक्स एसोसिएशन (आईबीए) और आईएफसीआई लिमिटेड के साथ समझौता-ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए थे।

बीईई ने जून, 2015 में ऊर्जा दक्षता वित्तपोषण पर वित्तीय संस्थानों के लिए प्रशिक्षण कार्यशालाएं शुरू कीं। 72 बैंकों/एनबीएफसी के कुल 882 प्रतिभागियों ने देश के विभिन्न हिस्सों से ईई वित्तपोषण पर प्रशिक्षण प्राप्त किया। मार्च, 2019 में सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और भारत में लगभग 80% निजी क्षेत्र के बैंकों को कवर करके कार्यक्रम का सफलतापूर्वक समापन किया गया।

आईआरईडीए और रेटिंग एजेंसियों के समन्वय से ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं के लिए एक ग्रेडिंग पद्धति तैयार की गई है। बीईई विभिन्न हितधारकों से इनपुट मांगकर विभिन्न क्षेत्रों के लिए वार्षिक कर प्रोत्साहन प्रस्ताव भी तैयार करता है।

(iv) ऊर्जा दक्ष आर्थिक विकास की रूपरेखा (एफईईईडी)

ऊर्जा दक्षता के लिए बाजार का निर्माण करने हेतु ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं, उपकरणों और प्रौद्योगिकियों के लिए वित्तपोषण की शर्तों को सरल बनाना आवश्यक है। ऊर्जा दक्षता आर्थिक विकास (एफईईईडी) के लिए फ्रेमवर्क की पहल के तहत, बीईई ने दो वित्तीय उपकरण बनाए हैं – ऊर्जा दक्षता के लिए आंशिक जोखिम गारंटी निधि (पीआरजीएफईई) और ऊर्जा दक्षता के लिए उद्यम पूंजी निधि (वीसीएफईई) – जो वित्तीय संस्थानों और वीसीएफ को उद्योगों, बड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों के साथ सक्रिय करने, और देश भर में ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं के लिए निधियां प्रदान करने में मदद करते हैं। भारत में नए भुगतान बैंकों और सूक्ष्म वित्त संस्थानों को देखते हुए, बीईई एफईईईडी के तहत नए वित्तपोषण साधनों की रूपरेखा बना रहा है।

1.4.2 ऊर्जा संरक्षण भवन कोड (ईसीबीसी)

वाणिज्यिक भवनों के लिए ऊर्जा संरक्षण भवन कोड (ईसीबीसी)

ऊर्जा संरक्षण भवन कोड या ईसीबीसी को 2017 में अद्यतन किया गया है और यह ईसीबीसी 2017 के रूप में जाना जाता है। कोड का उद्देश्य ऊर्जा-दक्ष डिजाइन और भवनों के निर्माण के लिए न्यूनतम आवश्यकताएं प्रदान करना है और यह 100 किलोवाट और अधिक या 120 केवीए और अधिक कनेक्टेड लोड के साथ बड़े वाणिज्यिक भवनों पर लागू होता है। ईसीबीसी आवरण निर्माण, यांत्रिक प्रणालियों और उपकरणों पर ध्यान केंद्रित करता है जिसमें हीटिंग, वायु संचार और एयर कंडीशनिंग (एचवीएसी) प्रणाली, आंतरिक और बाहरी प्रकाश व्यवस्था, विद्युत प्रणाली और नवीकरणीय ऊर्जा शामिल हैं, और यह भारत में मौजूद पांच जलवायु क्षेत्र (गर्म शुष्क, गर्म नम, शीतोष्ण, मिश्रित और शीत) को भी ध्यान में रखता है।

कोड के उन्नत 2017 संस्करण में निष्क्रिय डिजाइन रणनीतियों, प्रौद्योगिकी तटस्थता, दिन का प्रकाश और नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरण तथा इमारतों के वृद्धिशील ऊर्जा प्रदर्शन स्तरों जैसी कई विशेषताओं को शामिल किया गया है।

यूएसएआईडी द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार, यदि ईसीबीसी को पूरे भारत में लागू किया जाता है, तो इसमें 300 बीयू ऊर्जा की बचत होने और पीक डिमांड में 15 गीगावाट से अधिक की कमी होने की संभावना है, जिसके परिणामस्वरूप लगभग 35,000 करोड़ रुपये की बचत होगी। इसके बाद, 250 एमटीसीओ2ई से अधिक जीएचजी उत्सर्जन में कमी होने का अनुमान है।

जबकि बीईई ने ईसीबीसी और उसके बाद के संस्करण को विकसित किया है, कोड का कार्यान्वयन राज्य/केंद्रशासित प्रदेशों पर निर्भर करता है। स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार कोड और नियमों को उपयुक्त रूप से संशोधित किया गया है और इसके बाद वर्तमान भवन अनुमोदन प्रक्रिया के साथ इसके एकीकरण की प्रक्रिया शुरू की गई है, जो बाद में उक्त अधिकार क्षेत्र में कोड के प्रवर्तन और कार्यान्वयन का मार्ग प्रशस्त करता है।



- **ईसीबीसी प्रवर्तन के लिए विनियामक ढांचा:**
 - 2018-19 में स्थापित मौजूदा 17 ईसीबीसी के अलावा, 7 नए ईसीबीसी सेल स्थापित किए गए हैं। इसका उद्देश्य राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में ईसीबीसी के प्रभावी कार्यान्वयन और प्रवर्तन के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करना है। ये ईसीबीसी सेल 28 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों में ईसीबीसी से संबंधित गतिविधियों की देखरेख करते हैं।
 - ईसीबीसी 2017 को पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, त्रिपुरा, अंडमान एवं निकोबार द्वीप द्वारा अधिसूचित किया गया था।
 - ईसीबीसी नियम कर्नाटक, त्रिपुरा, अंडमान और निकोबार द्वीप द्वारा अधिसूचित किया गया था।
 - राज्य में ईसीबीसी कार्यान्वयन को लागू करने के लिए आंध्र प्रदेश में सरकारी आदेश जारी किया गया।
 - तेलंगाना और केरल ने अपने राज्य नगरपालिका अधिनियम में ईसीबीसी को शामिल किया है।
- **ईसीबीसी कार्यान्वयन और अनुपालन:**
 - तेलंगाना, केरल, पंजाब, आंध्र प्रदेश और उत्तराखंड में ईसीबीसी का कार्यान्वयन शुरू हो गया है।
 - 214 इमारतों को यूएलबी द्वारा डिजाइन चरण में अनुमोदित किया गया है और ये इमारतें 2018-20 में निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं। 5 राज्यों अर्थात् तेलंगाना (284), पंजाब (89), आंध्र प्रदेश (20), केरल (10) और उत्तराखंड (9) में कुल 360 भवनों को निर्माण के लिए मंजूरी दी गई है।
- **भवन परियोजनाओं में ईसीबीसी अनुपालन का प्रायोगिक प्रदर्शन:**
 - तकनीकी सहायता ईसीबीसी प्रदर्शन परियोजनाओं के लिए प्रदान की गई है। देश भर में ईसीबीसी अनुपालन दिखाने के लिए विभिन्न जलवायु क्षेत्रों में विभिन्न श्रेणियों के भवनों के लिए लगभग 106 निर्माण परियोजनाओं के लिए सहायता दी गई थी।
 - ईसीबीसी अनुपालन को आसान बनाने, प्रदर्शन ऊर्जा दक्षता उपायों को डिजाइन, इसके प्रभाव और वित्तीय प्रभाव में शामिल करने के लिए लोक निर्माण विभाग के परामर्श से 27 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों हेतु टेम्पलेट भवन डिजाइन तैयार किए गए हैं।
- **ईसीबीसी पर प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण:**
 - 51 ईसीबीसी जागरूकता कार्यक्रम और 107 ईसीबीसी तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रम राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में आयोजित किए गए हैं, जिसमें सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों की भागीदारी थी।
 - काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर (सीओए) ने 'ईसीबीसी के प्रावधान' पर 2 कार्यशालाएं आयोजित कीं।
 - ऊर्जा संरक्षण बिल्डिंग कोड के विवरण पर सीपीडब्ल्यूडी अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यशाला आयोजित की गई।

- इसीबीसी विशेषताओं को शामिल करने पर विचार करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के लिए क्षेत्रीय योजना 2041 की तैयारी हेतु प्रमुख सलाहकार समिति का तकनीकी सत्र आयोजित किया गया था।

मौजूदा वाणिज्यिक भवनों में ऊर्जा दक्षता

ऊर्जा दक्ष भवनों के लिए बाजार पूल को बढ़ावा देने के लिए, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने भवनों के लिए एक स्वैच्छिक स्टार रेटिंग कार्यक्रम विकसित किया, जो किलोवॉट/वर्ग मीटर/वर्ष में व्यक्त अपने क्षेत्र की इमारत में ऊर्जा के उपयोग पर आधारित है। यह कार्यक्रम 1-5 पैमाने पर इमारतों की रेटिंग करता है, जिसमें 5 स्टार लेबल वाली इमारतें सबसे अधिक दक्ष हैं। स्टार लेबल के लिए दैनिक कार्यालय भवन, बीपीओ, अस्पताल और शॉपिंग मॉल विकसित किए गए हैं।

मार्च, 2020 तक कुल 262 इमारतों को व्यावसायिक भवनों की विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत स्टार रेटिंग दी गई है।

आवासीय भवनों में ऊर्जा दक्षता

आवासीय भवन के स्टॉक में तीव्र वृद्धि, स्थल कंडीशनिंग के लिए बिजली के उपयोग में वृद्धि के परिणामस्वरूप, आवासीय भवनों में बिजली के उपयोग में तेजी से वृद्धि हुई है। नीति आयोग द्वारा लगाए गए अनुमान से संकेत मिलता है कि 2047 तक आवासीय क्षेत्र के लिए बिजली की खपत 6-13 गुना बढ़ने की उम्मीद है। शहरी मध्यम-आय वाले अपार्टमेंट के नमूने से लिए गए आंकड़ों से पता चलता है कि थर्मल सुविधा प्रदान करने में बिजली वार्षिक बिजली की खपत को 30-60% तक बढ़ाती है। एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू थर्मल कंफर्ट है, जो सभी प्रकार के आवासों में अत्यधिक महत्व रखता है, लेकिन यह किफायती आवास के मामले में यह और अधिक महत्वपूर्ण होता है, ताकि इसमें रहने वालों का स्वास्थ्य और कल्याण सुनिश्चित हो सके। बीईई ने आवासीय भवन ऊर्जा संरक्षण कोड के विकास के लिए एक चरणबद्ध दृष्टिकोण की परिकल्पना की है। घरों को ऊर्जा दक्ष बनाना निश्चित रूप से आवासीय भवनों में लंबे समय तक बिजली की खपत के अपव्यय से बचने का एक तरीका है।

इको-निवास संहिता 2018 (भाग-1)

इको निवास संहिता (ईएनएस), भाग-1 भवन आवरण (आवासीय क्षेत्र के लिए ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता) 2018 में लोक सभा के माननीय अध्यक्ष और माननीय विद्युत, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री द्वारा राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के अवसर पर विकसित और लॉन्च किया गया था। यह प्राकृतिक रूप से काफी हवादार है और इसे दिन का प्रकाश सुनिश्चित करते हुए गर्म वातावरण को बनाए रखने (ठंडी जलवायु के लिए) और गर्मी को अंदर आने से रोकने (गर्म जलवायु के लिए) के लिए न्यूनतम भवन आवरण प्रदर्शन मानकों को स्थापित करने के लिए विकसित किया गया है। यह संहिता भूखंड क्षेत्र ≥ 500 एम² पर निर्मित सभी आवासीय उपयोग निर्माण परियोजनाओं पर लागू होती है। संहिता को शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) द्वारा भवन निर्माण में अपनाने के लिए विशेष विचार के साथ विकसित किया गया है।

इको निवाससंहिता (ईएनएस), भाग-2 आवासीय भवनों के इलेक्ट्रो-मैकेनिकल सिस्टम के लिए ऊर्जा दक्षता मानक प्रदान करेगा, जो वर्तमान में तकनीकी समिति के सदस्यों के पास विकास और विचार-विमर्श के अंतिम चरण में है। इसे वर्ष के अंत तक लॉन्च किए जाने की संभावना है।



इको-निवास संहिता अनुपालन (ईएनएस) उपकरण: बीईई द्वारा एक ऑनलाइन अनुपालन उपकरण विकसित किया गया है ताकि यूएलबी, मकान मालिकों और विकासकर्ताओं द्वारा इसका आसानी से अनुपालन किया जा सके और अपनाया जा सके।

ईएनएस प्रकोष्ठ: आवासीय संहिता के कार्यान्वयन के लिए दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, कर्नाटक और महाराष्ट्र में इको-निवास संहिता (ईएनएस) प्रकोष्ठ स्थापित किए गए थे।

ईएनएस प्रशिक्षण: प्रतिभागियों को संहिता और इसके लाभों से अवगत कराने के लिए पूरे भारत में कई हितधारकों की कार्यशालाएं और प्रशिक्षण आयोजित किए गए हैं:

- 9 से 11 सितंबर, 2019 के दौरान दिल्ली में भवन ऊर्जा दक्षता पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन (आंगन) आयोजित किया गया था। इसमें 15 देशों से 100 अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों सहित 800 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया।
- ईको निवास संहिता भाग 1 (भवन निर्माण) के बारे में जागरूकता और कार्यान्वयन तथा ईको निवास संहिता 2 (इलेक्ट्रो-मैकेनिकल सिस्टम) पर परामर्श के लिए विभिन्न राज्यों में 'आवासीय भवनों में ऊर्जा दक्षता' पर आठ दो-दिवसीय कार्यशालाएं आयोजित की गईं।
- भवन ऊर्जा दक्षता पर वास्तुकला और इंजीनियरिंग के छात्रों और पेशेवरों को प्रशिक्षित करने के लिए भारत-स्विस भवन ऊर्जा दक्षता कार्यक्रम (बीईईपी) शिविर अहनदाबाद में 15 से 22 दिसंबर 2019 के बीच आयोजित किया गया।
- राजस्थान में सरकारी अधिकारियों के लिए आवासीय भवनों में ऊर्जा दक्षता पर 1-दिवसीय कार्यशाला और 2 मीडिया व्यवसाय कार्यक्रम आयोजित किए गए।
- इको-निवास संहिता भाग-2 (इलेक्ट्रो-मैकेनिकल सिस्टम) के विकास के लिए तकनीकी समिति की दो बैठकें नवंबर, 2019 और जनवरी, 2020 में आयोजित की गईं।

आवासीय भवनों के लिए ऊर्जा दक्षता लेबल

2019 में गुरुग्राम, हरियाणा में आयोजित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विद्युत, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रियों के सम्मेलन के दौरान, माननीय विद्युत और नवीकरणीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) द्वारा ऊर्जा दक्षता लेबल लॉन्च किया गया था।

कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य घरेलू ऊर्जा प्रदर्शन पर एक पारदर्शी उपकरण बनाना है जो भविष्य में घर की कीमतों पर निर्णय लेते समय इस प्रभावी मॉडल को ध्यान में रखेगा। लेबलिंग कार्यक्रम का उद्देश्य भविष्य में घर की कीमतों पर निर्णय लेते समय घर के ऊर्जा प्रदर्शन को भी तुलनात्मक रूप से ध्यान में रखना अनिवार्य बनाना है। इसका उद्देश्य आवास क्षेत्र में ऊर्जा दक्षता को एक समाधान के रूप में उपभोक्ता-आधारित बाजार बनाने के लिए ऊर्जा दक्षता मानकों के आधार पर एक घर की तुलना दूसरे घर से करने के लिए एक बेंचमार्क प्रदान करना है।

यह कार्यक्रम सभी को 24*7 बिजली उपलब्ध कराने के साथ ऊर्जा अधिशेष भारत के दृष्टिकोण को साकार करने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा। प्रस्तावित लेबलिंग कार्यक्रम भारत में सभी प्रकार के आवासीय

भवनों को कवर करेगा। किसी भी रियल एस्टेट लेनदेन/पट्टे में जानकारी को अनिवार्य बनाकर प्रस्तावित लेबलिंग प्रणाली के माध्यम से सभी परिकल्पित उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है।

भवन क्षेत्र के लिए पीएटी

इमारतों को भारत में सबसे अधिक ऊर्जा गहन क्षेत्र के रूप में पहचाना जाता है। भवन क्षेत्र से ऊर्जा की भारी बचत होती है। ईसीबीसी केवल नई इमारतों तक सीमित है और इसे केवल डिजाइन और निर्माण चरण में लागू किया जा सकता है। हालांकि, मौजूदा इमारतें काफी अधिक ऊर्जा बचा सकती हैं।

ऊर्जा के संरक्षण और मौजूदा इमारतों में ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए, वाणिज्यिक क्षेत्र को पीएटी चक्र-IV के तहत कवर किया गया था। शुरुआत में, 37 होटलों को व्यावसायिक भवन व्यवस्था के तहत डीसी के रूप में अधिसूचित किया गया था। पीएटी चक्र-IV में, 1000 से अधिक टीओई (तेल समतुल्य टन) से अधिक ऊर्जा खपत वाले होटल एक निर्दिष्ट उपभोक्ता के रूप में अधिसूचित किए गए थे, जबकि पीएटी चक्र-V और आगामी प्रारंभिक खपत के चक्रों को डीसी के रूप में होटल/वाणिज्यिक भवन की योग्यता प्राप्त करने के लिए 500 टीओई तक संशोधित किया गया है। पीएटी-V चक्र में, 2022 तक 1360 टीओई की बचत क्षमता के साथ डीसी के रूप में 31 और होटल जोड़े गए थे। पीएटी-VI चक्र में, 64 और होटलों को निर्दिष्ट उपभोक्ता के रूप में अधिसूचित किया गया था, जिसमें 2023 तक 4154 टीओई की बचत होगी। अब डीसी के रूप में कुल 132 होटल पीएटी योजना के अंतर्गत आते हैं।

परिवहन क्षेत्र में ऊर्जा दक्षता

बीईई भारत में वाहनों के सभी क्षेत्रों में ईंधन किफायत मानदंडों के विकास पर काम कर रहा है। इसका उद्देश्य दिन-प्रतिदिन बढ़ते बेड़े के आकार के कारण ईंधन की बढ़ती खपत को कम करना है। वाहनों के कारण ईंधन की अनुमानित खपत से न केवल कच्चे तेल का आयात बढ़ेगा, बल्कि भारत में प्रदूषण का स्तर भी बढ़ेगा। साथ ही, बीईई को इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार से निर्देश मिले हैं।

हल्के और मध्यम वाणिज्यिक वाहनों के लिए ईंधन किफायती मानदंड जिनका कुल वाहन वजन 3.5 टन से लेकर 12 टन है, को 16 जुलाई, 2019 के भारत के राजपत्र सं. का.आ. 2540(अ.) द्वारा प्रकाशित किया गया था। मानदंड बीएस-IV के अनुपालन वाले वाहनों पर लागू होते हैं, जबकि बीएस-VI अनुपालन वाले वाहनों के लिए लक्षित ईंधन की खपत प्राप्त करने के लिए समीकरणों में उपयुक्त सुधार कारक लागू किया जाएगा जैसा कि उपरोक्त अधिसूचना में उल्लेख किया गया है। सुधार कारक की उत्पत्ति की प्रक्रिया चल रही है। बीईई ने 'बीएस-VI अनुपालन वाले वाहनों के लिए सुधार कारक की उत्पत्ति हेतु एक समिति का गठन किया है। प्रक्रिया शुरू करने के लिए समिति की पहली बैठक फरवरी, 2020 में बुलाई गई थी।

वाहनों के लिए ईंधन किफायत मानक के अलावा, बीईई ने टायरों के लिए ईंधन किफायत मानदंडों के विकास हेतु भी कार्रवाई शुरू की है, क्योंकि वाहन की ईंधन खपत में टायर की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अध्ययन से पता चलता है कि टायर वाहन के 20% तक ईंधन की खपत करते हैं। टायर बाजार मुख्य रूप से वाहन मालिकों द्वारा टायरों के बदलने से संचालित होती है। कुल बिक्री का लगभग तीन-चौथाई प्रतिस्थापन बाजार पर निर्भर है जबकि शेष ओईएम पर आधारित है। वाहनों के मालिक ज्यादातर अदक्ष टायर के कारण ईंधन के अपव्यय से अनजान होते हैं। मानदंडों के माध्यम से बीईई का उद्देश्य कम रोलिंग प्रतिरोध गुणांक (आरआरसी) वाले दक्ष रोलिंग टायर को प्रोत्साहित करना है लेकिन साथ ही वेट ग्रीप इंडेक्स को सुरक्षित सीमा में रखना है।

एक अन्य महत्वपूर्ण पहल वाहनों की ईंधन दक्षता का पता लगाने के लिए कंप्यूटर आधारित सिमुलेशन उपकरण का विकास करना है। बीईई ने इसके लिए एक समिति का गठन किया है जिसका विकास कार्य चल रहा है। समिति ने बुनियादी आवश्यकताओं को अंतिम रूप दिया है और सिमुलेशन उपकरण विकसित करने के लिए एआरएआई को कार्य सौंपा है। इस उपकरण को अंतिम रूप से भारत ऊर्जा दक्षता उपकरण (बीईईटी) नाम दिया गया है और इसे भारत की विशिष्ट परिस्थितियों के अनुसार उपयुक्त रूप से संशोधित करके वीईसीटीओ उपकरण से विकसित किया जाएगा।

1.4.3 मानक और लेबलिंग योजना

11वीं पंचवर्षीय योजना में मानक और लेबलिंग (एसएंडएल) कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी, जिसका उद्देश्य उपभोक्ताओं को ऊर्जा की बचत और विभिन्न ऊर्जा खपत उपकरणों की लागत बचत क्षमता के बारे में सूचित विकल्प प्रदान करना था। एसएंडएल योजना 28 उपकरणों के लिए स्टार लेबलिंग कार्यक्रम को कवर करती है, जिसमें से 10 उपकरण अनिवार्य व्यवस्था के अधीन हैं और शेष 18 उपकरण स्वैच्छिक व्यवस्था के तहत हैं।

एसएंडएल योजना के महत्वपूर्ण लाभ हैं:

- (i) एक संगठित उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से ऊर्जा दक्ष उपकरणों को खरीदते समय उपभोक्ताओं को इनके फायदे बताना।
- (ii) अदक्ष उपकरणों की बजाय ऊर्जा दक्ष उपकरणों को बढ़ावा देकर बाजार रूपांतरण करना।

निरंतर प्रयासों से मानक और लेबलिंग कार्यक्रम ने वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान निम्नलिखित उपलब्धियां हासिल की हैं:

- (i) डीप फ्रीजर्स, सोलर वॉटर हीटर और हल्के कमर्शियल एयर कंडीशनर के स्वैच्छिक ऊर्जा प्रदर्शन मानकों के बारे में बताना।
- (ii) छत के पंखे, एलईडी बल्ब, एसी और पंप सेट के लिए प्रदर्शन मानकों में संशोधन करना।
- (iii) स्टार रेटेड उपकरणों की जांच के लिए 22 एनएबीएल मान्यता-प्राप्त प्रयोगशालाओं का पैनल बनाया गया।

बीईई ने मीडिया (डिजिटल, प्रिंट और टेलीविजन) के माध्यम से उपभोक्ताओं के बीच मानकों और लेबलिंग कार्यक्रम के बारे में जागरूकता पैदा करने में व्यापक काम किया है। जागरूकता गतिविधियों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- (i) बीईई स्टार रेटेड उपकरण खरीदने के लिए उपभोक्ताओं को प्रोत्साहित करने हेतु टीवी विज्ञापन और रेडियो जिंगल्स तैयार करना।
- (ii) बीईई के सोशल मीडिया हैंडल के माध्यम से ऊर्जा दक्ष उपकरणों के उचित उपयोग के बारे में जागरूकता संबंधी जानकारी देना।
- (iii) खुदरा विक्रेताओं को स्टार लेबल की जानकारी प्रदान करने के लिए खुदरा विक्रेता प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया ताकि वे विशेष रूप से खरीदारी के समय ऊर्जा दक्ष उपकरणों को प्राथमिकता देने के लिए ग्राहकों को समझा और मना सकें। तीसरे चरण में पूरे भारत में 48 शहरों में आयोजित कार्यक्रम में खुदरा विक्रेताओं को प्रशिक्षित किया गया था।

1.4.4 नगरपालिका मांग पक्ष प्रबंधन (एमयूडीएसएम) योजना

नगरपालिकाओं की ऊर्जा बचत क्षमता का दोहन करने के लिए, बीईई ने शहरी स्थानीय निकायों (एमयूडीएसएम) और नगर पालिकाओं में पेयजल और सीवेज जल पम्पिंग प्रणाली, स्ट्रीट लाइटिंग और सार्वजनिक भवन में ऊर्जा दक्षता लाने के लिए राष्ट्रव्यापी नगरपालिका मांग प्रबंधन (एमयूडीएसएम) कार्यक्रम शुरू किया।

एमयूडीएसएम कार्यक्रम के तहत, शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी), सार्वजनिक जल निकायों, शहरी विकास निदेशालयों (यूडीडी), नगर निगमों (एमसी) और अमृत परियोजना के तहत शहरों में अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों के अधिकारियों के लिए क्षमता निर्माण कार्यशालाएं पेयजल और सीवेज वाटर पंपिंग सिस्टम में ईई पंप सेट के उपयोग को बढ़ावा देना सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आयोजित की जाती हैं। पूरे देश में 10 राज्यों में एमयूडीएसएम कार्यक्रम के तहत कई कार्यशालाओं का आयोजन किया गया है जिसमें 2500 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया है।

एमयूडीएसएम कार्यक्रम के तहत यूएलबी, यूडीडी और एमसी के अधिकारियों के लिए आयोजित कुछ क्षमता निर्माण कार्यक्रमों की झलकियां।



श्री रामाशंकर सिंघ पटेल (माननीय राज्य मंत्री, ऊर्जा और अतिरिक्त ऊर्जा विभाग, उ.प्र. सरकार) - लखनऊ, उत्तर प्रदेश में क्षमता निर्माण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए



लखनऊ, उत्तर प्रदेश में एमयूडीएसएम कार्यक्रम के प्रतिभागियों को एलबी का वितरण



श्री डी. रजनीकांत, निदेशक (ऊर्जा प्रबंधन), राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद, हैदराबाद एमएसटीसी, हैदराबाद में प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए



एमयूडीएसएम कार्यशाला, हैदराबाद, तेलंगाना के प्रतिभागी

1.4.5 कृषि मांग पक्ष प्रबंधन (एजीडीएसएम) योजना

भारत में कृषि क्षेत्र, 18 प्रतिशत ऊर्जा खपत के साथ उद्योग और घरेलू क्षेत्र के बाद तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा खपत वाला क्षेत्र है। भारत में कृषि क्षेत्र में ऊर्जा की बचत की क्षमता को देखते हुए, बीईई अंतिम उपयोग उपभोक्ता के उपकरण खरीदने की आदतों को प्रभावित करने और उसमें बदलाव लाने के लिए एक अनूठा तरीका प्रदान करता है ताकि वे कृषि क्षेत्र में ऊर्जा दक्ष (ईई) तकनीकों को अपनाएं। इसके लाभ संपूर्ण बिजली की खपत में कमी, जमीन से पानी निकालने की क्षमता में सुधार, राज्य उपयोगिताओं पर सब्सिडी के बोझ को कम करने और क्षमता बचाने के लिए बिजली संयंत्रों में निवेश करके प्राप्त होते हैं।

किसानों में ईई प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए, हरियाणा, पंजाब, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, पुडुचेरी, केरल, ओडिशा और उत्तराखंड जैसे राज्यों ने सिंचाई उद्देश्य के लिए नए कनेक्शन प्राप्त करने के लिए ईई पंपों (3 स्टार रेटिंग से ऊपर) का उपयोग अनिवार्य कर दिया है।

किसानों और अन्य हितधारकों के बीच ऊर्जा दक्षता के महत्व को बढ़ाने के लिए, बीईई और आईसीएआर (भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद) के बीच एक समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं ताकि कृषि क्षेत्र में ऊर्जा दक्ष पंप सेटों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए "ऊर्जा और जल संरक्षण" पर किसानों/हितधारकों/पंप तकनीशियनों को प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम प्रदान किया जा सके। एसडीए द्वारा कृषि विज्ञान केंद्र (केवीके)/एटीएआरआई (कृषि प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान) के माध्यम से 166 किसान प्रशिक्षण कार्यशालाएं आयोजित की गई हैं। इन कार्यशालाओं से लगभग 11,114 किसानों/पंप तकनीशियनों को लाभ हुआ है।

नागालैंड में 'पंपों के लिए स्मार्ट कंट्रोलर, आईओटी आधारित सूक्ष्म सिंचाई, मृदा नमी सेंसर आदि जैसे आईओटी आधारित उपकरणों/उपकरणों पर स्मार्ट और ऊर्जा दक्ष कृषि प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए अग्रणी प्रदर्शन परियोजनाएं कार्यान्वित की हैं और इन्हें उत्तराखंड में भी लागू किया जा रहा है जो किसानों को उच्च ऊर्जा बचत प्राप्त करने में मदद कर सकती हैं। ईई को बढ़ावा देने के लिए पंजाब, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक राज्यों में इस्तहार और पोस्टर प्रकाशित करके और रेडियो विज्ञापनों के माध्यम से प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के उपयोग द्वारा रचनात्मक जागरूकता पहल की गई है।

कृषि क्षेत्र में ऊर्जा दक्षता पंपसेटों के उपयोग को बढ़ावा देने वाले किसानों के लिए प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रमों के एक भाग के रूप में आयोजित कुछ कार्यक्रमों की झलकियाँ।



केवीके समरला (लुधियाना), पंजाब में प्रशिक्षण कार्यक्रम



केवीके एसबीएस (नवांशहर), पंजाब में प्रशिक्षण कार्यक्रम

1.4.6 लघु और मध्यम उद्यम (एसएमई)

क्षेत्र का परिचय

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र में विश्व आर्थिक गतिविधियों की बड़ी हिस्सेदारी है। एमएसएमई क्षेत्र आर्थिक विकास, रोजगार सृजन, गरीबी उन्मूलन और असमानता को कम करने में बहुत योगदान देता है। भारत जैसी विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए, एमएसएमई क्षेत्र सामाजिक-आर्थिक पहलुओं के साथ घनिष्ठ संबंधों के कारण और भी अधिक महत्व रखता है; उद्यमशीलता को बढ़ावा देने और अपेक्षाकृत कम पूंजी लागत पर रोजगार के अवसर पैदा करने में योगदान देता है।

इन वर्षों में, एमएसएमई ने देश में मामूली वस्तुओं के निर्माण से लेकर परिष्कृत उत्पादों तक के मूल्य श्रृंखला को आगे बढ़ाया है। भारत में 64 मिलियन एमएसएमई इकाइयाँ हैं जो 110 मिलियन से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करती हैं और सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 28% योगदान देती हैं। भारत में एमएसएमई क्षेत्र विशेष रूप से औद्योगिक समूहों से जुड़ा है जो विभिन्न ऊर्जा खपत वाले क्षेत्रों जैसे सिरामिक, ईट, कांच, कपड़ा, धातु विज्ञान आदि का प्रतिनिधित्व करता है।

ऊर्जा दक्षता (ईई) से एमएसएमई क्षेत्र की प्रतिस्पर्धा में सुधार और कार्बन उत्सर्जन कम होता है। ग्रीनहाउस गैसों (जीएचजी) के उत्सर्जन को कम करने और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए औद्योगिक प्रक्रिया में ऊर्जा दक्षता प्रौद्योगिकी (ईईटी) को अपनाना और सर्वोत्तम प्रथाएं अपनाना महत्वपूर्ण है। इस क्षेत्र में ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने और प्रौद्योगिकियों का उन्नयन करने में अपार संभावनाएं हैं।

ऊर्जा दक्ष भारत बनाने और सतत विकास के मार्ग पर चलने के लिए, यह महत्वपूर्ण है कि एमएसएमई क्षेत्र हरित और दक्ष विनिर्माण प्रक्रियाओं को अपनाए। भारत सरकार की विभिन्न कार्यक्रम/योजनाएँ और बीईई एसएमई में ऊर्जा संरक्षण/ऊर्जा दक्षता के प्रमुख प्रेरक बने हुए हैं। हालांकि इन कार्यक्रमों के कार्यकलापों से प्रभाव पड़ा है, लेकिन अधिकांश एसएमई द्वारा ऊर्जा दक्षता कार्यकलापों को स्वेच्छा से अपनाने से पहले अभी काफी लंबा सफर तय किया जाना है।

एमएसएमई का राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता और प्रौद्योगिकी उन्नयन कार्यक्रम

एमएसएमई क्षेत्र में ऊर्जा दक्षता में सुधार के लिए, बीईई ने रणनीतिक पहल के माध्यम से 2007 से महत्वपूर्ण और सतत प्रयास किए हैं और साथ ही एमएसएमई क्षेत्र के लिए विशेष रूप से द्विपक्षीय साझेदारी के माध्यम से विभिन्न गतिविधियों को सुदृढ़ किया है। क्षेत्र के अनौपचारिक होने के कारण, एमएसएमई को उपयुक्त ईई सेवाएं प्रदान करने के लिए औद्योगिक पारिस्थितिकी प्रणाली में अभी भी कई खामियां हैं।

इसके बाद, ब्यूरो ने वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान रणनीतिक पहल की परिकल्पना जारी रखने और एमएसएमई क्षेत्र के लिए संबद्ध बहु-अनुशासनात्मक हितधारकों को एकीकृत करके ऊर्जा दक्ष भारत बनाने की दिशा में आगे बढ़ने, उन्हें अपनी उपलब्धियों पर दोबारा गौर करने, ज्ञान के आधार पर विनिर्माण इकाइयों को सहायता देने और उन्हें प्रभावी ढंग से अपनाने देने के लिए प्रोत्साहित किया है। इस वित्तीय वर्ष (2019-20) में,



- बीईई ने भारत के 25 ऊर्जा गहन एमएसएमई क्षेत्रों के लिए ऊर्जा संरक्षण (ईसी) दिशानिर्देश विकसित किए हैं। ईसी दिशानिर्देशों को अपनाने से इकाइयां अपने संबंधित क्षेत्र/समूह में सर्वश्रेष्ठ ऊर्जा प्रदर्शन करने वाली एसएमई बन जाएंगी, जो अन्य एसएमई को समूह/क्षेत्र में अपनी प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के लिए प्रेरित करेंगी।
- इसके अलावा, ऊर्जा की खपत और एमएसएमई सुविधाओं में ऊर्जा के उपयोग के वर्गीकरण और वर्तमान परिदृश्य में प्रक्रियाओं और उत्पादन आउटपुट के साथ ऊर्जा के उपयोग और उसके साथ इसके संबंध को समझने के लिए, 9 ऊर्जा गहन एसएमई क्षेत्रों में ऊर्जा मानचित्रण गतिविधियों (फाउंड्री, फोर्जिंग, स्टील, ग्लास एवं रिफ़ैक्टरी, कागज, रसायन, ईटें, फार्मा और डेयरी) शुरू किया गया है।
- एमएसएमई की ऊर्जा दक्षता को आगे बढ़ाते हुए भारत में एमएसएमई की ऊर्जा सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए विकास आयुक्त का कार्यालय, एमएसएमई के साथ एक समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे।
- 150 से अधिक ऊर्जा दक्ष प्रौद्योगिकियों की एक व्यापक सूची तैयार की गई, और उनकी सीएलसीएसएस-टीयू योजना के लिए योग्य प्रौद्योगिकियों के तहत इन तकनीकों को शामिल करने के लिए एमएसएमई मंत्रालय को सिफारिश की गई थी।
- एमएसएमई (सिद्धि) में ऊर्जा दक्षता पर आसान डिजिटल व्यावहारिक सूचना नामक एक ज्ञान पोर्टल विकसित किया गया था। पोर्टल में विभिन्न प्रकार की जानकारी डाली गई है जैसे कि केस स्टडी, सर्वश्रेष्ठ परिचालन प्रथाएं, नवीनतम ऊर्जा दक्ष प्रौद्योगिकियों का विवरण आदि।
- ऊर्जा दक्ष प्रौद्योगिकियों (ईईटी) पर पचास (50) मल्टीमीडिया ट्यूटोरियल विकसित किए गए थे, जिसमें 20 से अधिक ऊर्जा गहन एसएमई क्षेत्रों को कवर किया गया था। ट्यूटोरियल में वास्तविक चित्रों और एनीमेशन के माध्यम से पारंपरिक प्रौद्योगिकियों की तुलना में ऊर्जा दक्ष प्रौद्योगिकियों के फायदों को दिखाया गया है। ट्यूटोरियल उन ईईटी को व्यापक तौर पर बार-बार दिखाकर एमएसएमई इकाइयों की मदद करना चाहता है जो फायदा पहुंचाती हैं। इन ट्यूटोरियल का एमएसएमई में अधिकांश हितधारकों में व्यापक प्रचार किया गया था और उन्हें सिद्धि पोर्टल के माध्यम से स्वतंत्र रूप से डाउनलोड किया जा सकता है।
- 'एमएसएमई क्षेत्र में ऊर्जा दक्षता बढ़ाने पर राष्ट्रीय सम्मेलन' का आयोजन 23-24 सितंबर, 2019 के दौरान किया गया था। इस सम्मेलन ने उन प्रमुख बाधाओं की पहचान करने और उनका विश्लेषण करने पर ध्यान केंद्रित किया, जो एमएसएमई में ऊर्जा दक्ष प्रौद्योगिकियों (ईईटी) को अपनाने और उनके विकास में बाधा बनती हैं। इन बाधाओं को दूर करने, इसके निष्कर्षों और नई/बेहतर कार्यनीतियों और प्रयासों पर बल देने के लिए विभिन्न पहलों पर विचार-विमर्श किया गया, जिन्हें आने वाले वर्षों में नीति से लेकर बुनियादी स्तर तक लागू किया जाएगा। इस सम्मेलन के दौरान एमएसएमई क्षेत्र में सफल ऊर्जा दक्ष प्रौद्योगिकियों को प्रदर्शित करने के लिए एक प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया।



एमएसएमई क्षेत्र में ऊर्जा दक्षता बढ़ाने पर राष्ट्रीय सम्मेलन की अलकियां

एमएसएमई क्षेत्र में वैश्विक पर्यावरण सुविधा (जीईएफ) समर्थित कार्यक्रम –

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो भी यूनिटो और विश्व बैंक के साथ साझेदारी करके ईई को बढ़ावा देने और एमएसएमई का वित्तपोषण करने के लिए वैश्विक पर्यावरण सुविधा के सहयोग से भारत के कई ऊर्जा गहन समूहों में ईई प्रौद्योगिकियां लागू कर रहा है, जिससे स्वच्छ, ऊर्जा दक्ष प्रौद्योगिकियों और प्रथाओं को बढ़ावा देने और अपनाने से भारत में एसएमई क्षेत्र का विकास करने में मदद मिलेगी।

जीईएफ-यूनिटो-बीईई परियोजना

'भारत में चयनित एमएसएमई समूह में ऊर्जा दक्षता और नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना' परियोजना का उद्देश्य ऊर्जा दक्ष प्रौद्योगिकियों को लागू करने और प्रोसेस अनुप्रयोगों में नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के उपयोग को बढ़ाने के लिए बाजार को विकसित और प्रोत्साहित करना है।

यह परियोजना शुरू में पांच क्षेत्रों में पूरे भारत में 12 एमएसएमई समूहों में लागू की गई थी, और पहले चरण में सफलता प्राप्त करने के बाद एमएसएमई को राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने के लिए इस परियोजना का अब 11 नए समूहों तक विस्तार किया गया है। समूहों की सूची नीचे दी गई है। सीखे गए सबक, 12 समूहों से प्राप्त जानकारी और अनुभवों का इस्तेमाल नए पता लगाए गए समूहों में ईई/आरई उपायों में तेजी लाने के लिए किया जा रहा है ताकि परियोजना की शेष समय-सीमा में सभी 23 समूहों द्वारा आपस में मिलकर काम किया जा सके।

क्षेत्र	समूह
पीतल	जामनगर
सिरेमिक	खुर्जा, थांगढ़, मोरबी और हिम्मतनगर
डेयरी	गुजरात, सिक्किम, केरल, तमिलनाडु, ओडिशा, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, हरियाणा, महाराष्ट्र और पंजाब
बलाई-खाना	बेलगाम, कोयंबदूर, इंदौर, अहमदाबाद और हावड़ा
हाथ के औजार	जालंधर और नागौर
मिश्रित इंजीनियरिंग	इंदौर और सिक्किम



वित्त वर्ष 2019-2020 के दौरान इस कार्यक्रम की प्रमुख उपलब्धियां इस प्रकार हैं:

- मोरबी और सिक्किम समूहों के लिए 3-दिवसीय आवासीय क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण कार्यशालाओं के माध्यम से ऊर्जा लेखा-परीक्षा और बेहतरीन ऑपरेटिंग प्रथाओं पर 45 यूनिटों के मालिकों, संयंत्र प्रबंधकों, ऊर्जा लेखा-परीक्षा के लिए शॉप-फ्लोर कर्मियों को प्रशिक्षित किया गया।
- परियोजना ने ऊर्जा दक्षता श्रेणी में उच्च प्रभाव कार्यक्रम के तहत सीआईआई द्वारा आयोजित 'ऊर्जा प्रबंधन 2019 में उत्कृष्टता के लिए 20वां राष्ट्रीय पुरस्कार' जीता।
- कोयम्बटूर समूह में तीन 'ऊर्जा क्लिनिक' आयोजित किए गए, जिसमें 100 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया।
- 10 प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित किए गए जिनका एमएसएमई इकाइयों में संयंत्र कर्मियों द्वारा दक्ष प्रक्रिया संबंधी प्रचालन के लिए उपयोग किया जा सकता है।
- सिक्किम समूह में ऊर्जा प्रबंधन केंद्र का उद्घाटन किया गया।
- एमएसएमई इकाइयों में रुचि पैदा करने के लिए 27 प्रसार कार्यशालाओं का आयोजन किया गया, ताकि परियोजना की गतिविधियों में भाग लिया जा सके।
- 25 समूह विशिष्ट ईई और आरई आधारित प्रौद्योगिकी संकलन विकसित किए गए जिनमें लगभग 20-30 प्रमुख ऊर्जा बचत के उपाय शामिल हैं। इन्हें सभी 23 समूहों में एमएसएमई इकाइयों में लागू किया जा सकता है।
- 500 केडब्ल्यूपी की संघयी क्षमता के साथ थांगढ़ में 7 सिरैमिक संयंत्रों में सौर फोटोवोल्टिक रूफ-टॉप प्रणालियों की सुविधा स्थापित करना। समूह में कुल रूफ-टॉप पीवी स्थापना लगभग 1.5 एमडब्ल्यूपी तक पहुंच गई।
- बेंचमार्किंग और डेटा विश्लेषणात्मक टूल को समूह/इकाई आधारित ऊर्जा उपयोग डेटाबेस और बेंचमार्किंग करने के लिए विकसित किया जा रहा है। यह एमएसएमई उद्यमियों को उद्योग में ऊर्जा की खपत का चौबीस घंटे ट्रैक रखने का आसान तरीका प्रदान करेगा। इससे इकाइयों में समय पर एहतियाती कदम उठाकर परिचालन में किसी भी तरह की ऊर्जा हानि से बचा जा सकेगा।

मार्च 2020 तक परियोजना द्वारा प्राप्त कुल संकेतक

- 345 एमएसएमई इकाइयों में 603 ईई और आरई उपायों को लागू किया गया।
- 10850 एमटीओई की ऊर्जा बचत प्राप्त की और प्रति वर्ष 62.868 टन सीओ₂ उत्सर्जन से बचा गया।
- 68.68 करोड़ रुपए की मौद्रिक बचत प्राप्त की और एमएसएमई इकाइयों द्वारा 89.78 करोड़ रुपए का निवेश किया।

कम कार्बन प्रौद्योगिकी स्थापना (एफएलसीटीडी) के लिए जीईएफ-यूनिटो-बीईई-सुविधा

एफएलसीटीडी को बीईई और यूनिडो द्वारा संयुक्त रूप से लागू किया जाता है, जो जीईएफ द्वारा समर्थित है। यह एक पांच वर्षीय कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य कम कार्बन उत्सर्जन वाली प्रौद्योगिकियों की खोज करने को बढ़ावा देना और इसकी भारतीय अर्थव्यवस्था के औद्योगिक और अन्य संबंधित क्षेत्रों में तैनाती करना है। यह परियोजना वार्षिक 'अभिनव चुनौती' प्रतिस्पर्धा को लागू कर रही है जो कम कार्बन उत्सर्जन वाली नई प्रौद्योगिकियों की पहचान करेगी और ऊर्जा के अंतिम दक्ष प्रयोग में सुधार करने का समाधान प्रदान करेगी, जो दीर्घावधि में ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने में मदद करेगी। यह चुनौती तीन क्षेत्रों (अपशिष्ट ताप रिकवरी, स्पेस कूलिंग तथा पम्पिंग एवं पंपिंग सिस्टम) पर केंद्रित थी।

- **अभिनव चुनौती 2018 में**, नए तकनीकी समाधानों को प्रदर्शित करने के लिए विशेषज्ञ पैनल द्वारा 13 विजेताओं को चुना गया था।
 - ◆ क्षेत्रीय स्थिति में नई खोज के सत्यापन के लिए कुल 3.5 करोड़ रुपए के अनुबंध जारी किए गए।
 - ◆ 13 में से, 7 विजेताओं ने प्रौद्योगिकी प्रदर्शन पूरा कर लिया है, 5 को बीईई द्वारा मान्यता दी गई है। शेष के जून 2020 तक प्रदर्शन को पूरा करने की उम्मीद है।
 - **अभिनव चुनौती 2019 में**, नए तकनीकी समाधानों को प्रदर्शित करने के लिए विशेषज्ञ पैनल द्वारा 17 विजेताओं को चुना गया था।
 - ◆ क्षेत्रीय स्थिति में नई खोज के सत्यापन के लिए कुल 5.3 करोड़ रुपए के अनुबंध जारी किए गए।
 - उद्यमियों को प्रशिक्षण देने के लिए नवम्बर, 2019 में एक एक्सेलेरेटर कार्यक्रम शुरू किया गया था, जिन्हें विशेषज्ञ पैनल के सदस्यों द्वारा चुना गया था जिसका उद्देश्य अभिनव चुनौती के बाद के चक्र में परियोजना वित्त-पोषण प्राप्त करने के लिए उनकी क्षमता का निर्माण करना था।
- इस वर्ष अगले दौर के लिए, चुनौती के क्षेत्रों में औद्योगिक आईओटी, संसाधन दक्षता और ऊर्जा भंडारण को भी शामिल किया गया है।

जीईएफ-विश्व बैंक-बीईई परियोजना

परियोजना, लक्षित एमएसएमई समूहों में ऊर्जा दक्षता निवेश की बढ़ती मांग और 25 से अधिक एमएसएमई समूहों में वाणिज्यिक वित्त प्राप्त करने के लिए उनकी क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से, मई 2019 में संपन्न हुई थी। परियोजना की कार्यान्वयन पूर्णता रिपोर्ट से पता चला है कि परियोजना ने ऊर्जा दक्ष प्रौद्योगिकियों को अपनाने के लिए एमएसएमई में आत्मविश्वास पैदा किया है और उन्हें प्रेरित किया है, और यह अपने वांछित परिणाम को संतोषजनक रूप से प्राप्त करने में सक्षम रही थी।

परियोजना की प्रमुख उपलब्धियाँ निम्नलिखित हैं:

1. ईई निवेश अपनाने के लाभों को समझाने के लिए व्यक्तिगत एमएसएमई और औद्योगिक संघों के साथ व्यापक बातचीत के माध्यम से 9,000 से अधिक उद्यमियों तक पहुंच बनाई गई।
2. 1257 आईजीडीपीआर विकसित किए गए। ऊर्जा लेखा परीक्षकों और वित्तीय संस्थानों के कर्मियों को इन डीपीआर का उपयोग एक दस्तावेज के रूप में करने के लिए प्रशिक्षित किया गया जिसने एमएसएमई में ईई उपायों के लिए वित्तपोषण निवेश करने को उचित ठहराया।



3. 14 बी2बी विक्रेता इंटरफेस कार्यशालाओं के माध्यम से एमएसएमई और प्रौद्योगिकी विक्रेताओं के बीच के फासले को दूर किया गया। 75 एफआई और 750 ऊर्जा लेखा-परीक्षा पेशेवरों से 1120 कर्मियों को भी ईई निवेश से होने वाले मौद्रिक फायदों के औचित्य को दर्शाते हुए प्रशिक्षित किया गया था।
4. ईई के लाभों को सतत आधार पर प्राप्त करने और ऊर्जा संरक्षण की संस्कृति को संस्थागत बनाने के लिए आईएसओ 60001 मानक के अनुसार ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली (ईएनएमएस) को अपनाने में 60 एसएमई को कार्यान्वयन सहायता प्रदान की गई थी।
5. परियोजना के तहत 300 करोड़ से अधिक प्रत्यक्ष ईई निवेश किए गए जिसके परिणामस्वरूप 2.72 मिलियन टीसीओ2 आजीवन कार्बन उत्सर्जन में कमी आई।

हालांकि इस क्षेत्र में ऊर्जा की बचत की क्षमता व्यापक है, जिसका बीईई पूरा लाभ उठाना चाहता है, भारतीय एसएमई उद्यमियों द्वारा सामना की जाने वाली कई परिचालन और अप्रत्याशित चुनौतियां हैं, जिनमें जोखिम से बचना, बोझिल प्रलेखन और जागरूकता/प्रेरणा की कमी शामिल है। ऊर्जा के प्रदर्शन में सुधार के लिए ब्यूरो के सामूहिक प्रयासों से, इस क्षेत्र के लिए ऊर्जा दक्षता कार्यक्रमों के प्रति जागरूकता, अवधारणा और जवाबदेही की वर्तमान स्थिति पूरे देश का केंद्र बिंदु बन गई है। हासिल किए गए व्यापक ज्ञान, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय हितधारकों की संबद्धता से ऊर्जा दक्षता ब्यूरो 2020 और उसके बाद एमएसएमई के लिए बड़े कार्यक्रम आयोजन करने, जागरूकता बढ़ाने, ईई और वैश्विक मानकों के अनुरूप औद्योगिक बाजार विकसित करने की परिकल्पना कर रहा है।

1.4.7 डिस्कॉम का क्षमता निर्माण

डीएसएम कार्यक्रम उपभोक्ताओं को उनकी बिजली खरीद की बढ़ती मांग को कम करने में मदद करते हैं जिससे परिचालन की कुल लागत कम होती है। डिस्कॉम के लिए अपने संबंधित क्षेत्रों में डीएसएम को लागू करने के लिए क्षमता निर्माण और अन्य सहायता प्राप्त करना आवश्यक है। इस संदर्भ में, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने डिस्कॉम के क्षमता निर्माण के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया था। इसने डिस्कॉम अधिकारियों की क्षमता बढ़ाने और अपने क्षेत्रों में डीएसएम को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रणालियां विकसित करने में मदद की है। प्रारंभ में इस कार्यक्रम में 34 डिस्कॉम (घरण 1) ने भाग लिया और इन डिस्कॉम के लिए डीएसएम सेल की स्थापना, मार अनुसंधान और डीएसएम कार्य योजना तैयार करने, जनशक्ति/परामर्श सहायता, डिस्कॉम के अधिकारियों के क्षमता निर्माण का कार्य पूरा हो चुका है और प्रत्येक डिस्कॉम द्वारा डीएसएम कार्य योजना का कार्यान्वयन चल रहा है।

2017-2020 के दौरान, इस कार्यक्रम के तहत गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए बीईई, शेष 28 डिस्कॉम और उनके संबंधित एसडीए के बीच त्रिपक्षीय समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। गतिविधियों में लोड अनुसंधान गतिविधि और डीएसएम कार्य योजना को अंतिम रूप देना, मास्टर ट्रेनर बनाने के लिए ट्रेनर के कार्यक्रमों का प्रशिक्षण आयोजित करना, डिस्कॉम के सर्कल स्तर के अधिकारियों की क्षमता का निर्माण करना और डिस्कॉम को जनशक्ति सहायता प्रदान करना शामिल है जिन्हें इस कार्यक्रम के तहत प्रत्येक डिस्कॉम के लिए संबंधित परियोजना सलाहकारों (पीएमसी) द्वारा लागू किया जाना है।

उपलब्धियां:

दूसरा चरण (वित्तीय वर्ष 2017–20)

- इस कार्यक्रम के तहत लाभार्थी डिस्कॉमों के रूप में 28 डिस्कॉम की अखिल भारत स्तर पर पहचान की गई है।
- आवश्यक गतिविधियों के सुचारु और प्रभावी कार्यान्वयन के लिए बीईई, चयनित 28 डिस्कॉम और संबंधित एसडीए के बीच समझौता-ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
- दूसरे चरण के डिस्कॉम के लिए 27 डिस्कॉम द्वारा डीएसएम सेल की स्थापना की गई है।
- बीईई ने निम्नलिखित गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए क्षेत्रवार 5 परियोजना प्रबंधन सलाहकारों को नियुक्त किया है:
 - ♦ 28 नए डिस्कॉम के लिए लोड अनुसंधान और डीएसएम कार्य योजना को अंतिम रूप दिया जा रहा है। 17 डिस्कॉम की लोड रिसर्च गतिविधि पूरी हो चुकी है और उनकी डीएसएम कार्य योजना को अंतिम रूप दे दिया गया है।
 - ♦ डीएसएम और ऊर्जा दक्षता पर लगभग 1000 मास्टर ट्रेनरों के लिए 28 प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम (टीओटी) का आयोजन किया गया। डीएसएम और ऊर्जा दक्षता पर लगभग 950 मास्टर प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए 27 प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं।
 - ♦ 28 नए डिस्कॉम के लिए 112 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करके डीएसएम और ऊर्जा दक्षता पर डिस्कॉम के 4000 मंडल स्तर के अधिकारियों का क्षमता निर्माण किया गया। अब तक, 42 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करके डीएसएम और ऊर्जा दक्षता पर लगभग 1750 अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया है।
 - ♦ इस कार्यक्रम के तहत डीएसएम गतिविधियों के बेहतर कार्यान्वयन के लिए 28 नए और मौजूदा 33 दोनों डिस्कॉमों के लिए जनशक्ति सहायता प्रदान करना।
- डीएसएम विनियमों को 29 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के लिए अधिसूचित किया गया है। शेष राज्य अपने राज्यों के लिए अपने डीएसएम विनियमों को अधिसूचित करने का प्रयास कर रहे हैं।
- इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक हितधारक के कार्मिकों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को उजागर करने और इस कार्यक्रम को आगे प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए डिस्कॉम की जरूरतों को समझने हेतु डिस्कॉम, एसडीएस और एसईआरसी/जेईआरसी के लिए एसडीए के सहयोग से बीईई द्वारा पांच क्षेत्रों (दक्षिणी, पश्चिमी, पूर्वोत्तर, उत्तरी और पूर्वी क्षेत्र) के लिए पांच क्षेत्रीय बैठकें आयोजित की गई हैं।

क. डिस्कॉम के लिए आयोजित क्षेत्रीय बैठक



ख. डीएसएम और ऊर्जा दक्षता पर डिस्कॉम के लिए प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम



ग. डीएसएम और ऊर्जा दक्षता पर डिस्कॉम के मंडल स्तरीय कार्मिकों का क्षमता निर्माण



1.4.8 राज्य निर्दिष्ट एजेंसियों (एसडीए) का सुदृढीकरण

ऊर्जा संरक्षण अधिनियम (ईसी अधिनियम) देश में ऊर्जा के दक्ष उपयोग और इसके संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए एक दो स्तरीय संगठन संरचना का निर्माण करता है, जो केंद्रीय स्तर पर नोडल एजेंसी के रूप में बीईई और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) स्तर पर नोडल एजेंसियों के रूप में एसडीए शामिल है। ईसी अधिनियम की धारा 15(घ) में कहा गया है कि राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन राज्य स्तर पर किसी भी एजेंसी को राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के भीतर अधिनियम के प्रावधानों के समन्वय, विनियमन और प्रवर्तन के लिए नामित कर सकता है। अब तक, 38 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने अपने-अपने राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों में एक एसडीए नामित किया है। ये एजेंसियां राज्य दर राज्य अलग-अलग होती हैं जिनमें नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी की भागीदारी 44%, विद्युत विभाग की 22%, इलेक्ट्रिकल निरीक्षणालय की 17%, वितरण कंपनियों की 11% और पृथक एसडीए की केवल 6% भागीदारी शामिल है।

एसडीए की संस्थागत, तकनीकी और वित्तीय क्षमता के निर्माण पर बल देते हुए राज्य स्तर पर ईई और ईसी गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए, विद्युत मंत्रालय ने "राज्य स्तर पर ऊर्जा के दक्ष उपयोग और इसके संरक्षण, समन्वय, विनियमन और प्रवर्तन के लिए एसडीए को वित्तीय सहायता प्रदान करना" हेतु योजना को मंजूरी दी थी। इस योजना को 'राज्य ऊर्जा संरक्षण निधि (एसईसीएफ) में अंशदान' योजना द्वारा पूरक किया गया है। विद्युत मंत्रालय द्वारा ईई और ईसी पर सतत प्रयास करने, भावी प्रयासों को जारी रखने और प्रत्येक राज्य में पर्याप्त ऊर्जा बचत प्राप्त करने के लिए, 'ऊर्जा के दक्ष उपयोग और राज्य स्तर पर इसके संरक्षण को बढ़ावा देने हेतु एसडीए को सुदृढ करना' नामक योजना को 134.0 करोड़ के बजट परिव्यय के साथ 2017-20 की अवधि के लिए अनुमोदित किया गया था जिसमें ऊर्जा के दक्ष उपयोग और संरक्षण और राज्य स्तर पर इसके संरक्षण (118.0 करोड़) और राज्य ऊर्जा संरक्षण निधि में अंशदान (16.0 करोड़ रुपए) के लिए एसडीए को वित्तीय सहायता प्रदान करना जैसे घटक शामिल हैं।



क) राज्य स्तर पर ऊर्जा के दक्ष उपयोग और इसके संरक्षण, समन्वय, विनियमन और प्रवर्तन के लिए एसडीए को वित्तीय सहायता प्रदान करना

वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान, निम्नलिखित उप-घटकों के तहत ईई और ईसी गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए 33 एसडीए को 44.01 करोड़ रुपए का वितरण किया गया था।

- **ऊर्जा दक्षता प्रदर्शनों (स्पीड) के लिए राज्य भागीदारी:** इस उप-घटक में स्ट्रीट लाइटिंग, वाटर पंपिंग (पेयजल आपूर्ति प्रणाली, कृषि जल पंपिंग सिस्टम, आदि) के क्षेत्रों में प्रदर्शन परियोजनाओं के कार्यान्वयन, बिजली के उपकरणों/यंत्रों की रेट्रोफिटिंग शामिल है। इमारतों में, नगर पालिकाओं, सरकारी भवनों आदि में स्मार्ट-मीटर की स्थापना, अपशिष्ट ताप वसूली, हीटिंग, वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग, आदि इन प्रदर्शन परियोजनाओं के मुख्य उद्देश्य हैं।
 - व्यावहारिक प्रदर्शनों के माध्यम से ऊर्जा दक्ष उपकरणों/प्रौद्योगिकियों की प्रभावशीलता का प्रदर्शन करना।
 - विभिन्न विभागों/एजेंसियों के माध्यम से इन प्रदर्शन परियोजनाओं के अनुकरण के लिए राज्य सरकारों को सुविधा प्रदान करना।
- **मॉडल ऊर्जा दक्ष गाँव अभियान:** यह उप-घटक एसडीए द्वारा लागू किया जाता है जिसमें गाँवों के 200-250 घरों (पूर्वोत्तर राज्यों, केंद्रशासित प्रदेशों और अन्य विशेष श्रेणी के राज्यों को छूट दी गई है) के मौजूदा अदक्ष उपकरण/यंत्रों को स्टार लेबल वाले उपकरणों के साथ बदला जाता है जिसमें पानी के पंप, पंखे, हंडवहन कुक स्टोव, डीजल जनरेटर, वॉटर हीटर, स्ट्रीट लाइट और घरेलू प्रकाश शामिल हो सकते हैं। जबकि प्रत्येक राज्य में दो से तीन गाँवों को इस अभियान के तहत शामिल किए जाने की संभावना है, विधायकों द्वारा इस तरह के कार्यक्रमों के लिए अन्य संसाधनों के माध्यम से जोर दिए जाने पर और अधिक गाँवों को इसमें शामिल किए जाने की संभावना है ताकि उनके अधिकार क्षेत्र में आने वाले गाँवों में ऊर्जा दक्ष उपकरणों/प्रौद्योगिकियों की प्रभावशीलता प्रदर्शित हो सके।
- **राज्य स्तर पर प्रवर्तन मशीनरी को स्थापित करना:** इस उप-घटक का मुख्य उद्देश्य ब्यूरो के विभिन्न कार्यक्रमों जैसे पीएटी, ईसीबीसी, एसएंडएल, आदि के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए सुदृढ़ प्रवर्तन तंत्र विकसित करना और राज्य स्तर पर प्रवर्तन मशीनरी का क्षमता निर्माण करना है जिसमें एसडीए में नियुक्त निरीक्षण अधिकारी, एसईआरसी में अधिनिर्णय अधिकारी और अन्य सरकारी अधिकारी शामिल हैं, जो उक्त कार्यक्रमों को लागू करने से जुड़े हो सकते हैं।
- **एसडीए को जनशक्ति सहायता:** एसडीए को सुदृढ़ बनाने के कार्यक्रम का यह घटक एसडीए को उनके कार्यालयों में जनशक्ति नियुक्त करने में सक्षम बनाता है जो उनके कार्यों को सुचारू रूप से और प्रभावी ढंग से निष्पादित करने में उनकी सहायता करता है।

- **राज्य ऊर्जा दक्षता अनुसंधान और आउटरीच कार्यक्रम:** इस उप-घटक के निम्नलिखित मुख्य उद्देश्य हैं।
 - ऊर्जा दक्षता अभियान को आगे बढ़ाने के लिए नीति निर्माताओं और शैक्षिक/तकनीकी/अनुसंधान संस्थानों के बीच साझेदारी को सुदृढ़ करना।
 - एसडीए द्वारा शुरू की गई आउटरीच गतिविधियों को बढ़ाने के लिए।
- **ऊर्जा पेशेवरों की कार्यशालाएं/क्षमता निर्माण:** इस उप-घटक का मुख्य उद्देश्य एसडीए को राज्य स्तर पर सभी संबंधित हितधारकों को ऊर्जा के दक्ष उपयोग और इसके संरक्षण के लिए सूचना के प्रसार हेतु आवश्यक सभी उपाय करने में सक्षम बनाना है।
- **एसडीए द्वारा ऊर्जा संरक्षण गतिविधियों के प्रभाव का विश्लेषण और सर्वेक्षण:** योजना के इस घटक का मुख्य उद्देश्य राज्य स्तर पर शुरू की गई विभिन्न ईई और ईसी गतिविधियों के लिए एसडीए के दस्तावेज परिणामों को सक्षम करना है।
- **बनाए गए इंटरनेट प्लेटफॉर्म और अन्य डेटाबेस का रखरखाव और उन्नयन:** योजना के इस भाग का प्राथमिक उद्देश्य एसडीए को अपनी स्थापित वेबसाइट और उस पर उपलब्ध विभिन्न डेटाबेस की सामग्री को नियमित रूप से अद्यतन करने में सक्षम बनाना है। एसडीए की वेबसाइटों के माध्यम से प्राप्त जानकारी विभिन्न हितधारकों और समाज के सभी वर्गों के लिए फायदेमंद और मूल्यवान है।
- **छात्र जागरूकता/छात्र क्षमता निर्माण कार्यक्रम (एससीबीपी):**

इस घटक के अंतर्गत एसडीए द्वारा चलाई जा रही प्रमुख गतिविधियाँ निम्नलिखित हैं:

 - ईसी पर अध्याय तैयार करना और उन्हें स्कूल/राज्य बोर्डों/आईटीआई/डिप्लोमा इंजीनियरिंग कॉलेज पाठ्यक्रमों में शामिल करना।
 - नए मॉड्यूल/अध्यायों पर स्कूल शिक्षकों/व्याख्याताओं को प्रशिक्षण देना।
 - ऊर्जा क्लबों के निर्माण पर स्कूलों और डिग्री कॉलेज स्तर, आईटीआई, डिप्लोमा इंजीनियरिंग कॉलेजों (पॉलिटेक्निक), इंजीनियरिंग कॉलेजों में वाद-विवाद और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताएं।

ख) राज्य ऊर्जा संरक्षण कोष में योगदान

ईसी अधिनियम 2001 की धारा 16(1) में राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को राज्य के भीतर ऊर्जा के दक्ष उपयोग को बढ़ावा देने और इसके संरक्षण के लिए राज्य ऊर्जा संरक्षण निधि (एसईसीएफ) नामक एक कोष का गठन करने की आवश्यकता है। इस संदर्भ में, 'एसईसीएफ में योगदान' नामक एक योजना को विद्युत मंत्रालय द्वारा 11वीं योजना के दौरान मंजूरी दी गई थी जिसे 12वीं योजना के दौरान और 2017-20 की अवधि के लिए जारी रखा गया था।

एसईसीएफ ईई परियोजनाओं के कार्यान्वयन में प्रमुख बाधाओं को दूर करने की सुविधा प्रदान कर



सकता है। एसईसीएफ से ईई परियोजनाओं को शुरू करने के लिए, एसईसीएफ के तहत वितरित धन का बड़ा हिस्सा आवर्ती निवेश निधि (आरआईएफ) के रूप में अलग से रखा जाना चाहिए। इस आरआईएफ का उपयोग सार्वजनिक मवनों में ईई परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए किया जा सकता है जिसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार और केंद्र या राज्य सरकार के उपक्रमों/एजेंसियों की इमारतों, ईई स्ट्रीट-लाइटिंग या कॉमन एरिया लाइटिंग परियोजनाओं, सार्वजनिक पेयजल पंपिंग स्टेशनों में ईई परियोजनाएं और कृषि क्षेत्रों में वॉटर पंपिंग, विभिन्न समूहों में एमएसएमई औद्योगिक इकाइयों में ईई परियोजनाएं आदि शामिल हैं।

एसईसीएफ के तहत योगदान उन राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों के लिए किया जाता है जिन्होंने अपना एसईसीएफ बनाया है और उसके संचालन के लिए नियमों और विनियमों को अंतिम रूप दिया है। यह योजना के अंतर्गत बीईई द्वारा सभी राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों को योगदान दिया जाता है, जिसकी अधिकतम सीमा 4.0 करोड़ रुपए है जिसे किसी भी राज्य/केंद्र शासित प्रदेश को प्रत्येक 2.0 करोड़ रुपए की दो किस्तों में प्रदान किया जाता है। एसईसीएफ में योगदान के तहत दूसरी किस्त बीईई की पहली किस्त के लिए राज्यों द्वारा बराबर की राशि का योगदान प्रदान करने के बाद ही जारी की जाती है। पूर्वोत्तर राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के लिए राज्य सरकार द्वारा बराबर योगदान 2.0 करोड़ रुपए के बजाय 25.0 लाख रुपए तक सीमित है। आज की तारीख में, 31 राज्यों ने अपने एसईसीएफ की स्थापना की है, जिसमें से 26 राज्यों ने अपना बराबर का योगदान प्रदान किया है।

एसडीए के लिए राष्ट्रीय कार्यशालाएं

बीईई देश भर के सभी एसडीए को शामिल करते हुए वर्ष में 2-3 बैठकें आयोजित करता है। इन राष्ट्रीय बैठकों/कार्यशालाओं का मुख्य उद्देश्य एसडीए द्वारा की गई गतिविधियों की भौतिक और वित्तीय प्रगति की समीक्षा करना और संबंधित एसडीए के लिए वित्तीय वर्ष हेतु वार्षिक कार्य योजना के अनुसार अपने भावी लक्ष्यों पर विचार करना और उन्हें निर्धारित करना है। इसके अलावा, ये कार्यशालाएँ एसडीए के अधिकारियों को इन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में उनकी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के बारे में आवश्यक प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण प्रदान करती हैं। इन कार्यशालाओं के माध्यम से, एसडीए के कर्मियों को संबंधित कार्यक्रमों में किए गए नवीनतम विकास और उनके भविष्य में किए जाने वाले कार्यों के बारे में भी अवगत कराया जाता है। वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान, बीईई ने एसडीए के लिए 2 राष्ट्रीय कार्यशालाओं का आयोजन किया – एक भुवनेश्वर, ओडिशा में और दूसरी नई दिल्ली में।

भुवनेश्वर, ओडिशा में एसडीए के लिए ऊर्जा दक्षता बढ़ाने पर राष्ट्रीय सम्मेलन



दीप प्रज्वलन



एसडीए के लिए एफएएचयू और प्रचालनात्मक दिशानिर्देश

राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक

बीईई ने राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक विकसित किया है:

- राज्य और स्थानीय स्तर पर ईई नीतियों और कार्यक्रम के कार्यान्वयन में मदद करना
- सर्वोत्तम प्रथाओं को सजागर करना और राज्यों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना
- राज्यों और भारत के ऊर्जा क्षेत्र के प्रबंधन में प्रगति पर नज़र रखना
- ईई प्रयासों के लिए एक आधार रेखा निर्धारित करना और राज्य-विशिष्ट ईई लक्ष्य निर्धारित करने के लिए एक आधार प्रदान करना
- राज्यों, विशेष रूप से एसडीए द्वारा ईई गतिविधियों के आंकड़े एकत्र करना और उनकी निगरानी करना।

पहला ऐसा सूचकांक, राज्य ऊर्जा दक्षता तैयारी सूचकांक 1 अगस्त, 2018 को लॉन्च किया गया था। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2019 पिछले सूचकांक पर आधारित है और इसमें ईसीबीसी 2017, ई-गतिशीलता को अपनाने की पहल, एमएसएमई समूह में ऊर्जा दक्षता, ऊर्जा बचत और संस्थागत सुधार जैसे कि स्वतंत्र एसडीए तथा एसडीए और राज्य विभागों के बीच सहयोग को शामिल करने के लिए संकेतक ढांचे का विस्तार किया गया है।

इसके अलावा, 'राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक (एसईईआई) - 2019' को नई दिल्ली में जनवरी, 2020 में आयोजित समीक्षा, योजना और निगरानी (आरपीएम) बैठक के दौरान विद्युत तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) द्वारा जारी किया गया था। इसके अलावा, माननीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के माननीय मुख्यमंत्रियों को एसईईआई 2019 की रिपोर्ट भेज दी है और उन्हें अपने राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों में संबंधित विभागों को व्यापक पैमाने पर ऊर्जा दक्षता पहल को लागू करने की सलाह देने की सिफारिश की है। 2019 सूचकांक में सभी मांग क्षेत्रों - भवन, उद्योग, नगरपालिका, परिवहन,

कृषि और डिस्कॉम को कवर करने वाले 97 संकेतक हैं। राज्य ईई सूचकांक 2019 में छत्तीस (36) राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों को आकलन किया गया है।



1.4.9 विविध

ऊर्जा प्रबंधकों और ऊर्जा लेखा परीक्षकों के लिए राष्ट्रीय प्रमाणन परीक्षा

ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के अनुसार, सभी नामित ऊर्जा उपभोक्ताओं के लिए मान्यता-प्राप्त ऊर्जा लेखा परीक्षक द्वारा आयोजित ऊर्जा लेखा-परीक्षा कराना और ऊर्जा प्रबंधक को विनिर्दिष्ट या नियुक्त करना अनिवार्य है।

बीईई ने मई, 2004 से देश भर में नियमित रूप से ऊर्जा प्रबंधकों और ऊर्जा लेखा परीक्षकों के लिए राष्ट्रीय प्रमाणन परीक्षा आयोजित की है और ऊर्जा प्रबंधन, परियोजना प्रबंधन, वित्तपोषण और ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं के कार्यान्वयन में विशेषज्ञता के साथ पेशेवर योग्य ऊर्जा प्रबंधकों और लेखा परीक्षकों का एक कैंडर बनाया है।

देश में अब कुल 17,258 ऊर्जा लेखा परीक्षक और ऊर्जा प्रबंधक हैं, जिनमें से 10,458 लेखा परीक्षक और ऊर्जा प्रबंधक 2004-2019 के दौरान आयोजित पिछली 20 परीक्षाओं से प्रमाणित ऊर्जा लेखा परीक्षक के रूप में योग्य हैं। राष्ट्रीय प्रमाणन परीक्षा मार्ग के माध्यम से ऊर्जा प्रबंधकों और ऊर्जा लेखा-परीक्षकों के क्षमता निर्माण का भारतीय अर्थव्यवस्था पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ेगा जिससे ऊर्जा की खपत कम होगी।

1) प्रमाणित ऊर्जा लेखा परीक्षकों का प्रत्यायन

ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001, केंद्र सरकार को "नामित उपभोक्ता" के रूप में ऊर्जा गहन औद्योगिक इकाइयों और अन्य प्रतिष्ठानों को नामित करने की शक्तियाँ प्रदान करता है, जिन्हें अन्य बातों के साथ-साथ, समय-समय पर ऊर्जा लेखा परीक्षकों से ऊर्जा लेखा-परीक्षा करवानी होती है। यह अधिनियम ऊर्जा दक्षता ब्यूरो को इस उद्देश्य के लिए ऊर्जा लेखा परीक्षकों को अधिकृत करने का भी अनिवार्य अधिदेश देता है।

प्रमाणित ऊर्जा लेखा परीक्षकों का मूल्यांकन प्रत्यायन सलाहकार समिति द्वारा किया जाता है और मान्यता के लिए सिफारिश की जाती है, जिसकी अध्यक्षता महानिदेशक, बीईई तथा केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय और कोयला मंत्रालय से लिए गए सदस्यों द्वारा की जाती है। तत्पश्चात् इन अनुशंसित नामों को ब्यूरो की प्रबंधन सलाहकार समिति द्वारा अनुमोदित किया जाता है।

वर्तमान में देश में **263 मान्यता-प्राप्त ऊर्जा लेखा परीक्षक हैं।**

ii) पीएटी के तहत मान्यता प्राप्त ऊर्जा लेखा परीक्षक फर्मों का अनुकरण

सभी नामित उपभोक्ताओं (डीसी) के लिए माप और सत्यापन (एमएंडवी) कार्य मान्यता-प्राप्त ऊर्जा लेखा परीक्षक की पैनलबद्ध फर्मों से करवाना अनिवार्य है। वर्तमान में निष्पादन, उपलब्धि और व्यापार (पीएटी) योजना के तहत ऊर्जा की खपत के मानदंडों एवं मानकों तथा ऊर्जा के बचत प्रमाणपत्रों को जारी करने या खरीदने के संबंध में माप और सत्यापन (एमएंडवी) सहित सत्यापन कार्य और सत्यापन जांच करने के लिए कुल 74 पैनलबद्ध मान्यता-प्राप्त ऊर्जा लेखा परीक्षक फर्मों कार्य कर रही हैं।

iii) ऊर्जा प्रबंधक प्रमाण-पत्र के नवीनीकरण के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम

ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 के अनुसार, ऊर्जा प्रबंधक वह होता है जिसने वर्ष में ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) द्वारा आयोजित राष्ट्रीय स्तर की प्रमाणन परीक्षाओं के तीन पेपर (ऊर्जा प्रबंधन और ऊर्जा लेखापरीक्षा के सामान्य पहलुओं; थर्मल उपयोगिताओं में ऊर्जा दक्षता) उत्तीर्ण किए हों।

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) योग्य ऊर्जा प्रबंधकों/ऊर्जा लेखा परीक्षकों के लिए प्रमाण-पत्र जारी करता है। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (ऊर्जा प्रबंधकों के लिए प्रमाणन प्रक्रिया), 2010 के विनियम 8 के तहत इस प्रमाणपत्र को ब्यूरो या अनुमोदित संस्थान या संगठन द्वारा संचालित पुनश्चर्या प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में भाग लेने पर हर पांच साल के बाद नवीनीकृत करना पड़ता है। इस पाठ्यक्रम का मुख्य उद्देश्य इन ऊर्जा प्रबंधकों को ऊर्जा मानदंडों और मानकों को लागू करते समय ऊर्जा प्रबंधन के लिए नवीनतम तकनीकों के बारे में अद्यतन करना, उनके आत्मविश्वास को बढ़ाना और उन्हें चुनौतीपूर्ण कार्य करने के लिए प्रेरित करना है।

बीईई ने दो चरणों में 90 कार्यशालाएं आयोजित की हैं और लगभग 2,356 ऊर्जा प्रबंधकों/ऊर्जा लेखा परीक्षकों ने इन पाठ्यक्रमों में भाग लिया है।

1.4.10 जागरूकता और आउटरीच

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) ने जनता के बीच ऊर्जा संरक्षण के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए एक 'जागरूकता अभियान' शुरू किया। सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार, इलेक्ट्रॉनिक, आउटडोर और प्रिंट मीडिया के माध्यम से यह अभियान आउटरीच और संचार ब्यूरो (बीओसी) के माध्यम से आयोजित किया गया, जो पूर्व में विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय (डीएवीपी) और राष्ट्रीय फिल्म विकास कॉर्पोरेशन (एनएफडीसी) थे। ऊर्जा संरक्षण के बारे में लोगों को शिक्षित करने वाले विज्ञापन भी हिंदी और स्थानीय भाषाओं में प्रिंट मीडिया द्वारा जारी किए गए। लोगों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए, बीईई ने 17 विभिन्न स्थानीय पत्रिकाओं और समाचार पत्रों में 'राष्ट्रीय चित्रकला प्रतियोगिता' और 'राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण' पुरस्कारों की घोषणा की। आकाशवाणी द्वारा 'बचत के सितारे' रेडियो कार्यक्रम का प्रसारण 19 भाषाओं में किया गया।

वित्तीय वर्ष के दौरान बीईई ने विभिन्न योजनाओं के बारे में अपनी उपलब्धियों को प्रदर्शित करने के लिए कई प्रदर्शनियों में भाग लिया जैसे प्रगति मैदान, नई दिल्ली में 22 मई, 2019 से 24 मई, 2019 तक आयोजित 5वीं स्मार्ट सिटी इंडिया एक्सपो। बीईई द्वारा आगंतुकों को प्रचार सामग्री दी गई जिसमें इस्तहार/ब्रोशर/समाचार-पत्रिका शामिल थी। इसके अलावा, ब्यूरो ने प्रौद्योगिकी और नई खोज का प्रदर्शन करने के लिए 01 अगस्त से 03 अगस्त, 2019 तक नई दिल्ली में आयोजित सरकारी उपलब्धियों और योजनाओं की प्रदर्शनी में भी भाग लिया। बीईई ने अपनी विभिन्न ऊर्जा दक्ष नीतियों, उपलब्धियों, कार्यक्रमों, योजनाओं और गतिविधियों का प्रदर्शन करने के लिए बैंगलोर में 03 जनवरी से 07 जनवरी, 2020 तक 107वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी भाग लिया। वर्ष की अंतिम तिमाही के दौरान, ब्यूरो ने 26-28 नवंबर, 2019 तक बैंगलोर में वैश्विक सेवा प्रदर्शनी में भाग लिया तथा विकसित और विकासशील दोनों देशों में वैश्विक अर्थव्यवस्था में बढ़ते सेवा क्षेत्र के महत्व को प्रदर्शित करने के लिए अपने सकल घरेलू उत्पाद में महत्वपूर्ण योगदान दिया। बीईई ने 19 नवंबर, 2019 को नई दिल्ली में भारत में ईवी चार्जिंग अवसंरचना को स्थापित करने के लिए नीतिगत फ्रेमवर्क पर अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला में भाग लिया और कोयंबटूर में मार्च 04 से 06 मार्च, 2020 तक इंटरनेशनल इंजीनियरिंग सोर्सिंग शो में यह दर्शाया गया कि किस तरह प्रौद्योगिकी और नई खोज भारतीय उद्योग को अपनी प्रौद्योगिकी को उन्नत बना सकती हैं और बाजार प्रतिस्पर्धा बढ़ा सकती है। इसके अलावा, नई दिल्ली में 12 दिसंबर, 2019 को प्रशीतन ऊर्जा दक्षता पर अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया।

जागरूकता अभियान रणनीतियाँ

श्री अमिताभ बच्चन द्वारा ऊर्जा दक्षता से संबंधित बीईई कार्यक्रमों का प्रचार

- घरों, व्यवसायों और कार्यालयों में बिजली बचाने तथा ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए उपमोत्ताओं को प्रोत्साहित करने हेतु श्री अमिताभ बच्चन के माध्यम से प्रचार किया गया। बिजली बचाएंगे तो रोशन होगा इंडिया होगा इंडिया संदेश रचनात्मक के साथ इस्तेमाल की जाने वाली टैगलाइन थी।



'# एक डिग्री और' अभियान

एक डिग्री तापमान बढ़ाकर एयर कंडीशनर की इष्टतम तापमान सेटिंग को बढ़ावा देने के लिए एक जागरूकता अभियान की रूपरेखा बनाई गई और उसे विभिन्न प्लेटफार्मों पर प्रदर्शित किया गया। '# एक डिग्री और' का उपयोग टैगलाइन के रूप में किया गया।

- जागरूकता अभियान '# एक डिग्री और' को बीईई के सोशल मीडिया हैंडल पर चलाया गया ताकि एयर कंडीशनर उपयोगकर्ताओं को बिजली बचाने के लिए एसी तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।
- इस अभियान के तहत, सोशल मीडिया हैंडल के माध्यम से एसी के तापमान को 1 डिग्री बढ़ाने के फायदों के बारे में जानकारी का प्रसार करने के लिए विभिन्न रचनात्मक विचार भी विकसित किए गए।

AC के तापमान में
1 डिग्री की बढ़त
ऊर्जा की बचत

#1 डिग्री और

एक एसी बढ़ाने में 8% की बचत
सालाना 1500 रुपये पर के लिए और 2500 रुपये इंडिया की बचत

बिजली बचाएँ
तो रोगन होगा इंडिया

सामान्य रूप से 24 से 26 डिग्री AC का तापमान, सामान्य से थोड़ा ऊपर और आरामदायक है

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बी ई ई)
www.beeindia.gov.in

लाजपत नगर मेट्रो स्टेशन की ब्रांडिंग

ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने लाजपत नगर मेट्रो स्टेशन को ब्रांडिंग और जागरूकता संदेशों को प्रदर्शित करने के लिए किराए पर लिया है। महत्वपूर्ण स्थान पर होने के कारण इस स्टेशन ने दीवारों पर ग्रीफिटी के माध्यम से प्रचार के विशेष अवसर प्रदान किए। इस क्षेत्र से गुज़रने वाली आम जनता के लिए विभिन्न संदेश प्रदर्शित किए गए।

इस गतिविधि की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

- महानगरीय शहर में मेट्रो-ब्रांडिंग के लिए अभियान शुरू किया गया, इसी तर्ज पर वित्तीय वर्ष 2019-20 में लाजपत नगर मेट्रो स्टेशन का अर्द्ध नामकरण-सह-ब्रांडिंग किया गया था।

- दृश्य माध्यमों का उपयोग करके दक्ष साधनों के माध्यम से ऊर्जा संरक्षण उपायों की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए अभियान शुरू किया गया।
- पीछे/आगे से प्रकाशित होर्डिंग के माध्यम से ऊर्जा संरक्षण पर कई संदेश प्रदर्शित किए गए।
- पीछे और आगे से प्रकाशित इलेक्ट्रिक बोर्ड के अलावा, मित्तिथित्रों के माध्यम से ऊर्जा संरक्षण के सुझावों को सभी स्तंभों और बड़ी दीवारों पर बड़े दृश्य के साथ प्रदर्शित किया गया।
- सभी स्टेशन नाम बोर्डों का उपयोग बीईईई लोगो प्रदर्शित करके स्टेशन को ब्रांड बनाने के लिए किया गया।



‘गो इलेक्ट्रिक’ अभियान

ईवी की चार्जिंग के लिए बुनियादी ढांचे की स्थापना और इलेक्ट्रिक वाहनों के फायदों के बारे में जनता में जागरूकता बढ़ाने और उन्हें शिक्षित करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी मीडिया अभियान ‘गो इलेक्ट्रिक’ विकसित किया गया।



बीईई ने सामुदायिक जागरूकता बढ़ाने के लिए नए विचारों को अपनाया है।

वैन सक्रियता और संवर्धन कार्यक्रम

- वित्त वर्ष 2019-20 में शुरू की गई एक प्रमुख गतिविधि में ऊर्जा संरक्षण उपायों पर व्यापक जागरूकता पैदा करने के लिए आठ राज्यों में "वैन सक्रियता और संवर्धन कार्यक्रम" शामिल है। इस बुनियादी कार्यकलाप के जरिए उपभोक्ताओं से सीधा आमने-सामने संपर्क किया गया, जिसमें वीडियो, गेम्स आदि शामिल थे। यह अभियान महाराष्ट्र, गोवा, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, दिल्ली एनसीआर और गुजरात में चलाया गया। इन वैनों के प्रभावी कार्यान्वयन और निगरानी के लिए संबंधित राज्य नामित एजेंसियां (एसडीए) भी शामिल थीं। यह अभियान 63 स्थानों पर 30 दिनों तक चलाया गया। वैन अभियान की कुछ झलकियाँ नीचे दी गई हैं:




- प्रमुख स्थानों पर ऐसे विशाल पोर्टफोलियो ने बाजार में एक बेहतरीन कवरेज हासिल करने में मदद की। ग्रामीण आबादी को लक्षित करने के लिए कुछ अन्य एजेंडा वाले कार्यक्रमों को और अधिक राज्यों को कवर करते हुए एलईडी के अलावा बूल्हे, सोलर कुकर आदि जैसे नए उत्पादों को भी ग्रामीण क्षेत्रों में प्रदर्शित किया जा सकता है।
- खुदरा विक्रेताओं के बीच जानकारी बढ़ाने के लिए खुदरा प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया ताकि वे ऊर्जा दक्ष उपकरणों को चुनने के लिए ग्राहकों को समझा सकें और उन्हें मना सकें। 8 मेट्रो शहरों – दिल्ली, कोलकाता, बेंगलुरु, मुंबई, चेन्नई और हैदराबाद में 18 ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए गए और इन कार्यक्रमों में 2000 से अधिक खुदरा विक्रेताओं को प्रशिक्षित किया गया।

2019-20 के दौरान ब्यूरो द्वारा निकाले गए महत्वपूर्ण प्रकाशन:-


ब्यूरो ने वर्ष के दौरान कई दस्तावेज और रिपोर्टें प्रकाशित कीं। प्रतियों को संबंधित हितधारकों में वितरित किया गया और इसे व्यापक प्रचार के लिए वेबसाइट पर भी अपलोड किया गया। ऐसे दस्तावेजों और रिपोर्टों की सूची नीचे दी गई है:




राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता (रोशनी) के लिए
सकल और समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता




ऊर्जा संरक्षण अधिनियम— संस्करण 1 के प्रावधानों के कार्यान्वयन
के लिए एक पुस्तक



वर्ष 2017-18 के लिए ऊर्जा दक्षता उपायों का प्रभाव




राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता लक्ष्य (उन्नति) का दोहन करना



जागरूकता पैदा करने के अन्य उपाय

- सूचना और जागरूकता संदेशों को बीईई के वेब पोर्टल, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल के माध्यम से नियमित रूप से प्रसारित किया गया।
- मार्च-अप्रैल, 2020 में माईगोव पोर्टल पर क्राउडसोर्सिंग के माध्यम से बीईई द्वारा एक शुभंकर डिजाइन प्रतियोगिता भी आयोजित की गई थी।
- ऊर्जा संरक्षण और इसकी प्रभावकारिता पर संदेश प्रसारित करने के लिए प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया प्लेटफार्मों का प्रभावी ढंग से उपयोग किया गया।
- निष्पादन, उपलब्धि और व्यापार योजना के लिए जागरूकता वीडियो बनाए गए और उन्हें बीईई वेबसाइट पर भी अपलोड किया गया।
- एयर कंडीशनर के दक्ष उपयोग को बढ़ावा देने के लिए, बीईई ने '24 डिग्री' अभियान विकसित किया।
- सितंबर/अक्टूबर, 2019 के दौरान भारत के सभी 22 ट्राई सर्कल में 1 करोड़ पुश संदेशों के माध्यम से '24 डिग्री' अभियान को बढ़ावा दिया गया। इस अभियान का प्रचार निम्नलिखित साधनों का उपयोग करके किया गया:
 - ♦ प्रचार सामग्री का निर्माण (दो प्रकार के पोस्टर, तीन प्रकार के स्टिकर) और सभी एसडीए और नामित ग्राहकों को वितरण।



- प्रदर्शनियों के दौरान आवश्यकता अनुरूप संदेशों वाले मग, छाता, पेन, आदि का वितरण।
- सीपीडब्ल्यूडी/पीडब्ल्यूडी/एसडीए के माध्यम से पेशेवरों और ऑपरेटरों को 1000 मेटेओ कार्ड (स्थान तापमान मापने के कार्ड) का वितरण।

1.5 राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार और चित्रकला प्रतियोगिता

1.5.1 राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार

जागरूकता और आउटरीच कार्यक्रम के तहत महत्वपूर्ण प्रयासों में से एक ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार रहा है। ऊर्जा दक्षता और इसके संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए, विद्युत मंत्रालय के मार्गदर्शन में बीईई, हर साल 14 दिसंबर को मनाए जाने वाले राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के अवसर पर ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार प्रदान करके ऊर्जा की खपत को कम करने में औद्योगिक इकाइयों, संस्थानों और प्रतिष्ठानों के प्रयासों को मान्यता देता है और उन्हें प्रोत्साहित करता है।

यह पुरस्कार पहली बार 14 दिसंबर, 1991 को दिया गया था, जिसे 'राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस' के रूप में घोषित किया गया था। तब से, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार (एनईसीए) सभी हितधारकों का ध्यान आकर्षित कर रहा है और इतने साल दर साल भागीदारी के स्तर को बढ़ाया है। ये पुरस्कार ऊर्जा संरक्षण दिवस पर प्रतिष्ठित गणमान्य व्यक्तियों और सर्वोच्च पदाधिकारियों जैसे महामहिम राष्ट्रपति, माननीय प्रधानमंत्री और माननीय केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आदि द्वारा प्रदान किए जाते हैं।

वर्ष 2019 के लिए, पुरस्कार समिति ने प्रथम पुरस्कार के लिए 18 इकाइयों, द्वितीय पुरस्कार के लिए 13 इकाइयों, प्रमाणपत्र की मेरिट के लिए 28 इकाइयों और वर्ष के अति ऊर्जा दक्ष उपकरणों के लिए 7 पुरस्कारों का चयन किया है।

14 दिसम्बर, 2019 को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय में विद्युत तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री श्री आर.के. सिंह, राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) की गरिमामयी उपस्थिति में मनाया गया।



एनईसीए 2019 में 355 इकाइयों ने भाग लिया है और सामूहिक रूप से 6,283 करोड़ रुपए की वार्षिक मौद्रिक बचत और 10,588 मिलियन यूनिट विद्युत ऊर्जा की बचत की।

उद्योग, भवन, परिवहन, संस्थानों और ऊर्जा दक्ष उपकरण निर्माताओं के पुरस्कार विजेताओं की सूची इस प्रकार है:

राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2019

क्र.सं.	श्रेणी	क्षेत्र	इकाइयों की संख्या	प्रथम पुरस्कार	द्वितीय पुरस्कार	योग्यता प्रमाण-पत्र
1	उद्योग	रसायन	9	ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड, केमिकल डिवीजन, रेहला, जिला पलामू (झारखंड)	बीईईपीईई कोटिंग्स प्रा. लिमिटेड, आनंद (गुजरात)	जुबिलेंट लाइफ साइंसेज लिमिटेड, यूनिट-1, जिला भरुच, (गुजरात)
2		उपभोक्ता वस्तुएं	7	पैनासोनिक लाइफ सॉल्यूशंस इंडिया प्रा. लिमिटेड, ग्राम भीमपोर, नानी दमन (दमन और दीव)	सैमसंग इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड, नोएडा (उत्तर प्रदेश)	गोदरेज एंड बॉयस मेनुफेक्चरिंग कंपनी लिमिटेड., मोहाली (पंजाब)
3		विनिर्माण	20	एनडुरेंस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ट्रांसमिशन प्लांट, औरंगाबाद (महाराष्ट्र)	ग्रेनुएल्स ओमनी केम. प्रा. लिमिटेड, विशाखापत्तनम (आंध्र प्रदेश)	1. सुब्रोस लिमिटेड, आईएमटी मानेसर (हरियाणा) 2. किलोस्कर ऑयल इंजन लिमिटेड, नासिक (महाराष्ट्र)
4		खाद्य तेल / वनस्पति	3	-	-	केटीवी हेल्थ फूड प्रा. लिमिटेड, जिला तिरुवल्लुर (तमिलनाडु)
5		ढलाई कारखाने	22	टेक्नोसिस्टम्स, बेलगाम (कर्नाटक)	पोरवाल ऑटो कंपोनेंट्स लिमिटेड, जिला धार (मध्य प्रदेश)	बकगियाम इंजी. वर्क्स-फाउंड्री डिवीजन, कोयम्बटूर (तमिलनाडु)
6		एकीकृत इस्पात संयंत्र	14	राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, विशाखापत्तनम स्टील प्लांट, विशाखापत्तनम, (आंध्र प्रदेश)	टाटा स्टील लिमिटेड, कलिंगनगर, जाजपुर (ओडिशा)	सेल, आईआईएससीओ स्टील प्लांट, जिला पश्चिम बर्दवान (पश्चिम बंगाल)
7		आयुध निर्माणी	38	आयुध निर्माणी मेडक, जिला संगारेड्डी (तेलंगाना)	गोला बारुद कारखाना, खड़की, पुणे (महाराष्ट्र)	1. गन कैरिज फैक्ट्री, जबलपुर (मध्य प्रदेश) 2. आयुध निर्माणी, दमदम, कोलकाता (पश्चिम बंगाल)
8		पेट्रोरसायन	5	गेल इंडिया लिमिटेड, पाटा, औरैया (उत्तर प्रदेश)	-	हल्दिया पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड, हल्दिया, जिला पूर्वा मेदनीपुर (पश्चिम बंगाल)
9		स्पंज आयरन	9	नलवा स्टील एंड पावर लिमिटेड, रायगढ़ (छत्तीसगढ़)	किलोस्कर फेरस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जिला कोप्पल (कर्नाटक)	जेएसडब्ल्यू स्टील कोटेड प्रोडक्ट्स लिमिटेड, कलमेश्वर, जिला नागपुर (महाराष्ट्र)
10		वस्त्र (बड़ा)	43	अरविंद लिमिटेड, गांधीनगर (गुजरात)	-	1. जीबीटीएल लिमिटेड (जिसे पूर्व में ग्रासिम भिवानी टेक्सटाइल्स लिमिटेड के नाम से जाना जाता था), भिवानी (हरियाणा) 2. ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड, यूनिट-जया श्री टेक्सटाइल्स, रिशरा - (पश्चिम बंगाल) 3. रेमंड लिमिटेड, वलसाड, (गुजरात)
	वस्त्र (छोटा)		जैनिटेक्स सूरत, (गुजरात)	बीएमडी प्रा. लिमिटेड, बांसवाड़ा, (राजस्थान)	ऋषभ स्पिनिंग मिल्स, लुधियाना, (पंजाब)	



क्र.सं.	श्रेणी	क्षेत्र	इकाइयों की संख्या	प्रथम पुरस्कार	द्वितीय पुरस्कार	योग्यता प्रमाण-पत्र
11		रेलवे उत्पादन इकाइयाँ	21	डीजल लोको आधुनिकीकरण वर्क्स, पटियाला (पंजाब)	क्रियरंजन लोकोमोटिव वर्क्स, पश्चिम बर्दवान (पश्चिम बंगाल)	इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, चेन्नई (तमिलनाडु)
12	परिवहन	जोनल रेलवे	15	पश्चिम रेलवे, बर्नगोट, मुंबई (महाराष्ट्र)	उत्तर रेलवे, बड़ीदा हाउस (नई दिल्ली)	1. दक्षिण मध्य रेलवे, सिकंदराबाद (तेलंगाना) 2. दक्षिणी रेलवे, चेन्नई (तमिलनाडु)
13		मेट्रो रेलवे	3	लखनऊ मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, लखनऊ (उत्तर प्रदेश)	—	—
14		मेट्रो स्टेशन	15	मंडी हाउस मेट्रो स्टेशन, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (नई दिल्ली)	—	जनपथ मेट्रो स्टेशन, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (नई दिल्ली)
15	भवन	इंजीनियरिंग संस्थान / विश्वविद्यालय	35	गीता विद्या मंदिर गर्ल्स कॉलेज, सोनीपत (हरियाणा)	इंडियन रेलवे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग संस्थान (आईकारआईईईएन), नासिक रोड, (महाराष्ट्र)	1. इलेक्ट्रिक ट्रेक्सन ट्रेनिंग सेंटर, विजयवाड़ा डिबीजन, दक्षिण मध्य रेलवे, विजयवाड़ा (आंध्र प्रदेश) 2. सेंट टेरेसा कॉलेज (स्वायत्त), एर्नाकुलम (केरल)
		स्कूल		रेलवे सीनियर सेकेंडरी स्कूल, सलेम डिबीजन, दक्षिणी रेलवे, इरोड (तमिलनाडु)	—	रेलवे मिक्सड हाई स्कूल, पोचनूर, सैलम डिबीजन दक्षिणी रेलवे, सैलम (तमिलनाडु)
16	संस्थान	राज्य नामित एजेंसियाँ	18	ऊर्जा प्रबंधन केंद्र - केरल	महाराष्ट्र ऊर्जा विकास एजेंसी (एमईवीए)	1. उत्तर प्रदेश नई और नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी (यूपीएनईवीए) 2. नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा विभाग, इरोड (हरियाणा)
17		सीपीएलएचयूडी, पीएचईडी और राज्य पीएलएचयूडी के लिए निष्पादन पुरस्कार	38	लेखा भवन, सिकंदराबाद (तेलंगाना)	मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय, पश्चिम रेलवे, राजकोट (गुजरात)	1. कर्केगुडा डेवेलपमेंट बिल्डिंग, सिकंदराबाद (तेलंगाना) 2. मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय, भावनगर (गुजरात)
18		वित्तीय संस्थान (बैंक / एनबीएफसी)	3	—	—	भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (एसआईडीबीव्हाई) (नई दिल्ली)

क्र. सं.	श्रेणी	उपकरण	अनुप्रयोगों की संख्या	मॉडलों की संख्या	वर्ष के अधिकांश ऊर्जा दक्ष उपकरण
19	वर्ष के अति ऊर्जा दक्ष उपकरण	एयर कंडीशनर (स्थिर गति और परिवर्तनीय गति एसी)	35	369	एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया प्रा. लिमिटेड, ग्रेटर नोएडा (उत्तर प्रदेश) (मॉडल नं.- केएस-क्यू, 18ईएनजेडए)
		छत के पंखे		23	1. क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, पोंडा (गोवा) (मॉडल नं. एचएस प्लस) 2. उषा इंटरनेशनल लिमिटेड, गुडगांव (हरियाणा) (मॉडल नंबर- एनर्जिया)
		रेफ्रिजरेटर (डायरेक्ट कूल रेफ्रिजरेटर और फ्रॉस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर)		402	गोदरेज एंड बॉयस मैनुफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड, मुंबई (महाराष्ट्र) (मॉडल नंबर आरडी एज प्रो 190 पीडीएस आईएनवी 5.2)
		स्टोरेज वॉटर हीटर		259	हैवेल्स इंडिया लिमिटेड, सेक्टर-126, एक्सप्रेसवे, नोएडा (उत्तर प्रदेश) (मॉडल नं. पुरो टर्बो 25)
		पंप (मोनोसैट, ओपन वेल, सबमर्सिबल पंप)		123	सीआरआई पंप्स प्राइवेट लिमिटेड, कोयम्बटूर (तमिलनाडु) (मॉडल संख्या- सीआरआई 4आर-5 / 07)
		रंगीन टेलीविजन		0	कोई प्रतिभागी न होने के कारण कोई पुरस्कार या प्रमाण-पत्र नहीं दिया गया
		एलईडी बल्ब		51	क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, बड़ौदा (गुजरात) (मॉडल नं. 9 वॉट एलईडी बल्ब सीडीएल)
		डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर्स		37	समूह में केवल एक प्रतिभागी होने के कारण कोई पुरस्कार या प्रमाण-पत्र नहीं दिया गया



1.5.2 स्कूली बच्चों के लिए ऊर्जा संरक्षण पर चित्रकला प्रतियोगिता

विद्युत मंत्रालय की ओर से बीईई ने 11 पीएसयू और एसडीए की मदद से ऊर्जा संरक्षण पर राष्ट्रीय चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया। वर्ष 2019 में, जुलाई, 2019 से अक्टूबर, 2019 तक स्कूल स्तरीय चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस संबंध में सितंबर, 2019 के महीने में सभी 36 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में विज्ञापन जारी करके सार्वजनिक घोषणा की गई थी।

राज्य स्तरीय चित्रकला प्रतियोगिता का सभी राज्यों/संघशासित प्रदेशों में 14 नवंबर, 2019 को आयोजन किया गया। श्रेणी 'क' के लिए राष्ट्रीय स्तरीय प्रतियोगिता (4, 5 और 6 कक्षा के लिए) एनटीपीसी लिमिटेड, नोएडा (उत्तर प्रदेश) द्वारा आयोजित की गई और श्रेणी 'ख' के लिए राष्ट्रीय स्तरीय प्रतियोगिता (7, 8 और 9 कक्षा के लिए) पावरग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा गुरुग्राम, हरियाणा में 12 दिसंबर, 2019 को आयोजित की गई थी।

स्कूल प्रिंसिपल ने प्रत्येक श्रेणी से 2 सर्वश्रेष्ठ चित्रकलाओं का चयन किया और उन्हें राज्य स्तरीय चित्रकला प्रतियोगिता के लिए आगे के चयन के लिए भेजा। प्रख्यात ज्युरी ने प्रत्येक श्रेणी से 50 सर्वश्रेष्ठ चित्रकलाओं का चयन किया। 50 चयनित छात्रों ने अपने-अपने राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में प्रत्येक श्रेणी में भाग लिया। 36 राज्यों और यूटीएस से प्रत्येक श्रेणी के प्रथम, द्वितीय और तृतीय विजेताओं को राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया था।

राष्ट्रीय चित्रकला प्रतियोगिता में देश भर के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कक्षा IV से IX तक के 84 लाख से अधिक स्कूली बच्चों की भागीदारी देखी गई। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस – 14 दिसंबर, 2019 को प्रत्येक श्रेणी (श्रेणी 'क' और श्रेणी 'ख') से छात्रों को 13 पुरस्कार (पहला, दूसरा, तीसरा और 10 सांत्वना पुरस्कार) प्रदान किए गए।

राष्ट्रीय चित्रकला प्रतियोगिता-2019 की भागीदारी स्थिति

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	छात्र भागीदारी (श्रेणी 'क' और श्रेणी 'ख')
आंध्र प्रदेश	3487
अरुणाचल	18,157
असम	5,43,210
बिहार	32,461
छत्तीसगढ़	38,610
गोवा	21,545
गुजरात	13,671
हरियाणा	23,15,573
हिमाचल प्रदेश	7,27,876
जम्मू और कश्मीर	10,863

राज्य / संघ राज्य क्षेत्र	छात्र भागीदारी (श्रेणी 'क' और श्रेणी 'ख')
झारखंड	2,19,450
कर्नाटक	42,729
केरल	4717
मध्य प्रदेश	11,85,134
महाराष्ट्र	19,539
मणिपुर	54,941
मेघालय	6625
मिजोरम	4,583
नगालैंड	4360
ओडिशा	6,15,100
पंजाब	7,27,859
राजस्थान	6831
सिक्किम	11,124
तमिलनाडु	52,342
तेलंगाना	24,284
त्रिपुरा	4,970
उत्तर प्रदेश	2,34,706
उत्तराखंड	18,766
पश्चिम बंगाल	76,432
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	3,058
चंडीगढ़	49,370
दादरा और नगर हवेली	12,685
दमन और दीव	4,530
लक्षद्वीप	629
पुदुचेरी	26,797
दिल्ली	12,80,136



1.6 शासी परिषद संरचना

ब्यूरो के मामलों का सामान्य अधीक्षण, निर्देशन और प्रबंधन शासी परिषद में निहित है जिसमें कम से कम बीस और अधिकतम छब्बीस सदस्य होते हैं, जिनकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। शासी परिषद में निम्नलिखित सदस्य होते हैं:

- (क) केंद्र सरकार के विद्युत का कार्यभार देखने वाले मंत्रालय या विभाग के प्रभारी मंत्री
— पदेन अध्यक्ष
- (ख) विद्युत का कार्यभार देखने वाले भारत सरकार के सचिव, केंद्र सरकार के मंत्रालय या विभाग के प्रभारी
— पदेन सदस्य
- (ग) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का कार्यभार देखने वाले भारत सरकार के सचिव, केंद्र सरकार के मंत्रालय या विभाग के प्रभारी
— पदेन सदस्य
- (घ) कोयला का कार्यभार देखने वाले भारत सरकार के सचिव, केंद्र सरकार के मंत्रालय या विभाग के प्रभारी
— पदेन सदस्य
- (ङ) गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का कार्यभार देखने वाले भारत सरकार के सचिव, केंद्र सरकार के मंत्रालय या विभाग के प्रभारी
— पदेन सदस्य
- (च) परमाणु ऊर्जा का कार्यभार देखने वाले भारत सरकार के सचिव, केंद्र सरकार के मंत्रालय या विभाग के प्रभारी
— पदेन सदस्य
- (छ) उपभोक्ता मामलों का कार्यभार देखने वाले भारत सरकार के सचिव, केंद्र सरकार के मंत्रालय या विभाग के प्रभारी
— पदेन सदस्य
- (ज) केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के अध्यक्ष
— पदेन सदस्य
- (झ) केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान के महानिदेशक
— पदेन सदस्य
- (ञ) पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ के कार्यकारी निदेशक
— पदेन सदस्य
- (ट) सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइनिंग इंस्टीट्यूट लिमिटेड के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
— पदेन सदस्य
- (ठ) भारतीय मानक ब्यूरो के महानिदेशक
— पदेन सदस्य

- (ड) महानिदेशक, नेशनल टैस्ट हाउस, आपूर्ति विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
– पदेन सदस्य
- (ढ) भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक
– पदेन सदस्य
- (ण) केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाले क्षेत्र के राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले पांच विद्युत क्षेत्रों में से एक सदस्य
– सदस्य
- (त) केंद्र सरकार द्वारा ऐसे कम से कम चार व्यक्तियों को सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाएगा जो केंद्र सरकार की राय में उद्योग, उपकरण और उपकरण निर्माताओं, वास्तुकारों और उपभोक्ताओं का प्रतिनिधित्व करने में सक्षम हैं।
– सदस्य
- (थ) शासी परिषद द्वारा कम से कम दो व्यक्तियों को सदस्य के रूप में नामित किया जाएगा।
– सदस्य
- (द) ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के महानिदेशक
– पदेन सदस्य—सचिव



अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

- 2.1 अंतर्राष्ट्रीय द्विपक्षीय कार्यक्रम
- 2.2 अंतर्राष्ट्रीय बहुपक्षीय कार्यक्रम

2.1 अंतर्राष्ट्रीय द्विपक्षीय कार्यक्रम

क. सक्रिय भागीदारी वाले देश

1. भारत-जर्मन ऊर्जा कार्यक्रम

– भारत जर्मन ऊर्जा फोरम (आईजीईएफ)

भारत जर्मन ऊर्जा फोरम के तहत 3 उप-समूह हैं। उप-समूह 1 जीवाश्म ईंधन-आधारित बिजली संयंत्रों की दक्षता बढ़ाने, उप-समूह 2 नवीकरणीय ऊर्जा और उप-समूह 3 मांग पक्ष ऊर्जा दक्षता और अधिक कार्बन उत्सर्जन न हो, की रणनीति बनाने से संबंधित है। उप-समूह 3 में, भारतीय विद्युत मंत्रालय (एमओपी) और जर्मन संघीय आर्थिक कार्य एवं ऊर्जा मंत्रालय (बीएमडब्ल्यूआई), के साथ संघीय पर्यावरण, प्रकृति संरक्षण, भवन और परमाणु सुरक्षा मंत्रालय (बीएमयूबी) अपने-अपने देशों में ऊर्जा दक्षता बढ़ाने के लिए सकारात्मक माहौल बनाने के लिए एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। इसे दोनों देशों में सरकार और निजी क्षेत्र में निर्णय लेने वालों के बीच रचनात्मक संवाद द्वारा प्राप्त किया जाता है।

आईजीईएफ की आठ बैठकें हो चुकी हैं। इसकी पिछली बैठक 1 नवंबर, 2019 को आयोजित हुई थी। उप-समूह 3 बैठक में भारतीय पक्ष की अध्यक्षता श्री अभय बाकरे – महानिदेशक, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा जबकि जर्मन पक्ष की सह-अध्यक्षता डॉ. जॉर्ज माऊ, डिबीजन के उप प्रमुख, ऊर्जा दक्षता सामान्य मुद्दे संघीय आर्थिक कार्य और ऊर्जा मंत्रालय (बीएमडब्ल्यूआई), जर्मनी सरकार द्वारा की गई थी। बैठक में ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई), जर्मनी दूतावास, केएफडब्ल्यू और जीआईजेड के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

दिसंबर 2019 में आईजीईएफ के दौरान जीआईजेड/आईजीईएफ के साथ तीन कार्यान्वयन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए:

- क) ऊर्जा दक्ष शीतलन का कार्यान्वयन समझौता।
- ख) तकनीकी सहयोग परियोजनाओं की तटस्थ लागत के विस्तार के लिए अनुपूरक समझौता
- ग) आईजीईएफ सहायता कार्यालय चरण 4 के लिए कार्यान्वयन समझौता

उप समूह 3 के माध्यम से शुरू की गई गतिविधियां नीचे दी गई हैं:

- आवासीय भवन क्षेत्र में, फ्रुनहोफर संस्थान और टीईआरआई ने संयुक्त रूप से एक ऊर्जा निष्पादन मूल्यांकन उपकरण विकसित किया है जो भारत में आवासीय भवनों में विभिन्न ऊर्जा दक्षता उपायों के लिए ऊर्जा की बचत क्षमता की गणना करता है।
- विभिन्न क्षेत्रों में ऊर्जा दक्षता के लिए एक अंतरराष्ट्रीय इंटरनेट-आधारित ज्ञान मंच विकसित करने के लिए, जर्मन पक्ष ने एक मंच अर्थात् बड़ा ईई स्थापित किया जिसका अर्थ है 'ऊर्जा दक्षता पर सूचना के अभाव को कम करना'।
- '2027 में भारत में क्षेत्र द्वारा प्रशीतन के लिए मांग विश्लेषण' पर एक रिपोर्ट जारी की गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि देश की प्रशीतन ऊर्जा की मांग 2027 तक मौजूदा स्तर से 2.2 गुना बढ़ जाएगी और अगले दशक में यह हस्तक्षेप से 17 प्रतिशत तक की कटौती की जा सकती है। यह इमारतों, मोबाइल एयर

कंडीशनिंग, प्रशीतन, शीत-श्रृंखला और उद्योगों में शीतलन प्रक्रिया में भारत की शीतलन मांग का पता लगाता है, और शीतलन में सबसे बड़ी ऊर्जा और कार्बन बचत के लिए प्रमुख तकनीकी, परिचालन और बाजार कार्यकलापों की पहचान करता है।

- 'भारत में ऊर्जा दक्षता क्षमता' पर जारी की गई रिपोर्ट में ऊर्जा दक्षता उपायों के माध्यम से ऊर्जा और ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को बचाने की क्षमता को दर्शाया गया है।

भारत और जर्मनी के बीच नवंबर, 2019 में आयोजित विकास सहयोग पर वार्ता के दौरान निम्नलिखित पर सहमति व्यक्त की गई:

- जर्मन पक्ष इस्पात, लुगदी और कागज या किसी अन्य समान उद्योग क्षेत्र में ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए ईयूआर 4 मिलियन तक तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।
- जर्मन पक्ष ने ऊर्जा दक्षता निवेश के लिए कम ब्याज पर 150 मिलियन यूरो ऋण की सहायता प्रदान करने की अपनी इच्छा जाहिर की है।



आईजीईएफ बैठक, नवंबर, 2018

यूडीआईटी पोर्टल:

ऊर्जा दक्षता सूचना उपकरण (यूडीआईटी) – डब्ल्यूआरआई और जीआईजेड के सहयोग से और बीएमयूबी द्वारा वित्त-पोषित ऊर्जा दक्षता ब्यूरो का डेटा विजुअलाइजेशन पोर्टल, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो योजनाओं के माध्यम से भारत की ऊर्जा दक्षता स्थिति को दर्शाता है।

खुला पहुंच मंच जागरूकता बढ़ाएगा, नीति निर्माताओं, पत्रकारों, उद्योगपतियों और शोधकर्ताओं के बीच कार्रवाई को प्रोत्साहित करेगा ताकि उपलब्ध डेटा से बेहतर निर्णय लेने में सक्षम हो सके, और बीईई के लक्ष्यों और भारत के जलवायु लक्ष्यों में उनके योगदान के अनुसार प्रगति पर नजर रखकर निगरानी और मूल्यांकन प्रणालियों को बढ़ाया जा सके। इसका उद्देश्य साक्ष्य-आधारित, डेटा-चालित नीति निर्णयों के लिए प्रणाली विकसित करना है।

डेटा विजुअलाइजेशन प्लेटफॉर्म विभिन्न योजनाओं में ऊर्जा बचत एवं खपत और उत्सर्जन में कमी के त्वरित आंकड़े प्रदान करके नीति निर्माताओं को ऊर्जा दक्षता नीतियों पर वर्तमान आंकड़ों के साथ-साथ पुराने आंकड़े प्राप्त करने में मदद करेगा।

— भारत जर्मन ऊर्जा कार्यक्रम (आईजीईएन)

ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में भारत-जर्मन तकनीकी सहयोग 1995 से चल रहा है, जब टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान, बेंगलूर के माध्यम से ऊर्जा प्रबंधन केंद्र, जो ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) का पूर्व संगठन है, द्वारा भारत-जर्मन ऊर्जा दक्षता परियोजना का मई, 1995 में शुभारंभ किया गया था। यह परियोजना सितंबर, 2000 में पूरी हो गई थी। ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के बनाए जाने और 1 मार्च, 2002 को ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की स्थापना से ऊर्जा संरक्षण अधिनियम की नीतियों और कार्यक्रमों की सहायता के उद्देश्य से 'भारत-जर्मन ऊर्जा कार्यक्रम (आईजीईएन) ऊर्जा संरक्षण अधिनियम की योजना के तहत ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में सहयोग जारी रहा है।

जीआईजेड ने निम्नलिखित गतिविधियों के लिए टीए सहायता प्रदान करने पर विचार किया है:

- बीईई और जीआईजेड ने आईजीईएन के ढांचे के तहत आवासीय भवनों के क्षेत्र में सहयोग करने के लिए अनुपूरक समझौते (आईजीईएन के तहत बीईई और जीआईजेड के बीच मौजूदा कार्यान्वयन समझौते के संदर्भ में) पर हस्ताक्षर किए हैं।
- एक ऑनलाइन टूल – इको-निवास को बीईई और जीआईजेड द्वारा संयुक्त रूप से जनता के मार्गदर्शन के लिए विकसित किया गया है ताकि वे अपने घरों में ऊर्जा दक्षता घटकों जैसे भवन निर्माण सामग्री, इसकी डिजाइन विशेषताओं और उपकरणों को लगाएं।
- पीएटी चक्र-। को सफलतापूर्वक पूरा करने में जर्मन का सहयोग उल्लेखनीय रहा है और नए क्षेत्रों को शामिल करने के साथ-साथ पीएटी के मौजूदा क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले उद्योगों की कवरेज का विस्तार करके पीएटी के बाद के चक्रों में भागीदारी जारी रखी गई है। इसके अलावा, आवासीय भवनों के क्षेत्र में ऊर्जा दक्षता की पैठ बनाने के लिए, बीईई और जीआईजेड बहु-मंजिला आवासीय भवनों के लिए ऊर्जा दक्षता भवन कोड तैयार करने के लिए एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं।

- जीआईजैड के माध्यम से वार्षिक राष्ट्रीय चित्रकला प्रतियोगिता और राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार आयोजित करने के लिए बीईई को सहायता।
- नई बड़ी आवासीय इमारतों के लिए राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता मानकों के विकास के लिए तकनीकी सहायता।
- नए बहुमंजिला आवासीय भवन में ऊर्जा दक्षता मानकों को अनिवार्य रूप से लागू करने से संबंधित प्रावधानों को शामिल करने के लिए सहायता।



बीईई के 19वें स्थापना दिवस के अवसर पर जीआईजैड के अधिकारीगण

2. भारत-जापान ऊर्जा वार्ता

दिसंबर, 2008 में भारत के माननीय प्रधानमंत्री की जापान यात्रा के परिणामस्वरूप, योजना आयोग के उपाध्यक्ष और आर्थिक व्यापार और उद्योग मंत्रालय एमईटीआई के मंत्री की सह-अध्यक्षता में ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए भारत-जापान ऊर्जा वार्ता शुरू की गई थी। जापान-भारत ऊर्जा वार्ता की 9वीं बैठक, जापान के महामहिम श्री हिरोशिगे सेको, आर्थिक, व्यापार और उद्योग मंत्री (एमईटीआई) की अध्यक्षता में, और भारत के महामहिम श्री राज कुमार सिंह, विद्युत तथा नदीन और नदीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री की अध्यक्षता में 1 मई, 2018 को आयोजित की गई थी।

— **शुरू की गई गतिविधियाँ**

● **ऊर्जा संरक्षण दिशानिर्देश और ऊर्जा प्रबंधन नियमावली का विकास**

ऊर्जा संरक्षण दिशानिर्देशों और ऊर्जा प्रबंधन नियमावली, जिसका जापान में उद्योग द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है, के बारे में चर्चा करने के लिए ऊर्जा दक्षता ब्यूरो में 17 नवंबर, 2016 को एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में ऊर्जा संरक्षण ब्यूरो (बीईई), ऊर्जा संरक्षण केंद्र, जापान (ईसीसीजे), ऊर्जा और संसाधन संस्थान (टीईआरआई) और नामित उपभोक्ता (डीसी) विभिन्न उद्योग उप-क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिकारियों ने भाग लिया। इस बैठक में जापान में उद्योगों द्वारा उपयोग किए जा रहे ऊर्जा संरक्षण दिशानिर्देश और ऊर्जा प्रबंधन नियमावली के फायदों पर प्रकाश डाला गया। ये दिशानिर्देश और नियमावली भारतीय उद्योगों को ऊर्जा दक्षता हासिल करने में मदद करेंगी।

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने ऊर्जा संरक्षण केंद्र, जापान के परामर्श से बड़े ऊर्जा गहन उद्योगों के लिए ऊर्जा संरक्षण दिशानिर्देश विकसित किए हैं। ऊर्जा संरक्षण के दिशानिर्देशों का मसौदा सार्वजनिक टिप्पणी और समकक्ष समीक्षा के लिए नई दिल्ली में 1 अगस्त, 2018 को जारी किया गया था। तत्पश्चात्, बड़े उद्योगों के लिए अंतिम ऊर्जा संरक्षण दिशानिर्देशों को माननीय विद्युत राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री आर. के. सिंह द्वारा 24 सितंबर, 2018 को नई दिल्ली में जारी किया गया था।

इसके अलावा, ऊर्जा संरक्षण दिशानिर्देशों को लागू करने और ऊर्जा प्रबंधन नियमावली का विकास करने के लिए, विभिन्न पीएटी क्षेत्रों से 9 मॉडल फैक्टरियों का चयन किया गया था। मॉडल फैक्टरियों की सहायता करने और कृच्छेक ऊर्जा खपत उपकरणों या उपयोगिता के लिए नियमावली का नमूना तैयार करने के लिए पहले जापानी विशेषज्ञ ने 3 से 7 दिसंबर तक भारत का दौरा किया जिसे बाद में अन्य उपकरणों के लिए दोहराया जा सकता है। सभी 9 मॉडल फैक्टरियों द्वारा तैयार की गई ऊर्जा प्रबंधन नियमावली के मसौदे की समीक्षा करने और उस पर टिप्पणी करने के लिए भारतीय पर्यावास केन्द्र, नई दिल्ली में 7 दिसंबर, 2018 को भारत में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया।

ऊर्जा प्रबंधन नियमावली तैयार करने की अंतरिम समीक्षा करने और ईसी दिशानिर्देशों के अनुसार ऊर्जा प्रबंधन नियमावली को सौंपने और उसका उपयोग करने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए ईसीसीजे द्वारा टोक्यो, जापान में 21-25 जनवरी, 2019 के दौरान एक कार्यशाला का आयोजन किया गया।

कॉर्पोरेशन की चल रही परियोजनाओं और भावी क्षेत्रों के निष्कर्षों की समीक्षा करने के लिए भारत-जापान ऊर्जा वार्ता के तहत ऊर्जा दक्षता (ईईडब्ल्यूजी) पर कार्य समूह की एक बैठक 20 फरवरी, 2019 को ऊर्जा दक्षता ब्यूरो में श्री अभय बाकरे, महानिदेशक, बीईई और श्री मासायोमी कोयामा, निदेशक, एमईटीआई की सह-अध्यक्षता में हुई।



सितंबर, 2019 में नए डीसी में ईसी दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन के लिए कार्यशाला ईसीसीजे, जापान द्वारा ऊर्जा संरक्षण दिशानिर्देशों के अनुपालन के लिए सत्यापन प्रणाली के विकास पर एक कार्यशाला जनवरी, 2020 में आयोजित की गई थी। भारतीय प्रतिनिधिमंडल में बीईई और एसडीए के अधिकारी शामिल थे।



ईईसीजे कार्यशाला, टोक्यो, जापान, 21-25 जनवरी, 2018

3. भारत-अमेरिका सहयोग

भारत-अमेरिका ऊर्जा वार्ता मई, 2005 में शुरू की गई थी और इसके निम्नलिखित उद्देश्य हैं:

- परस्पर ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाना,
- बढ़ते ऊर्जा व्यापार और निवेश को बढ़ावा देना,
- स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के इस्तेमाल की सुविधा।

अमेरिकी ऊर्जा विभाग का कार्यालय ऊर्जा दक्षता और नवीकरणीय ऊर्जा (ईईआरई) और भारत का ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) विद्युत और ऊर्जा दक्षता कार्य समूह के संरक्षण में सहयोग करता है। सहयोग का मुख्य लक्ष्य ऊर्जा दक्ष नीतियों और सर्वोत्तम प्रथाओं के विकास और कार्यान्वयन में सहायता देना था जो राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता लक्ष्यों और ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में महत्वपूर्ण कटौती को प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं। कार्य समूह (विद्युत और ऊर्जा दक्षता) में चयनित परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए, 'उन्नत स्वच्छ ऊर्जा में भागीदारी - तैनाती (पीएसीई-डी)' कार्यक्रम भवन ऊर्जा दक्षता, ऊर्जा दक्षता वित्त-पोषण और संस्थागत सुदृढ़ता के क्षेत्रों में काम कर रहा है।

पीएसीई-डी के तहत सहयोग की अवधि जून, 2017 में पूरी हुई और वर्तमान में, बीईई और यूएसएआईडी भवन ऊर्जा दक्षता और उपकरणों के क्षेत्रों में वार्षिक कार्य योजना तैयार करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं।

वर्तमान प्रगति:

नए 'भारत-अमेरिका रणनीतिक ऊर्जा भागीदारी' के तहत निम्नलिखित नए संयुक्त कार्य समूहों का गठन किया गया है, जिसकी सह-अध्यक्षता पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा की जाती है। बीईई विद्युत और ऊर्जा दक्षता पर संयुक्त कार्य समूह का हिस्सा है।

तेल और गैस पर संयुक्त कार्य समूह

विद्युत और ऊर्जा दक्षता पर संयुक्त कार्य समूह

स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा पर संयुक्त कार्य समूह

कोयला पर संयुक्त कार्य समूह

बिजली और ऊर्जा दक्षता पर संयुक्त कार्य समूह के तहत, बीईई द्वारा तीन नए प्रस्तावों पर कार्रवाई करने की परिकल्पना की गई है, जो इस प्रकार हैं -

क. मैत्री (ऊर्जा दक्षता पहल के लिए बाजार और रूपांतरण) भवनों, स्थायी प्रशीतन तथा प्रशिक्षण और आउटरीच में ऊर्जा दक्षता पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। कार्यक्रम की अवधि अक्टूबर, 2018 से सितंबर, 2019 तक है। कार्यक्रम के तहत प्रस्तावित तीन कार्य इस प्रकार हैं:

कार्य-1 ईसीबीसी कार्यान्वयन सहायता: दिल्ली और महाराष्ट्र ईसीबीसी सेल को तकनीकी सहायता। ऑनलाइन ईसीबीसी अनुपालन उपकरण एकीकरण।



कार्य-2 वाणिज्यिक भवन ऊर्जा दक्षता लेबलिंग कार्यक्रम को बढ़ाना।

कार्य-3 ईसीबीसी उत्कृष्टता केंद्र को विकास सहायता।

ख. भारत की ऊर्जा उत्पादकता रूपरेखा तैयार करना।

ग. स्पेस कूलिंग पर एलबीएनएल के साथ संयुक्त अध्ययन

इसके अलावा, बीईई ने 4 जून, 2019 को अमेरिका-भारत कार्यनीतिक ऊर्जा भागीदारी के तहत विद्युत और ऊर्जा दक्षता पिलर के डिजिटल वीडियो सम्मेलन (डीवीसी) में भाग लिया, जिसमें बीईई ने सहयोग के लिए तीन क्षेत्रों पर प्रकाश डाला, जो ईसीबीसी अनुपालन का एक ऑनलाइन घटक; वाणिज्यिक भवनों का लेबलिंग कार्यक्रम; यूएसएआईडी के मैत्री कार्यक्रम के तहत कवर किए जाने वाले देश में भवन ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने वाला एक शून्य ऊर्जा भवन कार्यक्रम है। इसके अलावा, बीईई और अमेरिकी-डीओई/यूएसएआईडी अधिकारियों के बीच एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें अमेरिका-भारत कार्यनीतिक ऊर्जा भागीदारी के तहत ऊर्जा दक्षता पिलर के तहत विद्युत और डिजिटल वीडियो सम्मेलन (डीवीसी) के माध्यम से 4 जून, 2019 को बैठक के दौरान हुई चर्चा के अनुसार ऊर्जा दक्षता से संबंधित सभी विषयों पर समय-सीमा सहित एक संयुक्त कार्ययोजना तैयार की गई।

4. भारत-ब्रिटेन

नवंबर, 2018 में भारत के माननीय प्रधानमंत्री की ब्रिटेन यात्रा के दौरान भारत और ब्रिटेन के बीच ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग के लिए एक समझौता-ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए थे।

यह समझौता-ज्ञापन ब्रिटेन द्वारा शुरू की गई संबंधित परियोजनाओं के माध्यम से तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए ढांचा प्रदान करता है, जिसमें परस्पर सहमति के रूप में अन्य सहायता भी शामिल है। समझौता-ज्ञापन समय-समय पर परियोजना से संबंधित समझौतों के विकास को भी प्रोत्साहित करता है।

अधिकांश प्रगति औद्योगिक ऊर्जा दक्षता पर ज्ञान आदान-प्रदान प्लेटफॉर्म (केईपी) के लिए ब्रिटेन की सहायता पर केंद्रित है।

शुरू किए गए कार्यक्रमलाप

- तीन क्षेत्रों (पेट्रोलियम रिफाइनरी, सीमेंट, और एल्युमीनियम) के लिए क्षेत्र स्तरीय सर्वश्रेष्ठ प्रथा/प्रौद्योगिकी आदान-प्रदान कार्यक्रम आयोजित किए गए। इन कार्यशालाओं ने सर्वोत्तम प्रथाओं/प्रौद्योगिकियों और इसके फायदों के बारे में बताया तथा अंतर्राष्ट्रीय तकनीकों और सेवाओं (ब्रिटेन सहित) के बारे में जागरूकता पैदा करने में मदद की।
- भारतीय पर्यावास केंद्र, नई दिल्ली में 8 से 9 मार्च, 2018 तक सतत औद्योगिक विकास के लिए ऊर्जा दक्षता और स्वच्छ उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु राष्ट्रीय कार्यशाला-सह-प्रौद्योगिकी प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इसने विभिन्न समूहों में ऊर्जा दक्षता पर सर्वोत्तम प्रथाओं, प्रौद्योगिकियों और दृष्टिकोणों का आदान-प्रदान किया, और ब्रिटेन प्रौद्योगिकी आपूर्तिकर्ताओं को अपने उत्पादों और सेवाओं (जैसे, पावर स्टार, ब्रिस्टल ब्लू ग्रीन लिमिटेड, एसईएबी एनजी) को प्रदर्शित करने के लिए एक मंच प्रदान किया।

- सहभागी लेखा-परीक्षा, संयंत्र के क्षमता निर्माण से 21 मिलियन किलो वॉट घंटा/वर्ष ऊर्जा बचत हुई; 4 महीने में सीमेंट, कपड़ा और एल्युमीनियम के 7 संयंत्रों में 652 टन/वर्ष कोयले – और 8 कि.ली. तेल/वर्ष का उपयोग नहीं हुआ। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के कार्यालय में ऊर्जा दक्षता पर कार्य बल की एक बैठक 16 अगस्त, 2018 को आयोजित की गई थी। 13 सितंबर, 2018 को होने वाली ऊर्जा वार्ता के लिए ऊर्जा दक्षता पर कार्य बल की दूसरी बैठक में यह निर्णय लिया गया कि प्रस्तावित घोषणाओं में से एक घोषणा औद्योगिक ऊर्जा दक्षता पर ज्ञान आदान-प्रदान मंच का विस्तार करने से संबंधित होगी। बीईई ने 'भारत-ब्रिटेन – ऊर्जा और हरित विकास पर तकनीकी सहायता के नए भागीदारी कार्यक्रम' पर अवधारणा नोट और तकनीकी पीपीआर पर अपनी टिप्पणी प्रदान की है और भावी कार्यक्रमों में तकनीकी सहयोग के क्षेत्रों और विषयों का उल्लेख किया है।

5. भारत-स्विट्जरलैंड

इंडो-स्विस भवन ऊर्जा दक्षता परियोजना (बीईईपी) भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय (एमओपी) और स्विस परिसंघ के संघीय विदेश विभाग (एफडीएफए) के बीच एक द्विपक्षीय सहयोग है। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई), विद्युत मंत्रालय की ओर से जबकि एफडीएफए की ओर से स्विस एजेंसी फॉर डेवलपमेंट एंड कोऑपरेशन (एसडीसी) कार्यान्वयन एजेंसी है।

मंत्रिमंडल, भारत सरकार के अनुमोदन के परिणामस्वरूप, भारत में नई इमारतों में ऊर्जा की खपत को कम करने के समग्र उद्देश्य के साथ पांच साल की संयुक्त परियोजना के लिए 8 नवंबर, 2011 को दोनों सरकारों के बीच हस्ताक्षर किए जो 7 नवंबर, 2016 तक वैध थे। 2011-2016 के दौरान परियोजना के सफल कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप दोनों सरकारों में 5 वर्षों के लिए समझौता-ज्ञापन का विस्तार करने पर सहमत हुई। इसलिए, बीईईपी के अनुवर्ती चरण (8 नवंबर, 2016-7 नवंबर, 2021) के लिए समझौता-ज्ञापन के विस्तार पर नवंबर, 2016 में हस्ताक्षर किए गए थे। अनुवर्ती चरण के समझौता-ज्ञापनों को दोनों देशों के बीच श्री पीयूष गोयल, तत्कालीन विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री, भारत सरकार की उपस्थिति में बीईईपी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में 28 नवंबर, 2016 को आदान-प्रदान किया गया था।

द्विपक्षीय (वित्त वर्ष 2019-20) के तहत पूरी की गई गतिविधियाँ:

- **इको-निवास संहिता कार्यान्वयन:** आवासीय भवनों या इको-निवास संहिता (ईएनएस) के लिए ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता के लागू होने के साथ ही बीईईपी बीईई को तकनीकी सहायता प्रदान कर रहा है। क्षेत्रीय जागरूकता कार्यशालाओं के आयोजन से बीईईपी ने बीईई को सहायता दी और अहमदाबाद, जयपुर, विजयवाड़ा और चेन्नई में चार क्षेत्रीय कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। बीईईपी ने ईएनएस के लागू होने से 3 भागीदार राज्यों अर्थात् गुजरात, राजस्थान और आंध्र प्रदेश को तकनीकी सहायता प्रदान करने पर भी काम शुरू किया। बीईईपी ने अनुपालन और फिल्म्स की जांच के लिए ऑनलाइन टूल जैसे नए संसाधन विकसित किए। ईएनएस, भाग-1 के विकास के लिए कार्यप्रणाली के तकनीकी दस्तावेज को शोध पत्रों के रूप में प्रकाशित किया गया था।
- **वास्तुकला और इंजीनियरिंग छात्र शिक्षा और प्रशिक्षण:** बीईईपी एकीकृत ऊर्जा दक्ष भवन डिजाइन में स्नातक और स्नातकोत्तर वास्तुकला और इंजीनियरिंग छात्रों के प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। एक सप्ताह तक चलने वाले बीईईपी छात्र शिविर को 15 से 22 दिसम्बर, 2019 तक अहमदाबाद में

सीईपीटी विश्वविद्यालय की भागीदारी से आयोजित किया गया था। शिविर की व्यापक सराहना हुई और लगभग 50 चयनित छात्रों और 18 राज्यों से संबंधित युवा पेशेवरों ने शिविर में भाग लिया। इसके अलावा, बीईईपी ने आईआईटी, मिलाई और श्रीश्री यूनिवर्सिटी, मुम्बई के साथ मिलकर स्नातक इंजीनियरिंग और वास्तुकला कार्यक्रमों के लिए पाठ्यक्रम और शिक्षण सामग्री तैयार करने का काम शुरू किया।

- **ऊर्जा दक्ष भवनों पर मीडिया की भागीदारी:** बीईईपी भवनों में ऊर्जा दक्षता के मुद्दे पर मीडिया की बढ़ती भागीदारी में बीईईई समर्थन कर रहा है। बीईईईपी ने पत्रकारों के साथ विषय पर कार्यशालाओं की एक श्रृंखला शुरू करने के लिए सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज (सीएमएस) के साथ भागीदारी की है। 2019-20 के दौरान, मीडिया पेशेवरों के लिए दिल्ली, जयपुर और अहमदाबाद में तीन कार्यशालाएं आयोजित की गईं। 12 चयनित पत्रकारों को विषय पर लिखने के लिए फेलोशिप प्रदान करने का कार्यक्रम भी शुरू किया गया।
- **बीईईई-ईसीबीसी राष्ट्रीय पुरस्कार:** ईसीबीसी और ईएनएस के अनुरूप अनुकरणीय वाणिज्यिक और आवासीय भवनों को पहचानने और पुरस्कार देने के उद्देश्य से बीईईईपी, बीईईई-ईसीबीसी राष्ट्रीय पुरस्कारों के लॉन्च और कार्यान्वयन में बीईईई की सहायता कर रहा है। बीईईई के परामर्श से पुरस्कार की अवधारणा और कार्यप्रणाली को अंतिम रूप दिया गया। पुरस्कारों के पहले सेट को 2020-21 के दौरान दिए जाने की योजना है।
- **अंतर्राष्ट्रीय आउटरीच:** बीईईई-बीईईईपी सहयोग के तहत भारत में सृजित ज्ञान को साझा करने के उद्देश्य से, बीईईईपी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इस ज्ञान के प्रसार की दिशा में सक्रिय रूप से काम कर रहा है। बीईईईपी स्विस विशेषज्ञ, श्री पियरे जैबोयडोफ पेरिस, बैंकाक और सिंगापुर में आयोजित ऊर्जा दक्ष इमारतों पर अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (आईईए) प्रशिक्षण कार्यक्रमों में एक प्रमुख संकाय थे। बीईईईपी ने जनवरी, 2020 में दावोस, स्विट्जरलैंड में विश्व आर्थिक मंच और मैड्रिड, स्पेन में दिसंबर, 2019 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन सीओपी 25 पर प्रस्तुतियां दीं।

6. भारत-फ्रांस

मंत्रालय की ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, विद्युत मंत्रालय और फ्रांसीसी पर्यावरण और ऊर्जा प्रबंधन एजेंसी (एडीईएमई) के बीच 20 फरवरी, 2006 को सहयोग घोषणा पर हस्ताक्षर किए गए। बीईईई और एडीईएमई के बीच समझौता-ज्ञापन का 17 अप्रैल, 2009 को 2 वर्षों की अवधि के लिए नवीकरण किया गया।

भारत-फ्रांस सहयोग की उपलब्धियां:-

- ऊर्जा दक्षता पर जागरूकता पैदा करने के लिए राज्य की दो नामित एजेंसियों एचएआरईडीए और पीईडीए में ऊर्जा सूचना केंद्रों को स्थापित किया गया है।
- डीएसएम इंटरनेट पोर्टल को सफलतापूर्वक बनाया गया है और एडीईएमई की सहायता से चालू किया गया है।
- एमएसएमई ऊर्जा खपत की बेंचमार्किंग और मैपिंग: बीईईई से एकत्रित डेटा का एसएमई समूहों के लिए विश्लेषण किया गया जिसके बाद अंतरिम रिपोर्ट परिष्कृत की गई थी।

ऊर्जा दक्षता के क्षेत्र में सहयोग को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से, और बाद में आवश्यक अनुमोदन प्राप्त होने पर, बीईई और एडीईएमई के बीच 17 अक्टूबर, 2018 को समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। बीईई और एडीईएमई के बीच सहयोग का कार्यक्षेत्र नीचे दिया गया है:

- इलेक्ट्रिक परिवहन (चार्जिंग अवसंरचना, स्मार्ट चार्जर, स्मार्ट ग्रिड चर्चा आदि) पर विशेष ध्यान देते हुए स्थायी गतिशीलता का विकास;
- क्षेत्रों में ऊर्जा दक्षता संबंधित आंकड़ों के संग्रह, उपयोग और विश्लेषण के लिए उपकरणों का विकास जिससे ऊर्जा दक्षता संकेतक बनाए गए;
- आईएनडीसी के लिए वैश्विक उत्सर्जन पर नजर रखने के लिए सीओ2 उत्सर्जन और जीएचजी आंकड़ों के संग्रह, उपयोग और विश्लेषण के लिए उपकरणों का विकास।

7. भारत-रूस

ऊर्जा दक्षता के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए मॉस्को में फरवरी, 2020 में बीईई और रूसी ऊर्जा एजेंसी (आरईए) के बीच एक समझौता-ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। आर.के. राय, सचिव, बीईई और श्री एलेक्सी बेडनोव, उप महानिदेशक, आरईए द्वारा समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। पक्षों ने ऊर्जा लेखा-परीक्षा के क्षेत्र में सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता उत्सवों में भागीदारी में रुचि दिखाई।



फरवरी, 2020 में बीईई और रूसी ऊर्जा एजेंसी (आरईए) के बीच समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर

2.2 अंतर्राष्ट्रीय बहुपक्षीय कार्यक्रम

1. ऊर्जा दक्षता सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी (आईपीईईसी)

- ऊर्जा दक्षता सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी (आईपीईईसी) एक उच्च-स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय मंच है जिसमें विकसित और विकासशील देश शामिल हैं। इसका उद्देश्य ऊर्जा दक्षता (ईई) के क्षेत्र में वैश्विक सहयोग को बढ़ाना और वैश्विक स्तर पर सभी क्षेत्रों में ऊर्जा दक्षता हासिल करने वाली नीतियां बनाना है। मई, 2009 में इसकी स्थापना के बाद से यह ऊर्जा दक्षता में सुधार में एक मील का पत्थर साबित हुई है। आईपीईईसी ऊर्जा दक्षता से संबंधित सूचनाओं का आदान-प्रदान करके, ऊर्जा दक्षता क्षेत्रों के बीच साझेदारी विकसित करके और ऊर्जा दक्षता पहलों का समर्थन करके पूरी दुनिया में ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देता है। आईपीईईसी समर्थित पहल सदस्य और गैर-सदस्य राष्ट्रों के साथ-साथ निजी क्षेत्र के लिए भी खुली है।
- आईपीईईसी सदस्यों में ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, यूरोपीय संघ, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इटली, जापान, मैक्सिको, रूसी संघ, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल थे। जी20 ऊर्जा दक्षता कार्य योजना की घोषणा के साथ आईपीईईसी का महत्व काफी बढ़ा है। भारत चार कार्य क्षेत्रों में भाग ले रहा है अर्थात् ऊर्जा दक्षता वित्त-पोषण, औद्योगिक ऊर्जा प्रबंधन, परिवहन और बिजली उत्पादन। साझेदारी आईपीईईसी सदस्यों और अन्य संस्थाओं के स्वैच्छिक योगदान (वीसी) पर निर्भर करती है। इन स्वैच्छिक योगदानों में वित्त के साथ-साथ वस्तु का योगदान भी शामिल है।
- आईपीईईसी एक कार्यकारी समिति (ईएक्ससीओ), एक नीति समिति (पीओसीओ) और एक सचिवालय द्वारा चलाई जाती है। अब तक नीति समिति की 16 बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं, और पिछली बैठक फरवरी, 2019 में आयोजित की गई थी तथा कार्यकारी समिति की अब तक 20 बैठकें आयोजित की गई हैं और पिछली बैठक सितंबर, 2018 में बुलाई गई थी।
- ऊर्जा दक्षता सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी (आईपीईईसी) को भंग करने और वैश्विक स्तर पर ऊर्जा दक्षता कार्य को बढ़ाने के लिए सहयोग और तालमेल को बढ़ावा देने की संभावना है: 'ऊर्जा दक्षता हब' का सृजन किया जा रहा है, जैसा कि सिद्धांतों में उल्लेख किया गया है, हब का उद्देश्य वैश्विक स्तर पर ऊर्जा दक्षता कार्य को बढ़ाने के लिए सहयोग और तालमेल को बढ़ावा देना है। इसकी एक अलग पहचान होगी, सहायक कर्मचारियों सहित इसका एक अलग बजट होगा और इसमें सहयोग पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, आईपीईईसी के कार्य समूहों में शामिल होने के कारण इससे मौजूदा गतिविधियों का मूल्य बढ़ेगा, जिनमें दोहरापन नहीं होगा, और यह आईईए के साथ उचित एकीकरण सुनिश्चित करेगा। हब कार्य कार्यक्रम की निगरानी एक स्वतंत्र हब संचालन समिति द्वारा की जाएगी। इन सिद्धांतों में हब के लिए एक सचिवालय की स्थापना के बारे में विस्तार से उल्लेख किया गया है जो सभी हब देशों के नागरिकों के लिए खुला रहेगा।
- आईपीईईसी को दिसंबर, 2019 से सदस्य देशों द्वारा भंग कर दिया गया था।

2. स्वच्छ ऊर्जा मंत्रालय (सीईएम)

2010 में सृजित स्वच्छ ऊर्जा मंत्रालय (सीईएम) एक वैश्विक मंच है जहां प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं और विकसित देश एक साथ मिलकर सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करते हैं तथा उन नीतियों और कार्यक्रमों को बढ़ावा देते हैं जो वैश्विक स्वच्छ ऊर्जा अर्थव्यवस्था में परिवर्तन को प्रोत्साहित करती हैं।

- सीईएम में भाग लेने वाले 28 सदस्य देश हैं: ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चिली, चीन, डेनमार्क, यूरोपीय आयोग, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया, मैक्सिको, न्यूजीलैंड (पर्यवेक्षक), नॉर्वे, पोलैंड (पर्यवेक्षक), रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, स्पेन, स्वीडन, नीदरलैंड, संयुक्त अरब अमीरात, ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका।
- सीईएम के 22 विविध कार्य दल (पहल और अभियान) वैश्विक स्वच्छ ऊर्जा को अपनाने में मदद करते हैं। ये वार्षिक गतिविधियाँ हैं, जिनका नेतृत्व एक या अधिक सीईएम सदस्य करते हैं, जो देशों के भीतर एक या एक से अधिक विभागों के साथ समन्वय करते हैं।
- दुनिया के सर्वश्रेष्ठ तकनीकी विशेषज्ञ संगठनों में से कई (जैसे आईआरईएनए, आईईए, यूएनईपी, यूनिडो, एनआरईएल, एलबीएनएल, आदि) सीईएम के काम का समर्थन करने के लिए अपनी तकनीकी सहायता और सलाह देते हैं।
- सीईएम की 10वीं बैठक, वैकूवर, कनाडा में 27–29 मई, 2019 को हुई थी।
- 11वीं स्वच्छ ऊर्जा मंत्री स्तरीय तैयारी बैठक और मिशन अभिनव सभा रियाद, सऊदी अरब में 1–5 फरवरी, 2020 के बीच आयोजित की गई थी। श्री अमय बाकरे, महानिदेशक, बीईई ने 11वीं स्वच्छ ऊर्जा मंत्री स्तरीय तैयारी बैठक और मिशन अभिनव सभा में भाग लिया।



रियाद, सऊदी अरब में 1–5 फरवरी, 2020 तक आयोजित 11वीं स्वच्छ ऊर्जा मंत्री स्तरीय तैयारी बैठक और मिशन अभिनव सभा



सीईएम में बीईई के कार्य:

क) एसईएडी (अति-दक्ष उपकरण और यंत्र का कारगर उपयोग)

ऊर्जा को बचाने के लिए एक साथ काम करने वाली सरकारों को बढ़ावा देना, ज्ञान को क्रिया में बदलना, और वैश्विक बाजारों को ऊर्जा दक्ष उत्पादों को शामिल करने के लिए प्रोत्साहित करना। एसईएडी दुनिया भर में ऊर्जा-दक्ष उपकरणों, लाइटिंग और यंत्रों के निर्माण, खरीद और उपयोग को बढ़ावा देने के लिए काम करने वाली सरकारों के बीच एक स्वैच्छिक सहयोग है। एसईएडी की 19 सदस्यीय सरकारें वैश्विक पहलों, उद्योग और नागरिक समाज और एक दूसरे के साथ मिलकर सर्वोत्तम प्रथाओं की पहचान करती हैं, उन्हें साझा करती हैं तथा ऐसी नीतियों और कार्यक्रमों को बढ़ावा देती हैं जो ऊर्जा दक्ष उपकरणों और यंत्रों को प्रोत्साहित करें, सुविधा प्रदान करें और बाजार में इनकी तेजी से पैठ बनाएं।

ख) एसीसी (उन्नत शीतलन चुनौती)

उन्नत शीतलन चुनौती (एसीसी) सरकारों, कंपनियों और अन्य हितधारकों से अति दक्ष एयर कंडीशनर बनाने, बेचने, बढ़ावा देने या स्थापित करने या शीतलन समाधान करने का आग्रह करता है जो स्मार्ट, जलवायु के अनुकूल और सस्ती हों। यह अभियान ऊर्जा और संबंधित सरकारी एजेंसियों, सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों, निर्माताओं, खुदरा विक्रेताओं, संस्थागत खरीदारों, और फाउंडेशनों से प्रतिबद्धता, सहायक कार्रवाई और समर्थन की अपेक्षा करता है।

ग) ईएमडब्ल्यूजी (ऊर्जा प्रबंधन कार्य समूह)

ऊर्जा बचत की व्यापक क्षमता के कारण ईएमडब्ल्यूजी गतिविधियां ऊर्जा प्रबंधन प्रणालियों (ईएनएमएस) जैसे कि आईएसओ 50001 पर ध्यान केंद्रित करती हैं। आईएसओ 50001 मानक तकनीकी रूप से सख्त और विश्व स्तर पर प्रासंगिक है, जो कॉर्पोरेट लक्ष्यों के साथ-साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जलवायु प्रतिबद्धताओं में हुई प्रगति को मापने का एक विश्वसनीय साधन प्रदान करता है। रूपरेखा में संगठन के भीतर ऊर्जा के उपयोग के सभी पहलुओं के साथ-साथ प्रबंधन, कार्यात्मक और व्यावसायिक इकाई टीमों और सभी कर्मचारी शामिल होते हैं।

घ) ईएमसी (ऊर्जा प्रबंधन अभियान)

ऊर्जा प्रबंधन कार्य समूह (ईएमडब्ल्यूजी) पहल के तहत ऊर्जा प्रबंधन अभियान ठोस कार्रवाई करने और आईएसओ 50001 की उपयोगिता को बढ़ाने तथा सरकारों, संस्थानों और निजी क्षेत्र के संगठनों के बीच साझेदारी के अवसरों को बढ़ाने के लिए सहज और सुलभ व्यवस्था प्रदान करता है। 2016 में शुरू किए गए इस अभियान ने ईएमडब्ल्यूजी को अधिक प्रभाव के लिए अपने संसाधनों का लाभ उठाने में सक्षम बनाया।

ड.) ईवी-30@30

ईवी30@30 अभियान संसाधनों का प्रभावी ढंग से इस्तेमाल करने और भागीदारी देशों के बीच 2030 तक

इलेक्ट्रिक वाहनों की 30% तक बिक्री हिस्सेदारी पहुंचने के लिए एक सामूहिक महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय करता है। यह अभियान इलेक्ट्रिक यात्री कारों, हल्की वाणिज्यिक वैनो, बसों और ट्रकों (वाहनों के लिए बैटरी-इलेक्ट्रिक, प्लग-इन हाइब्रिड और ईंधन सेल) के लिए बाजार तैयार करता है। यह वाहनों को पर्याप्त बिजली की आपूर्ति करने के लिए चार्जिंग बुनियादी ढांचे की स्थापना करने की दिशा में भी काम करता है।

3. ब्रिक्स

ब्रिक्स फोरम में 5 सदस्य देश शामिल हैं, ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। 2006 में, चार देशों ने संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) की सामान्य विचार-विमर्श के बीच समय निकालकर विदेश मंत्रियों की वार्षिक बैठकों के साथ एक नियमित अनौपचारिक कूटनीतिक समन्वय शुरू किया। इस सफल बातचीत में यह निर्णय लिया गया कि वार्ता को वार्षिक शिखर सम्मेलन में राज्य और सरकार के प्रमुखों के स्तर पर किया जाए। 2009 में येकातेरिनबर्ग में आयोजित पहले शिखर सम्मेलन में ब्रिक्स के सदस्यों के बीच कार्यक्षेत्र पर व्यापक बातचीत हुई – और 2011 में दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने से यह ब्रिक्स बन गई – जिसका आगे और विस्तार हुआ। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक क्रम में उभरने वाले देशों की पहचान करने के अलावा, ब्रिक्स एक नई और आशावादी राजनीतिक-कूटनीतिक इकाई बन गया, जो वित्तीय बाजारों की मूल अवधारणा से परे जाकर कार्य करता है।

भारत ब्रिक्स मंच का सक्रिय सदस्य रहा है और ब्रिक्स के सदस्य देशों द्वारा किए गए अपने एजेंडे और बातचीत में इसे विशेष दर्जा प्राप्त है। वर्तमान में, ब्रिक्स की अध्यक्षता अप्रैल, 2015 से रूस के पास है और 2021 में यह भारत को प्राप्त होगी।

अप्रैल, 2015 में ब्रिक्स का अध्यक्ष पद संभालने के बाद रूस ने ऊर्जा, दक्षता और सतत विकास के क्षेत्र में सहयोग करने का प्रस्ताव रखा। इस संबंध में सदस्य देशों की ओर से एक प्रतिनिधि ने अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा बाजारों में बढ़ती अनुचित प्रतिस्पर्धा तथा पूंजी और ऊर्जा-दक्ष प्रौद्योगिकी व्यापार के मुक्त संचलन पर लगाए गए कृत्रिम प्रतिबंधों पर उनके कार्यों का समन्वय करने के लिए 26 मई, 2015 को मेरिडा, मेक्सिको में ऊर्जा दक्षता पर ब्रिक्स उच्च स्तरीय बैठक में भाग लिया। बैठक के भाग के रूप में, रूसी पक्ष ने ब्रिक्स सदस्य देशों के विचार के लिए ऊर्जा बचत और ऊर्जा दक्षता संवर्धन के लिए समझौता-ज्ञापन (एमओयू) की एक प्रति परिचालित की।

समझौता-ज्ञापन पर ब्रिक्स सदस्य देशों के ऊर्जा मंत्रियों की पहली बैठक के दौरान रूस में 20 नवंबर, 2015 को हस्ताक्षर किए गए थे। इस समझौता-ज्ञापन की रूपरेखा के तहत, ऊर्जा बचत और ऊर्जा दक्षता पर एक कार्यकारी समूह स्थापित किया गया था। 'ऊर्जा बचत और ऊर्जा दक्षता' पर पहले कार्य समूह की एक बैठक 5 जुलाई, 2016 को विजाग में आयोजित की गई थी। ऊर्जा मंत्रियों की दूसरी बैठक 7 जून, 2017 को बीजिंग, चीन में आयोजित की गई थी।

तीसरी मंत्री स्तरीय बैठक के प्रणेता के रूप में ऊर्जा बचत और ऊर्जा दक्षता पर तृतीय कार्य समूह की बैठक केप टाउन, दक्षिण अफ्रीका में 17 और 18 मई, 2018 को आयोजित की गई थी। बैठक का उद्देश्य उच्च स्तरीय (मंत्री स्तरीय) चर्चा करना तथा ऊर्जा दक्षता कार्य समूह और विचार-विमर्श के निष्कर्षों का समर्थन करना था। सदस्य देशों के मंत्रियों द्वारा उच्च स्तरीय कार्रवाई ने संयुक्त सहयोग और ऊर्जा दक्षता के क्षेत्र में ज्ञान साझा करने के

साथ-साथ नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया।

पूर्व में आयोजित ऊर्जा मंत्रियों की पहली और दूसरी बैठक के क्रम में मंत्रियों की तीसरी बैठक दक्षिण अफ्रीका द्वारा 28-29 जून, 2018 को जोहानसबर्ग शहर के गौटेंग प्रांत में आयोजित की गई।

इसके अलावा, ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की चौथी बैठक के संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक ब्रासीलिया, ब्राजील में 8 नवंबर, 2019 को आयोजित हुई थी। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व आर्थिक सलाहकार और प्रभारी (ईसी), विद्युत मंत्रालय और निदेशक, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने किया था। बैठक में सभी ब्रिक्स सदस्य देशों का प्रतिनिधित्व करने वाले सभी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। बैठक का उद्देश्य ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक और ब्रिक्स ऊर्जा अनुसंधान सहयोग मंच (ईआरसीपी) के विचारार्थ विषयों को अंतिम रूप देना था।



चित्र: पहली ब्रिक्स ईआरसीपी बैठक, 17-18 जून 2018, मास्को

इसके बाद, ब्रिक्स ऊर्जा अनुसंधान सहयोग (ईआरसीपी) के विचारार्थ विषयों (टीओआर), जिन्हें ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की ब्रासिलिया, ब्राजील में 11 नवंबर, 2019 को आयोजित बैठक में अंतिम रूप दिया गया था, पर आगे विचार करने के लिए रूस की अध्यक्षता में ब्रिक्स वरिष्ठ अधिकारियों की एक बैठक (एसओएम) मास्को, रूस में 20-21 फरवरी, 2020 को आयोजित की गई।

4. जी20 (समूह-20)

जी20, या 20 का समूह, आर्थिक, वित्तीय और राजनीतिक सहयोग के लिए मुख्य अंतरराष्ट्रीय मंच है: यह प्रमुख वैश्विक चुनौतियों का समाधान करता है और ऐसी सार्वजनिक नीतियां बनाता है जिनसे उनका समाधान हो सके। इसमें यूरोपीय संघ और 19 देश शामिल हैं: जर्मनी, सऊदी अरब, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, दक्षिण कोरिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, ब्रिटेन, रूस, दक्षिण अफ्रीका और तुर्की।

जी20 के सभी सदस्य वैश्विक सकल उत्पाद का 85% विश्व जनसंख्या का दो-तिहाई और अंतरराष्ट्रीय व्यापार का 75% प्रतिनिधित्व करते हैं। भारत ने एलएनजी, ऊर्जा एकीकरण और मंडारण, विकासशील देशों के लिए वित्त पोषण, ऊर्जा आंकड़ों में पारदर्शिता और डिजिटलाइजेशन पर ऊर्जा मंत्री की बैठक को अंतिम रूप देने के दौरान विभिन्न मुद्दों पर अपना रुख प्रस्तुत किया।

जी20 की 1 दिसम्बर, 2018 से 30 नवंबर, 2019 तक जापान की अध्यक्षता के दौरान, ऊर्जा परिवर्तन और सतत विकास के लिए वैश्विक पर्यावरण पर जी-20 की मंत्री स्तरीय बैठक कारुइजावा, जापान में 15-16, जून 2019 को आयोजित की गई। भारत के माननीय विद्युत तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), भारत सरकार के नेतृत्व में भारत के एक प्रतिनिधिमंडल ने बैठक में भाग लिया। यह बैठक जी-20 सदस्य देशों के ऊर्जा मंत्रियों के बीच शीर्ष स्तरीय बातचीत करने के लिए जापान की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। मंत्री स्तरीय बातचीत के दौरान, मंत्रियों ने अनुसंधान, विकास को सशक्त बनाने और स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन के लिए नवीन तकनीकों और दृष्टिकोणों को लागू करने में अंतरराष्ट्रीय सहयोग करने और निजी वित्त-पोषण के महत्व पर जोर दिया और सतत विकास के लिए ऊर्जा परिवर्तन और वैश्विक पर्यावरण पर जी20 कारुइजावा अभिनव कार्य योजना जारी की। इसके अलावा, संयुक्त ऊर्जा और पर्यावरण विज्ञप्ति ने पेरिस जलवायु समझौते को लागू करने के लिए निरंतर प्रतिबद्धता के महत्व को नोट किया। पर्यावरण से संबंधित प्रमुख पहलू एक नया अंतरराष्ट्रीय ढांचा स्थापित करने के लिए समझौता करना था जिसका उद्देश्य समुद्री प्लास्टिक कूड़े को कम करना है।



जी-20 की सतत विकास के लिए ऊर्जा परिवर्तन और वैश्विक पर्यावरण विषय पर मंत्री स्तरीय बैठक, कारुइजावा, जापान, 15-16 जून, 2019



सऊदी अरब राज्य ने बारी के आधार पर 1 दिसम्बर, 2019 से 30 नवंबर, 2020 तक की अवधि के लिए जी-20 की अध्यक्षता ग्रहण की। ईटीडब्ल्यूजी को वर्तमान सऊदी अरब की अध्यक्षता में अब ऊर्जा स्थिरता कार्य समूह (ईएसडब्ल्यूजी) का नाम दिया गया है। जलवायु स्थिरता कार्य समूह पर एक अलग ट्रैक है, जिस पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा कार्रवाई की जाती है। जी-20 ईएसडब्ल्यूजी की पहली बैठक 7-8 मार्च, 2020 को रियाद, सऊदी अरब (केएसए) में आयोजित की गई थी। जी20 की अध्यक्षता में प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर बल दिया गया है और तदनुसार सऊदी अरब के अध्यक्ष ने पहली बैठक से पहले निम्नलिखित 4 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को परिचालित किया है:

नए युग के लिए स्वच्छ और अधिक टिकाऊ ऊर्जा प्रणाली – ऊर्जा प्रणालियों को आगे बढ़ाना जिसमें सर्कुलर कार्बन अर्थव्यवस्था (सीसीई) के दृष्टिकोण के माध्यम से जी20 सदस्यों के सामाजिक आर्थिक संदर्भों पर विचार किया जाता है।

सस्ती और स्थायी ऊर्जा के लिए सार्वभौमिक पहुंच – ऊर्जा के सभी स्रोतों तक पहुंच पर ध्यान केंद्रित करके गरीबी हटाना।

अधिक सुरक्षित ऊर्जा बाजार – ऊर्जा प्रणालियों के मार्गदर्शक सिद्धांतों में से एक के रूप में वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा के महत्व को स्वीकार करना।

ऊर्जा बाजार स्थिरता के लिए संस्थागत ढांचा – ऊर्जा स्थिरता और स्थायित्व को बढ़ावा देने में निवेश की भूमिका पर ध्यान केंद्रित करना।

5. आईईए (अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी)

आईईए 2009 और 2011 की मंत्री स्तरीय बैठक में भारत की भागीदारी के परिणामस्वरूप, नवंबर, 2013 आईईए मंत्रिस्तरीय बैठक के दौरान दोनों अवसरों पर विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार और अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (आईईए) द्वारा जारी संयुक्त वक्तव्य के कारण भारत और आईईए के बीच सहयोग काफी बढ़ गया।

मार्च, 2017 में, सभी संबंधित मंत्रालयों के साथ गहन परामर्श के बाद, भारत एक संघ देश के रूप में आईईए में शामिल हो गया। यह वैश्विक ऊर्जा व्यवस्था के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ और आईईए की दिशा में एक और बड़ा कदम वास्तव में वैश्विक ऊर्जा संगठन बनना और प्रमुख ऊर्जा कंपनियों के साथ संबंधों को मजबूत करना था। इसके बाद से, भारतीय प्रतिनिधिमंडलों ने आईईए समितियों, बैठकों और कार्यशालाओं में सक्रिय रूप से भाग लिया। आईईए ने भारतीय ऊर्जा समुदायों और नीति-निर्माताओं के साथ हमारे निष्कर्षों को साझा करने के लिए नई दिल्ली में प्रमुख प्रकाशन शुरू किए। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (आईईए) ने जनवरी, 2020 में भारत की ऊर्जा नीतियों की पहली गहन समीक्षा की।

अब तक की गतिविधियाँ:

अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी और भारत सरकार के ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) ने नई दिल्ली में 10 से 13 दिसंबर तक भारत के लिए पहले ऊर्जा दक्षता प्रशिक्षण सप्ताह की सह-मेजबानी की। यह कार्यक्रम, जो संयोग से 14 दिसंबर को भारत का 28वां राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस था, भारत सरकार के सभी स्तरों पर सरकारी संस्थानों और सहायक संगठनों के 100 से अधिक ऊर्जा दक्षता पेशेवरों को एक मंच पर लाया। 20 से अधिक भारतीय राज्यों के

अधिकारियों और उद्योग के पेशेवरों ने आईईए प्रशिक्षण सप्ताह कार्यक्रम में भाग लिया, सर्वोत्तम प्रथाओं का आदान-प्रदान किया, ऊर्जा दक्षता के अपने ज्ञान का विस्तार किया और पेशेवर नेटवर्क का विस्तार किया। प्रशिक्षण सप्ताह में इमारतों, उपकरणों और यंत्रों, उद्योग और नगरपालिका तथा उपयोगिता सेवाओं में ऊर्जा दक्षता नीति पर चार समानांतर पाठ्यक्रम शामिल थे।

2015 के बाद से, आईईए उद्योग, भवन, डीएसएम, नगर पालिकाओं, आंकड़ों से प्राप्त संकेतकों के आधार पर उभरती अर्थव्यवस्थाओं में ऊर्जा दक्षता नीति की योजना, कार्यान्वयन और मूल्यांकन पर अनुभव साझा करने के लिए पेरिस में ऊर्जा दक्षता प्रशिक्षण सप्ताह का आयोजन कर रहा है। इन ऊर्जा दक्षता प्रशिक्षण सप्ताह के दौरान बीईई और विद्युत मंत्रालय के अधिकारियों के साथ राज्य की नामित एजेंसियों ने प्रतिनिधित्व किया।

आईईए के साथ आवासीय भवनों और निर्माण ऊर्जा दक्षता रूपरेखा पर प्रारंभिक गोलमेज सम्मेलन अगस्त, 2019 में आयोजित किया गया।

बीईई और आईईए ने दिल्ली में 12-13 दिसंबर, 2019 को ऊर्जा दक्ष शीतलन पर एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला ने स्पेस कूलिंग, मोबाइल कूलिंग और कोल्ड चैन पर नीतियों, प्रौद्योगिकियों, नवाचार, नए दृष्टिकोण और व्यावसायिक मॉडल की खोज की। इसने कार्य योजनाओं, अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम नीति प्रथाओं, नवाचार को प्रोत्साहित करने और भावी कदमों पर विचार-विमर्श करने के उपायों पर भी प्रकाश डाला।

बीईई और आईईए ने 2 मार्च, 2020 को बीईई के स्थापना दिवस के मौके पर एक अर्द्ध-दिवसीय हितधारक परामर्श का आयोजन किया। इस गोलमेज सम्मेलन ने बीईई के साथ-साथ प्रमुख बहुपक्षीय, द्विपक्षीय संस्थानों और फाउंडेशनों को अवसर प्रदान करने वाले ज्ञान साझा मंच के रूप में कार्य किया।

श्री परसेंट क्लब सरकारों और सहायक संगठनों का एक सहयोग है जो दुनिया में 3% वार्षिक दक्षता सुधार करने के लिए मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री परसेंट क्लब को संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन में सितंबर, 2019 में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, सभी के लिए सतत ऊर्जा, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, पुनर्निर्माण और विकास के लिए यूरोपीय बैंक, ईई ग्लोबल एलायंस, ग्लोबल पर्यावरण सुविधा और ऊर्जा दक्षता पर यूएनईपी डीटीयू भागीदारी कोपेनहेगन केंद्र सहित प्रमुख भागीदारों के समर्थन से शुरू किया गया था। भागीदारों में ऊर्जा दक्षता एक्सीलेटर और हब भी शामिल हैं, जो ऊर्जा दक्षता संगठनों के सबसे बड़े वैश्विक नेटवर्क का प्रतिनिधित्व करते हैं।

बीईई अपने संस्थापक सदस्यों में से एक के रूप में तीन प्रतिशत क्लब में शामिल होने की प्रक्रिया पूरी कर रहा है।

6. ग्लोबल कूलिंग पुरस्कार

ग्लोबल कूलिंग पुरस्कार घरों में एयर कंडीशनिंग की बढ़ती मांग से उत्पन्न होने वाले व्यापक जलवायु खतरे से निपटने के लिए वैश्विक नेताओं के गठबंधन का नेतृत्व कर रहा है। निरंतर खोज करते हुए हम शीतलन समाधान प्रदान कर सकते हैं जो जलवायु परिवर्तन के बिना लोगों के जीवन को समृद्ध बना सकते हैं।

बीईई ने नवंबर, 2019 में आयोजित ग्लोबल कूलिंग पुरस्कार के विजेता पर निर्णय लेने के मानदंडों को अंतिम रूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बीईई आने वाले वर्षों में अपने एसी मॉडल के ऊर्जा दक्षता मानकों को बढ़ाने के लिए इन समाधानों को जनता तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।



7. संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी)

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) संयुक्त राष्ट्र का वैश्विक विकास नेटवर्क है। यह परिवर्तन की गति को बढ़ावा देता है और देशों को ज्ञान से अर्जित अनुभव और संसाधनों से जोड़ता है ताकि लोगों को अपने लिए बेहतर जीवन बनाने में मदद मिल सके। यह कम विकसित देशों को सहायता पर बल देने के साथ विकासशील देशों को विशेषज्ञ सलाह, प्रशिक्षण और अनुदान सहायता प्रदान करता है। यह राष्ट्रों के बीच तकनीकी और निवेश सहयोग को बढ़ावा देता है।


यूएनडीपी ने बीईई के समन्वय से जीईएफ-7 के तहत विचार के लिए वैश्विक पर्यावरण सुविधा (जीईएफ) सचिवालय को कार्य कार्यक्रम समावेश और परियोजना तैयारी अनुदान अनुमोदन के लिए परियोजना पहचान फार्म (पीआईएफ) अनुमोदन हेतु "भारत में भवनों में स्थायी धर्मल सुविधा के लिए अति-दक्ष प्रौद्योगिकियों को अपनाने में तेजी लाना" नामक एक परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

वैश्विक पर्यावरण सुविधा (जीईएफ) की स्थापना 1992 के रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन की पूर्व संध्या पर की गई थी ताकि हमारी धरती पर सर्वाधिक दबाव वाली पर्यावरणीय समस्याओं से निपटने में मदद मिल सके। जीईएफ राष्ट्रीय स्थायी विकास पहलों का समर्थन करते हुए वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों के समाधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों, नागरिक समाज संगठनों (सीएसओ), और निजी क्षेत्र की भागीदारी में 183 देशों को एकजुट करता है। स्वतंत्र रूप से संचालन करने वाला वित्तीय संगठन जीईएफ जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन, अंतर्राष्ट्रीय जल, मृमि क्षरण, ओजोन परत, लगातार जैविक प्रदूषक (पीओपी), पारा, टिकाऊ वन प्रबंधन, खाद्य सुरक्षा, स्थायी शहर से संबंधित परियोजनाओं के लिए अनुदान प्रदान करता है।

8. विश्व बैंक (वर्ल्ड बैंक)

1944 में स्थापित, विश्व बैंक समूह का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है, विश्व बैंक एक अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है जो पूंजीगत परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से विकासशील देशों की सरकारों को ऋण और अनुदान प्रदान करता है। विश्व बैंक दुनिया भर के विकासशील देशों के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। विश्व बैंक समूह के दो महत्वाकांक्षी लक्ष्य हैं, पीढ़ी में व्याप्त अत्यधिक गरीबी को समाप्त करना और साझा समृद्धि को बढ़ावा देना। विश्व बैंक 189 सदस्य देशों से बना है।

खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ) के अनुसार, कुल कृषि सप्लाई में से, फार्म गेट और बाजार के बीच लगभग 40 प्रतिशत खाद्यान्न नष्ट हो जाता है जो मुख्य रूप से भारत में कोल्ड-चेन के बुनियादी ढांचे की भारी कमी के कारण है। कोल्ड चेन क्षेत्र के रणनीतिक महत्व, और आने वाले वर्षों में प्रत्याशित क्षमता वृद्धि, जिससे भारत में बीईई और विश्व बैंक ऊर्जा और एक्सट्रैक्टिव ग्लोबल प्रैक्टिस में पर्याप्त अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होगी, को ध्यान में रखते हुए पैक हाउसों पर विशेष ध्यान देने के साथ कोल्ड चेन में ऊर्जा दक्षता बढ़ाने का विकल्प चुनने, ऊर्जा की मांग में इसी वृद्धि के साथ एक एकीकृत कृषि कोल्ड चेन बनाने के लिए अगले दो दशकों में क्षमता के व्यापक रूप से बढ़ने का अनुमान है। इसके लिए, विश्व बैंक ने ऊर्जा क्षेत्र प्रबंधन सहायता कार्यक्रम (ईएसएमएपी) से प्राप्त वित्त-पोषण से पैक-हाउसों में ईई को बढ़ावा देने के लिए ऊर्जा दक्षता क्षमता और विनियामक साधनों के विकास में बीईई का समर्थन करने के लिए एईईई को शामिल किया है। अध्ययन का शीर्षक है "भारत में कोल्ड चेन ऊर्जा दक्षता: पैकहाउसों में ऊर्जा दक्षता अवसरों का विश्लेषण" और यह कार्य चल रहा है।





ब्यूरो का लेखा

- 3.1 पूंजीगत संरचना
- 3.2 वित्तीय परिणाम का सारांश
- 3.3 ब्यूरो की कार्यशैली में सुधार या सुदृढीकरण हेतु किए गए उपाय
- 3.4 लेखा का वार्षिक विवरण

3.1 पूंजीगत संरचना

ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 की धारा 20 के तहत विद्युत मंत्रालय से प्राप्त 50 करोड़ रुपए के कॉर्पस फंड का उपयोग केंद्रीय ऊर्जा संरक्षण निधि की स्थापना के लिए किया गया है। इस 50 करोड़ रुपए के कॉर्पस फंड को शासी परिषद के अनुमोदन से 1 मई, 2003 से अन्य बातों के साथ-साथ प्रतिवर्ष ब्याज के रूप में ₹4.24 करोड़ (लगभग) के निर्धारित भुगतान करने वाले सुरक्षित, गैर-परिवर्तनीय गैर-संचयी प्रतिदेय करयोग्य, 10 लाख रुपए प्रत्येक (सीरीज XVII) के एनटीपीसी बांड में 20 वर्ष के लिए निवेश किया गया है। ब्याज का उपयोग बीईई के आवर्ती और गैर-आवर्ती व्यय को पूरा करने के लिए किया जा रहा है और सरकार द्वारा वर्ष के दौरान और निधियां उपलब्ध नहीं कराई गई थीं।

उपर्युक्त के अलावा ₹45.00 करोड़ की राशि बीईई कॉर्पस फंड के विकास के लिए विद्युत मंत्रालय से प्राप्त की गई है। वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान राष्ट्रीयकृत बैंक में सावधि जमा के रूप में ₹45.00 करोड़ के इस कॉर्पस फंड को निवेश करके ₹2.74 करोड़ की राशि ब्याज के रूप में अर्जित की गई है। 31.03.2020 तक इस जमा राशि के साथ बीईई कॉर्पस फंड का कुल योग ₹95.00 करोड़ है।

3.2 वित्तीय परिणामों का सारांश

वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान, ब्यूरो ने 'मैसर्स एनटीपीसी लिमिटेड में निवेश किए गए ₹50 करोड़ के कॉर्पस फंड पर ब्याज के रूप में ₹424.00 लाख और, राष्ट्रीयकृत बैंक में निवेश किए गए ₹45.00 करोड़ के अतिरिक्त कॉर्पस फंड पर ब्याज के रूप में ₹274.21 लाख अर्जित किए थे। इसके अलावा, ब्यूरो ने ऊर्जा प्रबंधकों और ऊर्जा लेखा परीक्षकों के लिए 20 राष्ट्रीय प्रमाणन परीक्षा के लिए उम्मीदवारों से लिए गए शुल्क से ₹429.07 लाख भी अर्जित किए। स्थापना, प्रशासन व्यय, गैर-आवर्ती और परियोजना व्यय पर बीईई का व्यय क्रमशः ₹780.16 लाख, ₹225.90 लाख, ₹16.90 लाख और ₹1.56 लाख था। इसके अलावा, ऊर्जा प्रबंधकों और ऊर्जा लेखा परीक्षकों की 20वीं राष्ट्रीय प्रमाणन परीक्षा पर ₹403.67 लाख का व्यय किया गया। ₹314.29 लाख के व्यय की तुलना में आय का अधिशेष कॉर्पस फंड में स्थानांतरित कर दिया गया है।

3.3 ब्यूरो की कार्यशैली में सुधार या सुदृढ़ीकरण हेतु किए गए उपाय

13.02.2020 से 02 संयुक्त निदेशकों को निदेशक के रूप में पदोन्नत किया गया, 01 परामर्शदाता (प्रशासन) और 01 सलाहकार (एमओपी) को वर्ष 2019-20 के दौरान अनुबंध के आधार पर नियुक्त किया गया।

3.4 लेखा का वार्षिक विवरण

वार्षिक लेखा विवरण अर्थात् तुलन-पत्र, आय एवं व्यय विवरण और प्राप्ति एवं भुगतान विवरणों की विधिवत लेखा-परीक्षा इसके साथ संलग्न हैं।

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई), नई दिल्ली के वार्षिक लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट

1. हमने ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 की धारा 25(2) के साथ पठित नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा शर्तों) अधिनियम, 1971 की धारा 19(2) के तहत 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, नई दिल्ली के संलग्न तुलन-पत्र के आय एवं व्यय लेखा/प्राप्ति एवं भुगतान लेखा की लेखा-परीक्षा की है। ये वित्तीय विवरण बीईई के प्रबंधन की जिम्मेदारी हैं। हमारी जिम्मेदारी हमारी लेखा-परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर एक राय व्यक्त करना है।
2. इस पृथक लेखा-परीक्षा में वर्गीकरण, सर्वोत्तम लेखांकन प्रथाओं, लेखांकन मानकों और प्रकटन शर्तों आदि के संबंध में केवल लेखांकन व्यवहार पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां शामिल हैं। कानून, नियमों और विनियमों (उपयुक्तता और नियमितता) और दक्षता-सह-निष्पादन पहलू आदि, यदि कोई हो, के संबंध में वित्तीय विवरणों पर लेखा-परीक्षा टिप्पणियों को पृथक रूप से निरीक्षण रिपोर्ट/लेखा-परीक्षा रिपोर्ट द्वारा रिपोर्ट किया जाता है।
3. हमने भारत में आम तौर पर स्वीकार्य लेखांकन मानकों के अनुसार अपनी लेखा-परीक्षा की है। इन मानकों में अपेक्षा की जाती है कि हम लेखा-परीक्षा की योजना इस प्रकार से बनाएं और उसका निष्पादन करें तथा यह उचित आश्वासन प्राप्त करें कि वित्तीय विवरण किसी भी गलत विवरण से मुक्त हों। किसी लेखा परीक्षा में प्रयुक्त लेखांकन मानकों और प्रबंधन द्वारा तैयार महत्वपूर्ण अनुमानों का आकलन करने के साथ-साथ वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति का मूल्यांकन करना भी शामिल है। हम विश्वास करते हैं कि हमारी लेखा-परीक्षा हमारी राय के लिए एक उचित आधार उपलब्ध कराती है।
4. अपनी लेखा-परीक्षा के आधार पर हम सूचित करते हैं:
 - I. हमने उन सभी सूचनाओं और स्पष्टीकरणों को प्राप्त किया है जो हमारी लेखा-परीक्षा के उद्देश्य के लिए आवश्यक थे।
 - II. इस रिपोर्ट द्वारा प्रस्तुत तुलन-पत्र, आय एवं व्यय खातों और प्राप्तियों एवं भुगतान लेखों को वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित और ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 की धारा 25(1) के अंतर्गत बीईई द्वारा अपनाए गए प्रारूप के अनुसार तैयार किए गए हैं।
 - III. हमारे विचार में, जहां तक इस प्रकार के लेखा पुस्तिकों की जांच से यह प्रतीत होता है कि धारा 25(1) के अंतर्गत अपेक्षित अनुसार बीईई द्वारा उचित बही खाते और अन्य संबंधित रिकार्ड रखे गए हैं।
 - IV. इसके अतिरिक्त हम रिपोर्ट करते हैं कि:

क. टिप्पणियाँ

1. तुलन-पत्र

निर्धारित / बंदोबस्ती निधियां (अनुसूची 9) से निवेश – ₹ 547.45 करोड़

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (लेखा और अभिलेखों के वार्षिक विवरण का प्रपत्र) नियम 2007 (विद्युत मंत्रालय द्वारा दिनांक 28 फरवरी, 2007 को जारी अधिसूचना) के अनुसार, 'निर्धारित / बंदोबस्ती निधियों के रूप में बैंक में जमा शेष राशि' को अनुसूची 11-वर्तमान परिसंपत्तियों, ऋण, अग्रिम आदि में अलग से दर्शाया जाना चाहिए।

लेखा-परीक्षा ने पाया कि उपर्युक्त में विजया बैंक में सावधि जमा ₹45.00 करोड़ की राशि (एक वर्ष की अवधि के लिए) और विभिन्न योजनाओं के लिए विजया बैंक के बचत और स्वीप खातों जैसे कि कॉर्पस फंड, पीआरजीएफईई, वीसीएफईई, एसएंडएल शुल्क आदि में जमा ₹452.45 करोड़ की राशि शामिल है, जिसे निर्धारित निधियों के सामने 'अनुसूचित बैंकों सहित बैंक खातों' के तहत दिखाया जाना चाहिए था।

इसके परिणामस्वरूप 'निर्धारित निधियों से निवेश' (अनुसूची 9) में निधियां बढ़ा कर लिखी गई हैं और 'वर्तमान परिसंपत्तियों, ऋण, अग्रिम आदि (अनुसूची 11) में निधियां प्रत्येक में ₹497.45 करोड़ कम करके लिखी गई हैं।

ख. सहायता अनुदान

₹239.19 करोड़ के सहायता अनुदान में से (इसमें पिछले वर्ष की खर्च न की गई ₹40.46 करोड़, वर्ष के दौरान प्राप्त ₹196.67 करोड़ और ₹2.06 करोड़ का अर्जित ब्याज शामिल है) बीईई वर्ष के दौरान ₹121.70 करोड़ का ही उपयोग कर सका, जिससे 31 मार्च, 2020 को खर्च न की गई ₹117.49 करोड़ की राशि बच गई है।

ग. प्रबंधन पत्र

अलग-अलग ऑडिट रिपोर्ट में जिन कमियों को शामिल नहीं किया गया है, उन्हें उपचारात्मक / सुधारात्मक कार्रवाई के लिए अलग से जारी किए गए प्रबंधन पत्र के माध्यम से महानिदेशक, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के संज्ञान में लाया जाएगा।

- v. पूर्ववर्ती पैरा में हमारी टिप्पणियों के अध्यक्षीन, हम रिपोर्ट करते हैं कि इस रिपोर्ट द्वारा सूचित तुलन-पत्र, आय एवं व्यय खाते और प्राप्ति एवं भुगतान खाते बही खातों के अनुसार है।
- vi. हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उक्त लेखा विवरणों को लेखांकन नीतियों और लेखा टिप्पणियों के साथ पढ़ा जाए और इस पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट के अनुलग्नक-। में वर्णित मामलों के अध्यक्षीन यह हमें भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान करते हैं।



- क) जहां तक यह ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के 31 मार्च, 2020 तक के कार्यों के तुलना-पत्र से संबंधित है; तथा
- ख) जहां तक यह उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए आय की तुलना में व्यय की अधिकता के आय एवं व्यय लेखा से संबंधित है।

कृते भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से

हस्ता. /—

(बी.के. सेकर)

महानिदेशक लेखा-परीक्षा (ऊर्जा),

नई दिल्ली

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 17 नवंबर 2020

अनुबंध-1
{पैरा क(vi) में उल्लिखित}

1. आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता	बीईई में आंतरिक लेखा-परीक्षा विंग मौजूद नहीं है। बीईई की आंतरिक लेखा-परीक्षा वेतन एवं लेखा कार्यालय (विद्युत मंत्रालय) द्वारा की जाती है। वित्त वर्ष 2018-19 की आंतरिक लेखा-परीक्षा रिपोर्ट को वर्ष 2019-20 के लिए बीईई की प्रमाणन लेखा-परीक्षा के बाद 08.10.2020 को पीएओ, विद्युत मंत्रालय को भेजा गया था और वित्त वर्ष 2019-20 की आंतरिक लेखा-परीक्षा अभी तक नहीं की गई है।
2. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता	आंतरिक नियंत्रण प्रणाली इकाई के आकार के अनुरूप है। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो दिन-प्रतिदिन के कामकाज के लिए ऊर्जा प्रबंधन केंद्र के उप-नियमों का पालन कर रहा है। बीईई को 'जीएफआर नियमों के अनुपालन में राज्य नामित एजेंसियों (एसडीए) को सुदृढ़ करना' के तहत संबंधित राज्यों द्वारा समय पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना सुनिश्चित करने के लिए निगरानी प्रणाली को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है।
3. अचल परिसंपत्तियों के सत्यापन की प्रणाली	वित्त वर्ष 2018-19 और वित्त वर्ष 2019-20 के लिए अचल परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन बीईई की चार सदस्यीय समिति द्वारा किया गया है। वित्त वर्ष 2018-19 और वित्तीय वर्ष 2019-20 की अचल परिसंपत्तियों की भौतिक सत्यापन रिपोर्ट को वर्ष 2019-20 की बीईई की प्रमाणन लेखा-परीक्षा के बाद अंतिम रूप दिया गया था। सम्मेलन कक्ष और पश्चिम ब्लॉक के नवीनीकरण और नवीनीकरण कार्य के दौरान खरीदी गई 36.05 लाख रुपए की अचल परिसंपत्ति को 'अचल परिसंपत्तियों के रजिस्टर' में दर्ज नहीं किया गया है और इसलिए तुलन-पत्र में अचल परिसंपत्ति में शामिल नहीं किया गया है।
4. मांग-सूची के भौतिक सत्यापन की प्रणाली	मांग-सूची की भौतिक सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई।
5. उन पर लागू सांविधिक बकाया के भुगतान में नियमितता।	आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार, बीईई की आय को आयकर से छूट प्राप्त है। अन्य देयताओं का समय पर भुगतान किया जाता है।
6. लेखापरीक्षा के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए महत्वपूर्ण जोखिम	कोई महत्वपूर्ण जोखिम नहीं है।
7. वर्ष के दौरान चोरी, दुर्विनियोजन, धोखाधड़ी और गबन के कारण नकदी या सरकारी संपत्ति के नुकसान का विवरण	प्रबंधन ने प्रमाणित किया है कि वर्ष 2019-20 के दौरान ऐसा कोई मामला दर्ज नहीं किया गया था।

महानिदेशक लेखा-परीक्षा (ऊर्जा)

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई), नई दिल्ली के वार्षिक लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट

क. लेखा पर टिप्पणियाँ

1. तुलन-पत्र

निर्धारित/बंदोबस्ती निधियां (अनुसूची-9) से निवेश – 547.45 करोड़ रुपए

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (लेखा और अभिलेखों के वार्षिक विवरण का प्रपत्र) नियम 2007 (विद्युत मंत्रालय द्वारा दिनांक 28 फरवरी, 2007 को जारी अधिसूचना) के अनुसार, निर्धारित/बंदोबस्ती निधियों के रूप में बैंक में जमा शेष राशि को अनुसूची 11-वर्तमान परिसंपत्तियों, ऋण, अग्रिम आदि में अलग से दर्शाया जाना चाहिए।

लेखा-परीक्षा ने पाया कि उपर्युक्त में विजया बैंक में सावधि जमा 45.00 करोड़ रुपए की राशि (एक वर्ष की अवधि के लिए) और विभिन्न योजनाओं के लिए विजया बैंक के बचत और स्वीप खातों जैसे कि कॉर्पस फंड, पीआरजीएफईई, वीसीएफईई, एसएंडएल शुल्क आदि में जमा 452.45 करोड़ रुपए की राशि शामिल है, जिसे निर्धारित निधियों के सामने 'अनुसूचित बैंकों सहित बैंक खातों' के तहत दिखाया जाना चाहिए था।

इसके परिणामस्वरूप 'निर्धारित निधियों से निवेश' (अनुसूची 9) में निधियां बढ़ा कर लिखी गई हैं और 'वर्तमान परिसंपत्तियों, ऋण, अग्रिम आदि (अनुसूची 11) में निधियां प्रत्येक में २4७7.45 करोड़ कम करके लिखी गई हैं।

उत्तर

कृपया अधिसूचित सामान्य प्रपत्र में अनुसूचियों के लिए टिप्पणियां और निर्देश देखें। अनुसूची-9 के सामने – निर्धारित/बंदोबस्ती निधियों से निवेश में, यह उल्लेख किया जाता है कि सभी अवशिष्ट निवेश अनुसूची-9 में दिखाए जाने हैं। बीईई को भारत सरकार से प्राप्त यह 45.00 करोड़ रुपए एनएमईईई अधिकारियों के स्थापना व्यय को पूरा करने के लिए बीईई कार्पस की वृद्धि के लिए हैं। तदनुसार, अनुसूची-9 में भी वही दिखाया गया है। इसके अलावा, यह भी सूचित किया जाता है कि अनुसूची-9 में दिखाए गए सभी आंकड़े बीईई के आय एवं व्यय लेखा का हिस्सा नहीं हैं, जबकि, यह सीधे तुलन-पत्र में दर्शाए गए हैं।

तथापि, यदि लेखापरीक्षा यह कहती है कि यह राशि अनुसूची-9 की बजाय अनुसूची-11 में दर्शाई जानी है – तो इसे अगले वर्ष से इसमें दर्शाया जा सकता है।

ख. सहायता अनुदान

239.19 करोड़ रुपए के सहायता अनुदान में से (इसमें पिछले वर्ष की खर्च न की गई 40.46 करोड़ रुपए, वर्ष के दौरान प्राप्त 198.67 करोड़ रुपए और 2.06 करोड़ रुपए का अर्जित ब्याज शामिल है) बीईई वर्ष के दौरान 121.70

करोड़ रुपए का ही उपयोग कर सका, जिससे 31 मार्च, 2020 को खर्च न की गई 117.49 करोड़ रुपए की राशि बच गई है।

उत्तर

31 मार्च, 2020 को 117.49 करोड़ रुपए की राशि खर्च नहीं की जा सकी थी। प्रतिबद्ध देनदारियों के कारण इसका उपयोग 2020-21 के दौरान किया जा रहा है। वर्ष 2019-20 के दौरान अर्जित 2.06 करोड़ रुपए के ब्याज को बीईई के दिनांक 25 अगस्त, 2020 के पत्र सं.01/205/लेखा/2011 द्वारा

अनुबंध-।

1. आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता	बीईई में आंतरिक लेखा-परीक्षा विंग मौजूद नहीं है। बीईई की आंतरिक लेखा-परीक्षा वेतन एवं लेखा कार्यालय (विद्युत मंत्रालय) द्वारा की जाती है। वित्त वर्ष 2018-19 की आंतरिक लेखा-परीक्षा रिपोर्ट को वर्ष 2019-20 के लिए बीईई की प्रमाणन लेखा-परीक्षा के बाद 08.10.2020 को पीएओ, विद्युत मंत्रालय को भेजा गया था और वित्त वर्ष 2019-20 की आंतरिक लेखा-परीक्षा अभी तक नहीं की गई है।	उत्तर: चूंकि बीईई की आय का स्रोत सरकारी अनुदान है, इसलिए बीईई की आंतरिक लेखा-परीक्षा वेतन और लेखा कार्यालय (विद्युत मंत्रालय) द्वारा की जाती है। वर्ष 2018-19 के लिए आंतरिक लेखा-परीक्षा रिपोर्ट पहले ही 8/10/2020 को पीएओ, विद्युत मंत्रालय को भेज दी गई है। वर्ष 2019-20 के लिए आंतरिक लेखापरीक्षा अभी तक पीएओ, विद्युत मंत्रालय द्वारा प्रारंभ नहीं की गई है।
2. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता	आंतरिक नियंत्रण प्रणाली इकाई के आकार के अनुरूप है। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो दिन-प्रतिदिन के कामकाज के लिए ऊर्जा प्रबंधन केंद्र के उप-नियमों का पालन कर रहा है। बीईई को 'जीएफआर नियमों के अनुपालन में राज्य नामित एजेंसियों (एसडीए) को सुदृढ़ करना' के तहत संबंधित राज्यों द्वारा समय पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना सुनिश्चित करने के लिए निगरानी प्रणाली को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है।	उत्तर: भावी अनुपालन के लिए नोट की गई।
3. अचल परिसंपत्तियों के सत्यापन की प्रणाली	वित्त वर्ष 2018-19 और वित्त वर्ष 2019-20 के लिए अचल परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन बीईई की चार सदस्यीय समिति द्वारा किया गया है। वित्त वर्ष 2018-19 और वित्तीय वर्ष 2019-20 की अचल परिसंपत्तियों की भौतिक सत्यापन रिपोर्ट	उत्तर: वित्त वर्ष 2018-19 और वित्त वर्ष 2019-20 के लिए अचल परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन बीईई की चार सदस्यीय समिति द्वारा किया गया है।



	<p>को वर्ष 2019-20 की बीईई की प्रमाणन लेखा-परीक्षा के बाद अंतिम रूप दिया गया था। सम्मेलन कक्ष और पश्चिम ब्लॉक के नवीनीकरण और नवीनीकरण कार्य के दौरान खरीदी गई 38.05 लाख रुपए की अचल परिसंपत्ति को 'अचल परिसंपत्तियों के रजिस्टर' में दर्ज नहीं किया गया है और इसलिए तुलन-पत्र में अचल परिसंपत्ति में शामिल नहीं किया गया है।</p>	<p>समिति की रिपोर्ट को सीएजी लेखा-परीक्षा दल को दिखाया गया है जो वर्ष 2019-20 के लिए बीईई कार्यालय में लेनदेन लेखा-परीक्षा के लिए आई थी। जैसा कि उचित रूप से इंगित किया गया है आवश्यक सुधार इसी के अनुरूप किए जाएंगे और अगली लेखा-परीक्षा के दौरान इसे दिखाया जाएगा।</p>
4. मांग-सूची के भौतिक सत्यापन की प्रणाली	<p>मांग-सूची की भौतिक सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई।</p>	<p>उत्तर: मांग-सूची का प्रत्येक वर्ष की समाप्ति पर एक समिति द्वारा भौतिक रूप से सत्यापन किया जाता है।</p>
5. उन पर लागू सांविधिक बकाया के भुगतान में नियमितता।	<p>आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार, बीईई की आय को आयकर से छूट प्राप्त है। अन्य देयताओं का समय पर भुगतान किया जाता है।</p>	—
6. लेखापरीक्षा के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए महत्वपूर्ण जोखिम	<p>कोई महत्वपूर्ण जोखिम नहीं है।</p>	—
7. वर्ष के दौरान चोरी, दुर्विनियोजन, धोखाधड़ी और गबन के कारण नकदी या सरकारी संपत्ति के नुकसान का विवरण	<p>प्रबंधन ने प्रमाणित किया है कि वर्ष 2019-20 के दौरान ऐसा कोई मामला दर्ज नहीं किया गया था।</p>	—

वित्तीय विवरणों के प्रपत्र (गैर-लाभ संगठन)
इकाई का नाम ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

31 मार्च, 2020 को तुलन-पत्र

(राशि-₹ में)

कॉर्पस निधि और देयताएं	अनुसूची	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
ऊर्जा संरक्षण निधि	1	6,40,44,38,229	5,21,90,74,498
आरक्षित और अधिशेष	2	-	7,778
निर्धारित/बंदोबस्ती निधि	3	1,22,12,66,584	48,00,63,593
सुरक्षित ऋण और उधार	4	-	-
असुरक्षित ऋण और उधार	5	-	-
आस्थगित ऋण देयताएं	6	-	-
वर्तमान देयताएँ और प्रावधान	7	18,20,99,872	14,09,74,874
कुल		7,80,78,04,685	5,84,01,20,743
परिसंपत्तियां			
अचल परिसंपत्तियां	8	1,39,49,716	1,55,96,517
निवेश – निर्धारित/बंदोबस्ती निधियां	9	5,47,45,13,528	4,33,70,91,906
निवेशक – अन्य	10	-	-
वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि	11	2,31,93,41,441	1,48,74,32,320
विविध व्यय (बट्टे खाते नहीं डाले गए या समायोजित न किए गए की सीमा तक)			
कुल		7,80,78,04,685	5,84,01,20,743
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	24		
आकस्मिक देयताएं और लेखा टिप्पणियां	25		

दिनांक: 24 जून, 2020

स्थान: नई दिल्ली

राकेश कुमार गुप्ता
वित्त एवं लेखा अधिकारी

राकेश कुमार राय
सचिव

अभय बाकरे
महानिदेशक



**वित्तीय विवरणों का प्रपत्र (गैर-लाभ संगठन)
इकाई का नाम ऊर्जा दक्षता ब्यूरो**

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखा

	अनुसूची	वर्तमान वर्ष	(एच-ए के) पिछला वर्ष
आय			
सेवाओं से आय	12	-	-
अनुदान/राजसहायता	13	-	-
शुल्क/अंशदान	14	4,30,32,476	4,47,50,627
निवेश से आय (निधियों से अंतरित निर्धारित/बंदोबस्ती निधियों से निवेश पर आय)	15	6,98,21,773	5,71,16,296
रॉयल्टी, प्रकाशन आदि से आय	16	-	-
अर्जित ब्याज (निवल)	17	8,04,64,146	5,09,85,079
अन्य आय	18	10,26,583	12,21,198
तैयार माल के स्टॉक में वृद्धि/(कमी) और कार्य में प्रगति	19	-	-
कुल (क)		17,43,34,978	16,40,73,198
व्यय			
स्थापना व्यय	20	7,80,16,334	6,64,52,757
अन्य प्रशासनिक व्यय आदि	21	2,21,61,367	1,98,90,667
अन्य प्रशासनिक व्यय आदि (पूर्व अवधि)	21	4,26,720	10,61,428
अन्य व्यय (परियोजना व्यय)	21	4,05,23,745	2,60,30,191
अनुदान, सस्मिडी आदि पर व्यय	22	-	-
ब्याज	23	-	-
गुल्यस्त	8	13,65,098	15,32,613
नियत परिसंपत्तियों की बिक्री पर हानि	8	4,09,846	30,262
कुल (ख)		14,29,05,110	11,69,97,938
व्यय की तुलना में आय की अधिकता के कारण बकाया (क-ख)		3,14,29,868	3,70,75,260
विशेष रिजर्व में स्थानांतरण		-	-
सामान्य रिजर्व से/के लिए स्थानांतरण		-	-
कॉर्पोस फंड में अग्रणीत अधिशेष/(घाटे) के कारण बकाया		3,14,29,868	3,70,75,260
गहत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	24		
आकस्मिक, देयताएं और लेखा टिप्पणियां	25		

दिनांक: 24 जून, 2020

स्थान: नई दिल्ली

राकेश कुमार गुप्ता
वित्त एवं लेखा अधिकारी

राकेश कुमार राय
सचिव

अभय बाकरे
महानिदेशक

वित्तीय विवरणों का प्रपत्र (गैर-लाम संगठन) इकाई का नाम ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए प्राप्तियां और भुगतान

प्राप्तियां	विवरण	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष	वर्तमान वर्ष	विवरण	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
I. आवृत्ति योग							
क) शुद्ध में नकदी							
ख) बैंक शेष (अनुसूची-11)							
I. बचत खाते - बैंकिंग	18,04,54,679		12,90,38,129		7,73,86,381		7,01,85,373
II. जमा खाते	69,95,38,887		67,00,98,904		2,25,74,132		2,01,86,554
III. बचत खाते - योजना खाते	40,46,32,334		65,26,44,371		4,28,720		10,61,428
IV. बचत खाता - (पुनर्निवेश खाता)	-		4,71,85,915				
V. बचत खाता - (एनएसडी)	-	1,28,46,25,910	493				66,67,57,698
II. प्राप्त व्यवसाय (अनुसूची-3)							
भारत सरकार से (वित्त व योजना 2017-20)							
श्रीकृष्ण							
I. ऊर्जा संरक्षण नग्न कोष (ईसीसी)	24,99,67,000				62,92,68,553		2,15,39,681
II. राज्य नगरीय एलिसिटी का सुदृढीकरण (एलसीपी)	45,00,00,000				2,20,95,906		2,33,48,382
III. राज्य ऊर्जा संरक्षण कोष (एनईसीएन)	6,00,00,000		10,49,00,000		33,60,57,163		46,87,82,532
IV. नगरीय उपभोग और लघु मध्यम उद्यम (एनएमई)	5,00,00,000				15,00,00,000		15,00,00,000
V. कृषि मांग पर प्रकल्प (एजी डीएसए)	5,00,00,000						
VI. नगरपालिका मांग पर प्रकल्प (एनयू डीएसए)	4,16,00,000						
VII. डिस्कॉम का भारता निर्माण	10,00,00,000						
ईपी							
I. शीर्षक-शीर्षक-अनुसूची-एनएसएनई परियोजना	50,00,000		3,21,00,000				4,00,70,862
ईटी							
I. ऊर्जा संरक्षण जागरूकता	20,00,00,000		10,00,00,000				48,38,349
II. राष्ट्रीय विस्तारित ऊर्जा संचयन	76,00,88,500	1,96,66,55,500	16,49,11,500				
आय (अनुसूची-3)							
I. मानक और लेवेलिंग (एन एड एल)	39,74,29,532	39,74,29,532	15,36,72,086				15,36,72,086
III. निवेश पर आय/अव्यय प्राप्तियां							
क) I. बटोवली निधि (कार्बन-शीट्स) (अनुसूची-15)	4,24,00,001		4,22,83,836		17,09,305		66,64,70,639
II. बटोवली निधि (कार्बन-शीट्स) (अनुसूची-15)	2,13,62,206		42,52,558		3,49,849		20,895
III. पीआरबीएनई (अनुसूची-1)	4,18,35,776		2,22,45,320		39,74,29,532		
IV. बीपीएनई (अनुसूची-1)	2,24,45,755		2,33,66,238				
V. ई-प्रमाणपत्र शुल्क (अनुसूची-1)	1,05,874	12,81,48,712	713				
ख) विस्तारित निवेश							
श्रीकृष्ण							
I. ऊर्जा संरक्षण नग्न कोष (ईसीसी)	10,96,724						11,572
II. राज्य नगरीय एलिसिटी का सुदृढीकरण (एलसीपी)	27,87,135		2,79,866				11,400
III. राज्य ऊर्जा संरक्षण कोष (एनईसीएन)	2,23,775						3,606
IV. राज्य मध्यम उद्यम (एनएमई)	-		5,56,382				6,000
V. कृषि मांग पर प्रकल्प (एजी डीएसए)	3,68,442		7,46,433				
VI. नगरपालिका मांग पर प्रकल्प (एनयू डीएसए)	4,03,749		5,09,963				
VIII. डिस्कॉम का भारता निर्माण	2,70,355		73,50,942				6,76,872
							79,65,000
		3,77,68,00,654	2,15,62,58,146	3,16,62,03,193			2,29,55,89,090
		सी / एफ		सी / एफ			

वित्तीय विवरणों का प्रपत्र (गैर-लाम संगठन)
इकाई का नाम ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

31 मार्च, 2020 को तुलन-पत्र का भाग बनने वाली अनुसूचियाँ

अनुसूची 1 और 2

(राशि ₹ में)

अनुसूची 1 – ऊर्जा संरक्षण निधि	वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष	
1. कॉर्पस फंड				
अग्नेनीत आदिशेष				
वर्ष की शुरुआत (बीईई) के रूप में शेष	50,00,00,000		50,00,00,000	
कॉर्पस फंड में योगदान (कॉर्पस निधि का संवर्धन)	31,49,11,500		15,00,00,000	
	81,49,11,500		65,00,00,000	
जोड़े वर्ष के दौरान कॉर्पस फंड के लिए योगदान (कॉर्पस फंड का विस्तार)	13,50,88,500		16,49,11,500	
अग्नेनीत अंतिम शेष				
वर्ष की शुरुआत में बकाया (बीईई)	50,00,00,000		50,00,00,000	
कॉर्पस फंड में योगदान (कॉर्पस फंड का संवर्धन)	45,00,00,000	95,00,00,000	31,49,11,500	81,49,11,500
2. मानक और लेबलिंग शुल्क (एस एंड एल)				
अग्नेनीत प्रारंभिक शेष	2,78,56,36,722		2,27,63,43,077	
घटा: वर्ष के दौरान योजना में अंतरित निधि	39,74,41,650		15,36,72,086	
जमा: वर्ष के दौरान जमा	55,56,06,568		48,73,85,463	
जमा: वर्ष के दौरान ब्याज	20,83,10,012	3,15,21,11,652	17,55,80,268	2,78,56,36,722
3. भवन लेबलिंग शुल्क				
अग्नेनीत प्रारंभिक शेष	45,00,000		27,00,000	
जमा: वर्ष के दौरान जमा	9,00,000	54,00,000	18,00,000	45,00,000
4. पीआरजीएफईई				
अग्नेनीत प्रारंभिक शेष	41,23,12,428		1,05,65,32,747	
घटा: वर्ष के दौरान व्यय	17,09,305		66,64,70,639	
जमा: वर्ष के दौरान जमा	58,91,42,082		5,000	
जमा: वर्ष के दौरान ब्याज	4,18,35,776	1,04,15,80,981	2,22,45,320	41,23,12,428
5. वीसीएफईई				
अग्नेनीत प्रारंभिक शेष	46,57,48,319		44,23,99,937	
घटा: वर्ष के दौरान व्यय	3,49,849		20,856	
जमा: वर्ष के दौरान ब्याज	2,24,45,755	48,78,44,225	2,33,69,238	46,57,48,319
6. ई-प्रमाणपत्र व्यापार शुल्क				
अग्नेनीत प्रारंभिक शेष	62,40,958		62,40,245	
जमा: वर्ष के दौरान जमा	1,05,974	63,46,932	713	62,40,958
7. व्यय की तुलना में आय की अधिकता का प्रारंभिक शेष	72,97,24,571		69,26,49,311	
जमा: आय एवं व्यय लेखा से अंतरित निवल आय का शेष	3,14,29,868	76,11,54,439	3,70,75,260	72,97,24,571
वर्ष की समाप्ति पर शेष		6,40,44,38,229		5,21,90,74,498

अनुसूची 2 – रिजर्व और अधिशेष:	वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष	
1. पूंजीगत रिजर्व: [अनुदान-प्रकार (यूएसएआईडी)] – (बीईई)				
पिछले खाते के अनुसार	7,778		9,150	
घटा: वर्ष के दौरान संपत्ति की बिक्री	50		-	
घटा: वर्ष के दौरान परिसंपत्तियों की बिक्री पर हानि	7,728		-	
घटा: अनुदान के तहत परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास	-		1,372	7,778
2. पुनर्मुल्यांकन रिजर्व:				
पिछले खाते के अनुसार	-		-	
वर्ष के दौरान जमा	-		-	
घटा: वर्ष के दौरान कटौती	-		-	
3. विशेष रिजर्व:				
पिछले खाते के अनुसार	-		-	
वर्ष के दौरान जमा	-		-	
घटा: वर्ष के दौरान कटौती	-		-	
4. सामान्य रिजर्व:				
पिछले खाते के अनुसार	-		-	
वर्ष के दौरान जमा	-		-	
घटा: वर्ष के दौरान कटौती	-		-	
कुल				7,778



वित्तीय विवरणों का प्रपत्र (गैर-लाभ संगठन)
इकाई का नाम कृषि दक्षता ब्यूरो

31 मार्च, 2020 को तुलन-पत्र का भाग बनने वाली अनुसूचियां

विवरण	वित्त वर्ष 2020-21						वित्त वर्ष 2019-20						वित्त वर्ष 2018-19						वित्त वर्ष 2017-18						वित्त वर्ष 2016-17					
	प्रारंभिक		अंतिम		परिवर्तन		प्रारंभिक		अंतिम		परिवर्तन		प्रारंभिक		अंतिम		परिवर्तन		प्रारंभिक		अंतिम		परिवर्तन		प्रारंभिक		अंतिम		परिवर्तन	
	₹	₹	₹	₹	₹	₹	₹	₹	₹	₹	₹	₹	₹	₹	₹	₹	₹	₹	₹	₹	₹	₹	₹	₹	₹	₹	₹	₹	₹	
पूंजीगत व्यय	11.10	11.10	-	-	-	-	11.10	11.10	-	-	-	-	11.10	11.10	-	-	-	-	11.10	11.10	-	-	-	-	11.10	11.10	-	-	-	-
पूंजीगत आय	11.10	11.10	-	-	-	-	11.10	11.10	-	-	-	-	11.10	11.10	-	-	-	-	11.10	11.10	-	-	-	-	11.10	11.10	-	-	-	-
कुल	22.20	22.20	-	-	-	-	22.20	22.20	-	-	-	-	22.20	22.20	-	-	-	-	22.20	22.20	-	-	-	-	22.20	22.20	-	-	-	-
वित्त वर्ष 2020-21	11.10	11.10	-	-	-	-	11.10	11.10	-	-	-	-	11.10	11.10	-	-	-	-	11.10	11.10	-	-	-	-	11.10	11.10	-	-	-	-
वित्त वर्ष 2019-20	11.10	11.10	-	-	-	-	11.10	11.10	-	-	-	-	11.10	11.10	-	-	-	-	11.10	11.10	-	-	-	-	11.10	11.10	-	-	-	-
वित्त वर्ष 2018-19	11.10	11.10	-	-	-	-	11.10	11.10	-	-	-	-	11.10	11.10	-	-	-	-	11.10	11.10	-	-	-	-	11.10	11.10	-	-	-	-
वित्त वर्ष 2017-18	11.10	11.10	-	-	-	-	11.10	11.10	-	-	-	-	11.10	11.10	-	-	-	-	11.10	11.10	-	-	-	-	11.10	11.10	-	-	-	-
वित्त वर्ष 2016-17	11.10	11.10	-	-	-	-	11.10	11.10	-	-	-	-	11.10	11.10	-	-	-	-	11.10	11.10	-	-	-	-	11.10	11.10	-	-	-	-

वित्तीय विवरणों का प्रपत्र (गैर-लाम संगठन)
इकाई का नाम ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

31 मार्च, 2020 को तुलन-पत्र का भाग बनने वाली अनुसूचियां

(राशि ₹ में)

अनुसूची 3

अनुसूची 3 - निधियां (अन्य)	यूएनडीपी-जीईएफ-बीईई वाणिज्यिक भवनों के लिए परियोजना		यूनिटो-जीईएफ-बीईई परियोजना		मानक और लेबलिंग कार्यक्रम		कुल	
	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
क. नकद में अनुदान	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) निधियों का प्रारंभिक शेष	-	493	6,34,61,934	7,79,83,248	-	-	6,34,61,934	7,79,83,741
ब) निधियों में जमा	-	-	-	-	-	-	-	-
i. दान/अनुदान	-	83	-	-	39,74,29,532	15,36,72,086	39,74,29,532	15,36,72,086
ii. निधियों के लिए गए निवेश से आय/बचत ब्याज	-	-	-	-	-	-	-	83
iii. अन्य जमा/दर अंतर	-	-	-	29,07,673	-	-	-	29,07,673
कुल (क+ख)	-	576	6,34,61,934	8,08,90,921	39,74,29,532	15,36,72,086	46,08,91,466	23,45,63,583
ग) निधियों के उपदेश्यों के लिए उपयोग/व्यय	-	-	-	-	-	-	-	-
i. पूंजीगत व्यय	-	-	1,03,890	64,049	-	30,43,252	1,03,890	31,07,301
- अचल परिसंपत्तियां	-	-	-	-	35,29,904	7,48,149	35,29,904	7,48,149
- जांच परीक्षण उपकरण (हाथ में स्टॉक)	-	-	1,03,890	64,049	35,29,904	37,91,401	36,33,794	38,55,450
कुल	-	-	1,03,890	64,049	35,29,904	37,91,401	36,33,794	38,55,450
ii. राजस्व व्यय	-	-	95,33,007	68,71,710	1,11,54,891	64,15,831	2,06,87,898	1,32,87,541
- वेतन, मजदूरी और भत्ते आदि	-	-	2,22,55,007	1,04,93,228	38,27,44,737	14,34,64,854	40,49,99,744	15,39,58,082
- अन्य प्रशासनिक व्यय (मूल्यांकन)	-	576	-	-	-	-	-	576
- रिफंड/अंतरित की गई राशि	-	576	3,17,88,014	1,73,64,938	39,38,99,628	14,98,80,885	42,56,87,642	16,72,46,199
कुल (ग)	-	576	3,18,91,904	1,74,28,987	39,74,29,532	15,36,72,086	42,93,21,436	17,11,01,649
आय एवं व्यय लेखा में अंतरित राशि	-	-	3,15,70,030	6,34,61,934	-	-	3,15,70,030	6,34,61,934
ब) निधियों के अंत में निचला शेष (क)	-	-	60,917	37,478	88,25,547	18,01,839	88,86,464	18,39,317
ख. नकद में अनुदान	-	-	-	-	-	-	-	-
ब) निधियों का प्रारंभिक शेष	-	-	-	-	-	-	-	-
i. दान/अनुदान (ब्याज की आय से लिया गया लेपटॉप)	-	-	-	-	-	-	-	-
ii. निधियों के लिए गए निवेश से आय	-	-	1,03,890	64,049	-	-	1,03,890	31,07,301
iii. अन्य जमा/दर अंतर	-	-	-	-	-	-	-	1,51,452
iv. 12वीं योजना से अंतरित परिसंपत्तियां	-	-	-	-	-	-	-	35,50,833
v. 12वीं योजना से अंतरित जांच परीक्षण उपकरण (हाथ में स्टॉक)	-	-	-	-	35,29,904	7,48,149	35,29,904	7,48,149
vi. जांच परीक्षण उपकरण (हाथ में स्टॉक)	-	-	1,64,807	1,01,527	1,23,55,451	92,95,525	1,25,20,258	93,97,052
कुल योग (क+ख)	-	-	1,64,807	1,01,527	1,23,55,451	92,95,525	1,25,20,258	93,97,052
ग) निधियों के उपदेश्यों के लिए उपयोग/व्यय	-	-	-	-	-	-	-	-
i. पूंजीगत व्यय	-	-	-	-	-	-	-	-
- अचल परिसंपत्तियां	-	-	-	-	-	-	-	-
- जांच परीक्षण उपकरण की किंमतें/हाति	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल	-	-	-	-	-	-	-	-
ii. राजस्व व्यय	-	-	-	-	-	-	-	-
- वेतन, मजदूरी और भत्ते आदि	-	-	45,144	40,610	6,57,270	4,69,978	7,02,414	5,10,588
- अन्य प्रशासनिक व्यय (मूल्यांकन)	-	-	45,144	40,610	6,57,270	4,69,978	7,02,414	5,10,588
कुल (ग)	-	-	45,144	40,610	6,57,270	4,69,978	7,02,414	5,10,588
ब) निधियों के अंत में निचला शेष (ख)	-	-	1,19,663	60,917	1,16,98,181	88,25,547	1,18,17,844	88,86,464
कुल योग (क+ख)	-	-	3,16,89,693	6,35,22,851	1,16,98,181	88,25,547	4,33,87,874	7,23,48,398
							Schedule-3	1,17,78,78,710
							Others	40,77,15,195
							Total	4,33,87,874
								7,23,48,398
								48,00,63,593



**वित्तीय विवरणों का प्रपत्र (गैर-लाभ संगठन)
इकाई का नाम ऊर्जा दक्षता ब्यूरो**

31 मार्च, 2020 को तुलन-पत्र का भाग बनने वाली अनुसूचियां

अनुसूची 4

(राशि ₹ में)

अनुसूची 4 – सुरक्षित ऋण और उधार	वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष	
1. केंद्र सरकार		-		-
2. राज्य सरकार		-		-
3. वित्तीय संस्थान				
क) सापेक्ष ऋण	-		-	
ख) अर्जित और देय ब्याज	-	-	-	-
4. बैंक:				
क) सापेक्ष ऋण	-		-	
- अर्जित और देय ब्याज	-		-	
ख) अन्य ऋण	-		-	
- अर्जित और देय ब्याज	-	-	-	-
5. अन्य संस्थान और एजेंसियां		-		-
6. डिबेंचर और बॉन्ड		-		-
7. अन्य		-		-
कुल		-		-

वित्तीय विवरणों का प्रपत्र (गैर-लाभ संगठन)
इकाई का नाम ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

31 मार्च, 2020 को तुलन-पत्र का भाग बनने वाली अनुसूचियां

अनुसूची 5 और 6

(राशि ₹ में)

अनुसूची 5 – असुरक्षित ऋण और उधार	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
1. केंद्र सरकार	-	-
2. राज्य सरकार	-	-
3. वित्तीय संस्थान	-	-
4. बैंक:		
क) सावधि ऋण	-	-
ख) अन्य ऋण	-	-
5. अन्य संस्थान और एजेंसियां	-	-
6. डिबेंचर और बॉन्डे	-	-
7. सावधि जमा	-	-
8. अन्य	-	-
कुल	-	-
अनुसूची 6 – आस्थगित ऋण देयताएं	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
क) पूंजीगत उपकरण और अन्य परिसंपत्तियों को गिरवी रखकर प्राप्त स्वीकृति	-	-
ख) अन्य	-	-
कुल	-	-



**वित्तीय विवरणों का प्रपत्र (गैर-लाभ संगठन)
इकाई का नाम ऊर्जा दक्षता ब्यूरो**

31 मार्च, 2020 को तुलन-पत्र का माग बनने वाली अनुसूचियां

अनुसूची 7

(राशि ₹ में)

अनुसूची 7 - वर्तमान देयताएं और प्राप्तियां	वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष	
क. वर्तमान देयताएं				
विक्रि जेनरटर				
विक्रि जेनरटर (अनल)		1,20,21,504		18,08,345
बचत बचत जमा		1,03,38,220		88,01,005
प्रतिभूति कम्प राशि		1,86,88,314		1,00,35,218
प्रतिभूति कम्प (मानक और जेबल)				
प्रतिभूति कम्प (मानक और जेबल) - (एयरकंडिशनिंग)	1,28,00,000		1,12,25,000	
प्रतिभूति कम्प (मानक और जेबल) - (प्रकाश)	26,50,000		26,50,000	
प्रतिभूति कम्प (मानक और जेबल) - (प्रशीतन)	94,50,000		76,25,000	
प्रतिभूति कम्प (मानक और जेबल) - (ट्रांसफॉर्मर)	2,32,25,500		2,23,25,500	
प्रतिभूति कम्प (मानक और जेबल) - (बालास्ट)	2,25,000		2,25,000	
प्रतिभूति कम्प (मानक और जेबल) - (एलईडी बॉल)	89,75,000		83,50,000	
प्रतिभूति कम्प (मानक और जेबल) - (कंप्यूटर)	14,28,000		12,78,000	
प्रतिभूति कम्प (मानक और जेबल) - (सीटीवी)	83,00,000		71,50,000	
प्रतिभूति कम्प (मानक और जेबल) - (कैमिरी सेट)	3,75,000		2,00,000	
प्रतिभूति कम्प (मानक और जेबल) - (गैस चूल्हा)	20,30,000		20,80,000	
प्रतिभूति कम्प (मानक और जेबल) - (गैलन)	2,25,000		2,25,000	
प्रतिभूति कम्प (मानक और जेबल) - (इनवर्टर - एसीएन)	1,08,000		1,08,000	
प्रतिभूति कम्प (मानक और जेबल) - (इनवर्टर)	1,00,000		1,00,000	
प्रतिभूति कम्प (मानक और जेबल) - (एलईडी बॉल)	59,50,000		50,50,000	
प्रतिभूति कम्प (मानक और जेबल) - (एलईडी गैस)	4,50,000		4,75,000	
प्रतिभूति कम्प (मानक और जेबल) - (एडवोकेट ओवन)	6,00,000		-	
प्रतिभूति कम्प (मानक और जेबल) - (फ्रेज)	11,75,000		11,75,000	
प्रतिभूति कम्प (मानक और जेबल) - (अर्वालय स्वचालन क्लाइम)	1,00,000		1,00,000	
प्रतिभूति कम्प (मानक और जेबल) - (पंप)	1,38,25,000		1,38,25,000	
प्रतिभूति कम्प (मानक और जेबल) - (एनेमोमीटर पंप)	2,25,000		2,25,000	
प्रतिभूति कम्प (मानक और जेबल) - (ओपन वेल् हाइड्रॉलिक पंप सेट)	6,50,000		5,75,000	
प्रतिभूति कम्प (मानक और जेबल) - (सममॉडल पंप सेट)	15,75,000		14,50,000	
प्रतिभूति कम्प (मानक और जेबल) - (भॉसिंग मशीन)	19,75,000		3,00,000	
प्रतिभूति कम्प (मानक और जेबल) - (वॉटर हीटर)	2,00,75,000		1,85,75,000	
प्रतिभूति कम्प (मानक और जेबल) - (बिजली)	8,25,000	11,83,13,500	3,25,000	10,58,13,500
मुल्क और कर एवं		82,38,330		8,73,873
अन्य वर्तमान देयताएं		1,86,03,004		1,59,46,135
कुल (क)		16,28,99,872		14,09,74,874
ख. प्राप्तियां				
1. कटौत के लिए		-		-
2. उभयपक्ष		-		-
3. अधिवर्षिता/पेंशन (प्रतिनिवृत्त व्यक्ति के लिए अग्रकाल वेतन/पेंशन अंशदान) केल और लेखा अधिकायी, नैल मंत्रालय लेखा अधिकायी (रीकड) टीईसी		-		-
4. राशि अग्रकाल नकदीकरण		-		-
5. व्यापार नापटियों/घावे		-		-
कुल (ख)		-		-
घुस (क+ख)		16,28,99,872		14,09,74,874

वित्तीय विवरणों का प्रपत्र (गैर-लाभ संगठन)
इकाई का नाम ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

31 मार्च, 2020 को तुलन-पत्र का भाग बनने वाली अनुसूचियां

(राशि ₹ में)

अनुसूची 8

क्र. सं.	अनुसूची 8 - अचल परिसंपत्तियां विवरण	मूल्य हास की दर	सकल ब्लॉक			मूल्य हास ब्लॉक			निवल ब्लॉक			
			01/04/19 को	वर्ष के दौरान परिवर्धन	विक्री	समायोजन	31/03/20 को	वर्ष के लिए	विक्री	समायोजन	31/03/20 को	31/03/19 को
ऊर्जा दक्षता ब्यूरो												
(क) मूर्त परिसंपत्तियां												
1	भूमि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	भवन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	फर्नीचर तथा फिक्सचर	10%	1,50,62,587	2,10,316	9,42,784	1,43,30,119	92,81,703	5,34,232	6,40,377	91,75,558	51,54,561	57,80,884
4	कार्यालय उपकरण	15%	1,01,03,979	2,55,873	7,25,975	96,33,877	76,46,029	3,61,969	5,91,092	74,16,906	22,16,971	24,57,950
5	वाहन	15%	28,07,424	-	-	28,07,424	21,02,372	96,263	-	21,98,635	6,08,789	7,05,052
6	कंप्यूटर	40%	2,30,52,543	4,27,499	48,47,712	1,86,32,330	2,24,59,863	3,50,104	48,09,391	1,80,00,576	6,31,754	5,92,680
(ख) अमूर्त परिसंपत्तियां												
1	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	40%	2,89,17,163	-	16,63,800	2,72,53,363	2,88,59,915	22,530	16,63,223	2,72,19,222	34,141	57,248
कुल			7,99,43,886	8,93,688	81,80,271	7,26,57,113	7,03,49,882	13,65,098	77,04,083	6,40,10,897	86,46,216	95,93,814
वस्तु अनुदान के तहत परिसंपत्तियां												
(क) मूर्त परिसंपत्तियां												
1	भूमि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	भवन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	फर्नीचर तथा फिक्सचर	10%	5,00,845	2,21,252	-	7,22,097	1,62,266	44,921	-	2,07,187	5,14,910	3,38,579
4	कार्यालय उपकरण	15%	1,02,09,345	-	1,34,500	1,00,74,845	63,02,676	5,83,462	1,25,350	67,60,788	33,14,057	39,06,669
5	वाहन	15%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	कंप्यूटर	40%	97,43,044	5,76,050	17,22,180	85,96,914	89,33,522	4,63,868	17,06,417	76,90,973	9,05,941	8,09,522
(ख) अमूर्त परिसंपत्तियां												
1	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	40%	1,12,33,006	-	4,09,828	1,08,23,178	1,02,85,073	3,78,872	4,09,359	1,02,54,586	5,68,592	9,47,933
कुल			3,16,86,240	7,97,502	22,66,508	3,02,17,094	2,56,83,537	14,71,123	22,41,126	2,49,13,534	53,03,500	60,02,703
कुल योग			11,16,29,936	16,90,990	1,04,46,779	10,28,74,147	9,60,33,419	28,36,221	99,45,209	8,89,24,431	1,39,49,716	1,55,96,517
पिछला वर्ष			10,78,60,191	41,60,030	3,90,285	11,16,29,936	9,34,03,925	29,29,960	3,00,466	9,60,33,419	1,55,96,517	1,44,56,266



**वित्तीय विवरणों का प्रपत्र (गैर-लाभ संगठन)
इकाई का नाम ऊर्जा दक्षता ब्यूरो**

31 मार्च, 2020 को तुलन-पत्र का भाग बनने वाली अनुसूचियां

अनुसूची 8 और 10

(रुपि ₹ में)

अनुसूची 9 – निवृत्त/बंदोस्ती निधियों से निवेत		वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
1. सरकारी प्रतिभूतियों में		-	-
2. अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियां		-	-
3. शेयर		-	-
4. कॉर्पोरेट फंड			
i. एनटीपीसी के बांड (20 वर्ष)	50,00,00,000		50,00,00,000
ii. विजया बैंक – एफडीआर (कॉर्पोरेट फंड की वृद्धि)	45,00,00,000	95,00,00,000	30,00,00,000
5. सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यम		-	-
6. अन्य			
विजया बैंक – पीआरजीएफडीई	1,04,15,80,981		41,23,12,428
विजया बैंक – वीसीएफडीई	48,78,44,225		48,57,48,319
विजया बैंक – एस एंड एल शुल्क	2,99,50,88,322	4,52,45,13,528	2,65,90,31,159
कुल		5,47,45,13,528	4,33,70,91,906

(रुपि ₹ में)

अनुसूची 10 – निवेत – अन्य		वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
1. सरकारी प्रतिभूतियों में		-	-
2. अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियां		-	-
3. शेयर		-	-
4. डिबेंचर और बॉन्ड		-	-
5. सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यम		-	-
6. अन्य		-	-
कुल		-	-

वित्तीय विवरणों का प्रपत्र (गैर-लाभ संगठन)
इकाई का नाम ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

31 मार्च, 2020 को तुलन-पत्र का भाग बनने वाली अनुसूचियां

अनुसूची 11

(राशि ₹ में)

अनुसूची 11 – वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि	वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष	
क. वर्तमान परिसंपत्तियां:				
i. हाथ में नकद		2,430		-
ii. बैंक खाते				
क) अनुसूचित बैंकों में				
– अनुसूचित बैंकों में एफडीआर (विजया बैंक)	76,65,70,803		69,95,38,897	
– बचत खातों पर				
बीईई (विजया बैंक सेविंग एंड स्वीप खाता – बीईई)	9,46,98,186		16,73,58,355	
बीईई (विजया बैंक सेविंग एंड स्वीप खाता – योजना स्कीम)	1,18,29,61,713		40,46,32,334	
बीईई (विजया बैंक सेविंग – परीक्षा)	3,05,05,627		1,26,56,673	
बीईई (आईओबी, चेन्नई)	2,02,205		23,699	
बीईई (आईओबी, दिल्ली)	31,726	2,07,49,70,260	4,15,952	1,28,46,25,910
iii. हाथ में डाक टिकट		12,566		17,661
iv. जाँच परीक्षण उपकरण (एस एंडएल परियोजना)		95,04,304		59,74,400
कुल (11क)		2,08,44,89,560		1,29,06,17,971



**वित्तीय विवरणों का प्रपत्र (गैर-लाभ संगठन)
इकाई का नाम ऊर्जा दक्षता ब्यूरो**

31 मार्च, 2020 को तुलन-पत्र का भाग बनने वाली अनुसूचियां

अनुसूची 11

(राशि ₹ में)

अनुसूची 11 - सर्वमान परिवर्तित, नए, अधिन भावि	वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष	
क. अग्रिम अतिरिक्त अन्य परिवर्तित:				
I. अन्य अतिरिक्त				
केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान, बंगलूर	8,78,872		8,78,872	
कॉन्क्रीट भारत इंटरनेशनल	10,00,000		-	
सीएससीआई	80,000		-	
राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद, चेन्नई	-		87,16,000	
जॉइंट वर्ल्ड एंजली इंवेस्टिमेंट्स प्रा. लिमिटेड	-		3,88,400	
ए. एन. एन. ए. ए. ए.	-		18,00,000	
एनपीएन	10,00,000	27,26,872	-	1,10,80,272
II. एनपीएन अतिरिक्त				
अभिलेख प्राप्त	-		1,528	
डेवीड सुगार	1,17,628		-	
बीएमएल	1,200		-	
राष्ट्रीय विद्युती	-		2,500	
एनपीएन गौप्य	2,500	1,21,328	-	4,028
III. अन्य अतिरिक्त (अतिरिक्त अतिरिक्त)				
गैर-जॉइंट एंड कंपनी लिमिटेड (ट्रिब्यून एजेंसी)	2,00,000		2,00,000	
राष्ट्रीय एनपीएन ब्यूरो (बीआईएनए - एनपीएन अतिरिक्त अतिरिक्त)	10,000		10,000	
इंडिया इंजिनेट सेंटर (एनपीएन अतिरिक्त अतिरिक्त)	1,80,000		1,80,000	
एनपीएनएन (बीआईएनए) एनपीएन	21,000		21,000	
एनपीएनएन (एनपीएन एनपीएन) एनपीएन	10,000		10,000	
अतिरिक्त अतिरिक्त (एनपीएन एनपीएन) एनपीएन	6,000	3,97,000	6,000	3,97,000
IV. एनपीएन अतिरिक्त				
एनपीएन/एनपीएन एनपीएन				
I. एनपीएन	5,33,85,417		4,37,86,588	
II. एनपीएन	2,08,54,888		1,45,95,320	
III. एनपीएन	15,89,39,850	29,09,79,953	12,85,21,815	18,49,03,703
V. एनपीएन अतिरिक्त				
एनपीएन				
एनपीएन			11,637	
एनपीएन			11,672	
इंडिया इंजिनेट सेंटर			11,400	
इंडिया इंजिनेट सेंटर	10,600		6,926	
एनपीएन			1,16,164	
एनपीएन			3,608	
एनपीएन	1,00,540		1,00,540	
एनपीएन	354		201	
एनपीएन	6,000	1,17,394	6,000	2,87,946
एनपीएन				
एनपीएन			88	
एनपीएन	600		600	
एनपीएन	1,000		1,000	
एनपीएन	89,470		89,470	
एनपीएन	2,000		2,000	
एनपीएन	18,200		18,200	
एनपीएन	2,000		2,000	
एनपीएन	610	83,680	610	83,748
VI. एनपीएन अतिरिक्त				
एनपीएन	3,79,154		4,917	
एनपीएन	13,661		46,798	
एनपीएन	-		16,172	
एनपीएन	1,168		-	
एनपीएन	19,241		-	
एनपीएन	11,689		9,128	
एनपीएन	843	4,26,854	843	77,854
कुल (11क)		23,48,61,881		19,88,14,349
कुल (11क+ 11ख)		2,31,93,41,441		1,48,74,32,329

वित्तीय विवरणों का प्रपत्र (गैर-लाभ संगठन)
इकाई का नाम ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय का भाग बनने वाली अनुसूचियां

अनुसूची 12 और 13

(राशि ₹ में)

अनुसूची 12 – बिक्री/सेवाओं से आय	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
1) बिक्री से आय		
क) तैयार माल की बिक्री	-	-
ख) कच्चे माल की बिक्री	-	-
ग) कबाड़ की बिक्री	-	-
2) सेवाओं से आय		
क) श्रम और प्रोसेसिंग शुल्क	-	-
ख) पेशेवर/परामर्श सेवाएं	-	-
ग) एजेंसी कमीशन और ब्रोकरेज	-	-
घ) रखरखाव सेवाएं (उपकरण/संपत्ति)	-	-
ड.) अन्य	-	-
कुल	-	-

(राशि ₹ में)

अनुसूची 13 – अनुदान/राजसहायता	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
(अपरिवर्तनीय अनुदान और प्राप्त राजसहायता)		
1. केंद्र सरकार	-	-
2. राज्य सरकार	-	-
3. सरकारी एजेंसियां	-	-
4. संस्थान/कल्याण निकाय	-	-
5. अंतर्राष्ट्रीय संगठन	-	-
कुल	-	-



**वित्तीय विवरणों का प्रपत्र (गैर-लाभ संगठन)
इकाई का नाम ऊर्जा दक्षता ब्यूरो**

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय का भाग बनने वाली अनुसूचियां

अनुसूची 14 और 15

(रुपि ₹ में)

अनुसूची 14 – शुल्क/अंशदान	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
1. प्रवेश शुल्क	-	-
2. वार्षिक शुल्क (राष्ट्र स्तरीय प्रमाणन परीक्षा-2018/19वीं परीक्षा)	-	4,39,24,127
वार्षिक शुल्क (राष्ट्र स्तरीय प्रमाणन परीक्षा-2018/20वीं परीक्षा)	4,29,07,476	-
3. ऊर्जा लेखा परीक्षक प्रत्यायन शुल्क	1,25,000	8,26,500
कुल	4,30,32,476	4,47,50,627

(रुपि ₹ में)

अनुसूची 15 – निवेश से आय	निर्धारित निधि से निवेश		निवेश – अन्य	
	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
निर्धारित/बंदोबस्ती निधि से निवेश पर आय				
1. ब्याज				
क) सरकारी प्रतिभूतियों पर	-	-	-	-
ख) अन्य बैंक (एनटीपीसी – कॉर्पोरेट फंड)	4,24,00,001	4,24,00,000	-	-
ग) एफडीआर (विजय बैंक – कॉर्पोरेट फंड)	2,74,21,772	1,47,18,286	-	-
2. लाभांश				
क) शेयरों पर	-	-	-	-
ख) म्यूचुअल फंड प्रतिभूतियों पर	-	-	-	-
3. किराया	-	-	-	-
4. अन्य -	-	-	-	-
कुल	6,98,21,773	5,71,18,286	-	-

वित्तीय विवरणों का प्रपत्र (गैर-लाभ संगठन)
इकाई का नाम ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय का भाग बनने वाली अनुसूचियां

अनुसूची 16 और 17

(राशि ₹ में)

अनुसूची 16 – रॉयल्टी, प्रकाशन आदि से आय	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
1. प्रवेश शुल्क	-	-
क) रॉयल्टी से आय	-	-
कुल	-	-

(राशि ₹ में)

अनुसूची 17 – अर्जित ब्याज	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
1. सावधि जमा पर:		
क) अनुसूचित बैंकों में		
ब्याज आय – विजय बैंक (बीईई – खाता- 01)	5,86,02,657	4,91,67,146
ब्याज आय – विजय बैंक (परीक्षा – खाता – 06)	16,86,315	15,71,268
ख) गैर-अनुसूचित बैंकों में	-	-
ग) संस्थानों में	-	-
घ) अन्य	-	-
2. बचत खातों पर:		
क) अनुसूचित बैंकों में		
प्राप्त ब्याज – आईओबी बैंक, चेन्नई	2,777	1,697
प्राप्त ब्याज – आईओबी बैंक, दिल्ली	15,791	8,347
प्राप्त ब्याज – विजय बैंक, दिल्ली	1,24,101	2,23,217
प्राप्त ब्याज – विजय बैंक, दिल्ली (परीक्षा)	22,505	13,404
ख) गैर-अनुसूचित बैंकों में	-	-
ग) डाकघर बचत खाता	-	-
घ) अन्य	-	-
3. ऋण पर:		
क) कर्मचारी / स्टॉफ	-	-
ख) अन्य	-	-
4. देनदार और अन्य प्राप्तियों पर ब्याज	-	-
5. अनुदान निधि पर ब्याज	-	-
कुल	6,04,54,146	5,09,85,079



**वित्तीय विवरणों का प्रपत्र (गैर-लाभ संगठन)
इकाई का नाम ऊर्जा दक्षता ब्यूरो**

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय का भाग बनने वाली अनुसूचियां

अनुसूची 18, 19 और 20

(राशि ₹ में)

अनुसूची 18 – अन्य आय	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
1. परिसंपत्तियों की बिक्री/निपटान पर लाभ:		
क) स्वामित्व वाली परिसंपत्तियां	-	-
ख) अनुदान से या निशुल्क अर्जित परिसंपत्तियां	50	-
2. विविध रसीदें	10,26,633	12,21,196
3. अन्य (बढ़ते खाते में ढाला गया विविध शेष)	-	-
कुल	10,26,683	12,21,196

(राशि ₹ में)

अनुसूची 19 – तैयार वस्तुओं के स्टॉक में वृद्धि/कमी और चल रहा कार्य	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
क) धंध स्टॉक		
- तैयार माल	-	-
- कार्य प्रगति पर	-	-
ख) घटा: प्रारंभिक स्टॉक	-	-
- तैयार माल	-	-
- कार्य प्रगति पर	-	-
निवल वृद्धि/कमी (क-ख)	-	-

(राशि ₹ में)

अनुसूची 20 – स्थापना खर्च	वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष	
	(आई एंड ई)	(आर एंड पी)	(आई एंड ई)	(आर एंड पी)
क) वेतन और मजदूरी	5,88,39,459	5,81,93,419	5,38,91,841	5,43,83,738
ख) भत्ते और बोनस	29,48,172	30,76,300	23,96,792	23,96,792
ग) ईपीएफ शुल्क	87,87,084	87,19,459	77,83,838	76,88,583
घ) अन्य (अवकाश वेतन)	3,54,397	3,54,397	5,13,678	9,68,830
ङ) अन्य (पेंशन योगदान)	7,80,189	7,80,189	10,22,701	19,06,837
च) कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति और अंतिम लाभ पर व्यय (उपदान)	37,28,541	37,28,541	6,48,035	6,48,035
छ) कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति और अंतिम लाभ पर व्यय (अवकाश नकदीकरण)	7,22,585	7,22,585	12,73,784	12,73,784
ज) कर्मचारी कल्याण व्यय	17,45,907	17,81,491	9,42,288	9,40,874
कुल	7,80,16,334	7,73,68,381	6,84,82,767	7,91,88,373

वित्तीय विवरणों का प्रपत्र (गैर-लाभ संगठन)
इकाई का नाम ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय का भाग बनने वाली अनुसूचियां

अनुसूची 21

(राशि ₹ में)

अनुसूची 21 – अन्य प्रशासनिक खर्च आदि	वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष	
	(आई एंड ई)	(आर एंड पी)	(आई एंड ई)	(आर एंड पी)
क) मरम्मत और रखरखाव	1,16,77,351	1,20,45,114	15,42,735	15,15,794
ख) वाहन चलाना और रखरखाव	10,88,375	8,03,458	11,79,059	15,06,227
ग) डाक, टेलीफोन और संचार शुल्क	4,82,993	4,96,581	9,76,337	9,67,111
घ) मुद्रण और लेखन सामग्री	14,35,526	14,44,046	11,93,344	18,22,848
ङ.) यात्रा और वाहन खर्च	33,44,224	29,90,130	45,20,598	44,58,989
च) कार्यशाला, संगोष्ठी और प्रशिक्षण कार्यक्रम पर व्यय	9,26,196	9,75,454	6,56,094	6,61,526
छ) लेखा परीक्षक पारिश्रमिक	2,90,880	-	2,12,100	2,55,300
ज) विधि और व्यावसायिक शुल्क	11,05,520	15,04,590	4,45,520	2,49,720
झ) विज्ञापन और प्रचार	55,045	55,045	44,460	44,460
ञ) आईपीईईसी में अंशदान	-	-	65,27,544	65,27,544
ट) आईईए (सीईएम) में अंशदान	6,18,849	2,30,449	3,94,388	7,82,788
ठ) कार्यालय रखरखाव	11,36,320	20,29,177	21,98,417	13,74,176
ड) बैंक प्रभार	88	88	71	71
कुल (क)	2,21,61,367	2,25,74,132	1,98,90,667	2,01,66,554

(राशि ₹ में)

अनुसूची 21 – पूर्व अवधि व्यय	वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष	
	(आई एंड ई)	(आर एंड पी)	(आई एंड ई)	(आर एंड पी)
क) लेखा-परीक्षा शुल्क	-	-	1,73,340	1,73,340
ख) बैठक का खर्च	-	-	6,198	6,198
ग) कार्यालय रखरखाव	3,61,990	3,61,990	7,28,730	7,28,730
घ) व्यावसायिक प्रभार	-	-	66,245	66,245
ङ.) मरम्मत और रखरखाव	4,000	4,000	9,440	9,440
च) कर्मचारी कल्याण	8,970	8,970	-	-
छ) सदस्यता व्यय	30,525	30,525	1,866	1,866
ज) टेलीफोन व्यय	23,235	23,235	29,468	29,468
झ) वाहन चलाना और रखरखाव	-	-	46,141	46,141
कुल (ख)	4,28,720	4,28,720	10,61,428	10,61,428



**वित्तीय विवरणों का प्रपत्र (गैर-लाभ संगठन)
इकाई का नाम ऊर्जा दक्षता ब्यूरो**

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय का भाग बनने वाली अनुसूचियां

(पक्षि र में)

अनुसूची 21 – अन्य प्रशासनिक खर्च आदि	वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष	
	(आई एंड ई)	(आर एंड पी)	(आई एंड ई)	(आर एंड पी)
परियोजना व्यय – (बीईई)				
राष्ट्रीय स्तर की प्रमाणन परीक्षा	4,03,67,435	3,14,88,225	2,58,83,446	2,80,72,873
ऊर्जा सेवा परीक्षक प्रत्यायन	1,58,310	1,58,310	46,745	98,534
	4,05,23,745	3,18,24,535	2,80,30,191	2,81,71,407
अनुदान-सहायता परियोजनाएं (विद्युत मंत्रालय)				
बीईई				
ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता (ईसीबीसी)	-	8,39,02,536	-	7,23,92,248
राज्य नामित एजेंसियां (एसडीए)	-	43,95,18,312	-	11,20,71,176
राज्य ऊर्जा संरक्षण कोष (एसईसीएफ)	-	4,00,00,000	-	-
मानव संसाधन विकास (एमआरडी)	-	-	-	1,20,74,400
कृषि और नगरपालिका मांग प्लान प्रबंधन (एजीडीएसएम)	-	5,19,46,602	-	98,58,087
नगरपालिका मांग प्लान प्रबंधन (एनयूडीएसएम)	-	4,03,24,624	-	30,54,568
लघु मध्यम उद्यम (एसएमई)	-	1,47,95,545	-	1,00,28,758
मिस्कीम का क्षमता निर्माण	-	4,70,46,965	-	5,90,03,573
ईसी				
ऊर्जा संरक्षण जागरूकता (जागरूकता अभियान)	-	11,81,34,137	-	6,63,12,959
राष्ट्रीय विस्तारित ऊर्जा दक्षता मिशन (एनएमईईई)	-	17,85,57,898	-	11,35,48,928
सुपर दक्ष संपकरण कार्यक्रम (एसईईपी)	-	10,73,281	-	1,81,720
ईएपी				
बीईई-जीईएफ-उच्चव्यती-परियोजना	-	2,40,98,786	-	1,43,47,834
	-	1,04,23,98,488	-	47,28,75,229
परियोजना व्यय – (अन्य)				
यूपनबीपी परियोजना	-	-	-	66,128
युनिस्को परियोजना	-	2,96,74,730	-	1,77,15,325
मानक और लेबलिंग (एस एंड एल)	-	39,37,43,804	-	14,89,39,809
	-	42,34,18,534	-	16,77,11,282
कुल (ग)	4,05,23,745	1,49,74,41,555	2,80,30,191	88,67,57,898
कुल (क+ख+ग)	8,31,13,832	1,82,04,44,407	4,69,52,286	68,79,85,888

वित्तीय विवरणों का प्रपत्र (गैर-लाभ संगठन)
इकाई का नाम ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय का भाग बनने वाली अनुसूचियाँ

अनुसूची 22 और 23

((राशि ₹ में)

अनुसूची 22 – अनुदान, राजसहायता आदि पर व्यय	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
क) संस्थानों/संगठनों को दिया गया अनुदान	-	-
ख) संस्थानों/संगठनों को दी जाने वाली राजसहायता	-	-
कुल	-	-

((राशि ₹ में)

अनुसूची 23 – ब्याज	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
क) नियत ऋण पर	-	-
ख) अन्य ऋणों पर (बैंक प्रभार सहित)	-	-
ग) अन्य	-	-
कुल	-	-

वित्तीय विवरणों का प्रपत्र (गैर-लाभ संगठन)

इकाई का नाम ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए लेखों का भाग बनने वाली अनुसूचियां

अनुसूची 24 – महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

1) लेखांकन परंपराएं

क. वित्तीय विवरणों को ऐतिहासिक लागत परंपरा के तहत और लेखांकन की प्रोद्भूत पद्धति पर तैयार किया जाता है, जब तक कि अन्यथा निर्दिष्ट न किया जाए।

ख. स्थायी कर्मचारियों के वेतन और भत्तों के खर्च को नकद आधार पर बुक किया जाता है।

2) मांग सूची

मांग सूची का मूल्यांकन लागत पर किया जाता है।

3) निवेश

निवेश लागत पर किया जाता है।

4) अचल परिसंपत्तियां

क. अचल संपत्तियों को अधिग्रहण की लागत पर दर्ज किया जाता है जिसमें आवक माल ढुलाई, शुल्क और कर और अधिग्रहण से संबंधित आकस्मिक और प्रत्यक्ष खर्च शामिल होते हैं।

ख. गैर-मौद्रिक अनुदान (कॉर्पोस फंड के अलावा) के माध्यम से प्राप्त अचल परिसंपत्तियों को वर्णित मूल्य पर पूंजीगत रिजर्व में जमा दर्शाते हुए पूंजीकृत किया जाता है।

ग. वस्तु के रूप में अनुदान वाली अचल परिसंपत्तियों पर वर्ष के दौरान ऐसी परिसंपत्तियों के लिए निर्दिष्ट मूल्यहास घटाया जाता है और इसे वस्तु अनुदान हेतु पूंजी रिजर्व में से घटाया जाता है।

5) मूल्य हास

क. अचल परिसंपत्तियों पर मूल्यहास की गणना अप्रयोज्य वस्तुओं को छोड़कर आयकर अधिनियम, 1981 में निर्दिष्ट दर के अनुसार लिखित मूल्य पर की जाती है।

ख. वर्ष के दौरान अचल परिसंपत्तियों में वृद्धि/कमी के संबंध में, आनुपातिक आधार पर निम्न प्रकार से मूल्यहास पर विचार किया जाता है:

180 दिनों तक अर्जित/उपयोग में लाई जाने वाली संपत्तियां = छह महीने के लिए मूल्यहास

180 दिनों से अधिक अर्जित/उपयोग में लाई जाने वाली संपत्तियां = पूरे वर्ष के लिए मूल्यहास

- ग. ₹5,000 /— या उससे कम लागत वाली परिसंपत्तियों का पूर्ण मूल्यहास किया जाता है।
- घ. मूल्यहास को अचल परिसंपत्तियों और अचल परिसंपत्ति वस्तु अनुदान में अलग-अलग किया गया है।
- ड. अप्रयोज्य परिसंपत्तियों पर मूल्यहास प्रदान नहीं किया गया है।

6) अनुदानों और राजस्व के लिए लेखांकन

मानक एवं लेबलिंग योजना के अंतर्गत प्राप्त लेबलिंग शुल्क सहित अनुदानों और राजस्व का लेखांकन ब्याज आय को छोड़कर प्राप्ति आधार पर किया जाता है।

7) सरकार और अन्य अनुदान/राजसहायता

- क. परियोजनाओं की स्थापना की पूंजी लागत के प्रति योगदान के रूप में सरकारी अनुदानों को पूंजी रिजर्व माना जाता है।
- ख. अचल परिसंपत्तियों के रूप में प्राप्त वस्तु अनुदान को ऐसी परिसंपत्तियों पर निर्दिष्ट निवल मूल्यहास सहित पूंजी रिजर्व में दर्शाया जाता है।
- ग. सरकारी एवं अन्य अनुदानों/सब्सिडी का लेखांकन प्राप्ति आधार पर किया जाता है और केंद्र सरकार से प्राप्त अनुदानों के अंतर्गत आय के रूप में दर्शाया जाता है।
- घ. विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त अनुदानों से विभिन्न योजनाओं के तहत किए गए व्यय को अनुदान जारी करने वाले वर्ष में दर्ज किया जाता है।

8) विदेशी मुद्रा लेनदेन

- क. विदेशी मुद्रा में प्राप्त लेनदेन का लेखांकन लेनदेन की तारीख को प्रचलित विनिमय दर पर किया जाता है।
- ख. चालू परिसंपत्तियों, विदेशी मुद्रा ऋणों और चालू देयताओं को वर्ष के अंत में प्रचलित विनिमय दर पर परिवर्तित किया जाता है और परिणामी लाभ/हानि को, संगत परियोजनाओं के तहत लागत से समायोजित किया जाता है।

9) पट्टा

पट्टा किराया को पट्टे की शर्तों के अनुसार खर्च किया जाता है।

10) सेवानिवृत्ति लाभ

- क. ब्यूरो ने अपने कर्मचारियों की मृत्यु/सेवानिवृत्ति पर देय उपदान के प्रति देयता के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम से ग्रेच्युटी पॉलिसी ली है।
- ख. ब्यूरो ने अपने कर्मचारियों के अवकाश नकदीकरण लाभ के प्रति देयता के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम की अवकाश नकदीकरण लाभ पॉलिसी ली है।

वित्तीय विवरणों का प्रपत्र (गैर-लाम संगठन)

इकाई का नाम ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए लेखों का भाग बनने वाली अनुसूचियां

अनुसूची 25 – लेखाओं पर टिप्पणियां

1) आकस्मिक देयताएं

शून्य

2) वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण और लाम

प्रबंधन की राय में, वर्तमान परिसंपत्तियों, ऋणों एवं अग्रिमों का प्राप्ति मूल्य लेनदेन के सामान्य दौर में, कम से कम तुलन-पत्र में दर्शाई गई कुल राशि के बराबर है।

3) कराधान

ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 की धारा 49 में आय पर कर में छूट का प्रावधान है – “आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) या तत्समय प्रचलित आय, लाम या मुनाफे पर कर से संबंधित किसी भी अन्य अधिनियमन में किसी बात के निहित होते हुए भी –

क) ब्यूरो;

ख) मौजूदा ऊर्जा प्रबंधन केंद्र इसके गठन की तारीख से लेकर ब्यूरो की स्थापना की तारीख तक,

प्राप्त अपनी आय, लाभों या फायदों के संबंध में किसी आयकर या अन्य किसी कर का भुगतान नहीं करेगा”।

उपरोक्त के अनुसार, आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत ब्यूरो की कोई कर योग्य आय नहीं है और, इसलिए आयकर हेतु किसी प्रावधान पर विचार नहीं किया गया है।

4) विदेशी परिवहन लेनदेन

ब्यूरो ने अपने कर्मचारी के विदेशी यात्रा व्यय और परियोजनाओं के लिए तकनीकी शुल्क और परामर्श शुल्क के कारण विदेशी मुद्रा व्यय किया है।

5) सेवानिवृत्ति लाभ

ब्यूरो ने बीईई और एनएमईईई के नियमित कर्मचारी के लिए ₹37,28,541/- का व्यय भारतीय जीवन बीमा को ग्रेच्युटी के आधार पर भुगतान किया है और ₹7,22,585/- अवकाश नकदीकरण लाभों के लिए बुक किया है।

ग्रेच्युटी के प्रीमियम में वृद्धि भारत सरकार की 29 मार्च, 2018 की अधिसूचना सं.1283 द्वारा अधिकतम सीमा को 10.00 लाख रुपए से बढ़ाकर ₹20.00 लाख किए जाने की वजह से है। चूंकि बीईई एलआईसी (एक सरकारी निकाय) के माध्यम से अपने कर्मचारियों के उपदान/छुट्टी नकदीकरण का रखरखाव करता है, एलआईसी बीईई और एनएमईईई के कर्मचारियों का बीमांकित मूल्यांकन करता है। एलआईसी द्वारा जारी किए गए प्रमाण-पत्रों के अनुसार, 31.03.2020 को ग्रेच्युटी फंड और सामूहिक छुट्टी नकदीकरण योजना का बीमांकित मूल्य निम्नानुसार है:-

- i. उपदान निधि – ₹1,29,12,150/- (पिछले वर्ष – ₹83,58,330/-)
 - ii. सामूहिक छुट्टी नकदीकरण योजनाएँ – ₹1,02,25,670/- (पिछले वर्ष – ₹88,48,475/-)
- 6) ब्यूरो ने विभिन्न सरकारी योजनाओं की अप्रयुक्त निधियों के संबंध में बैंक के साथ स्वीप खातों पर ब्याज आय अर्जित की है। इसलिए, अप्रयुक्त निधियों पर मासिक औसत शेष के आधार पर गणना की गई ब्याज आय को संबंधित योजनाओं से प्राप्त ब्याज आय में से जमा किया गया है और उसी को विद्युत मंत्रालय को लौटाया जा रहा है।
 - 7) ब्यूरो ने पीआरजीएफईई के अंतर्गत निर्धारित निधियां (अनुसूची-1) ₹1,04,15,80,981/- (पिछले वर्ष ₹41,23,12,428/-) (वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज सहित) दर्शाई हैं। वर्ष के दौरान वृद्धि आईए (कार्यान्वयन एजेंसी) अर्थात् मैसर्स आरईसीपीडीसीएल द्वारा लौटाई गई निधि के कारण है। वीसीएफईई के तहत शेष राशि रु. 48,78,44,225/- (पिछले वर्ष – ₹ 46,57,48,319/-) है जिसमें वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज शामिल है। इसे विजया बैंक में अलग खातों में जमा किया गया है और अनुसूची-9 में दर्शाया गया है।
 - 8) वर्ष के दौरान ब्यूरो को ईसी अधिनियम की धारा 14 के खंड (क), (ख) और (घ) के तहत मानक और लेबलिंग कार्यक्रम के कार्यान्वयन के माध्यम से ब्याज सहित ₹76,39,16,580/- (अनुसूची-1) की राशि (पिछला वर्ष – ₹66,29,65,731/-) प्राप्त हुई है। ब्यूरो ने एकरूपता बनाए रखने के लिए प्राप्ति के आधार पर मानक और लेबलिंग कार्यक्रम (एसएंडएल) के तहत लेबलिंग शुल्क पर विचार किया।
 - 9) 12वीं योजना के लिए प्रस्तावित मानक और लेबलिंग कार्यक्रम को वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान अनुमोदित किया गया था। ईएफसी बैठक में, यह निर्णय लिया गया कि योजना से संबंधित सभी व्यय योजना अर्थात् 'ऊर्जा संरक्षण कोष' से प्राप्त आय से वहन किया जाएगा। तदनुसार, वर्ष के दौरान योजना के व्यय को पूरा करने के लिए ऊर्जा संरक्षण निधि" (अनुसूची-1) से ₹39.74 करोड़ (पिछले वर्ष – ₹15.37 करोड़) की राशि हस्तांतरित की गई थी।
 - 10) वर्ष 2017-18 के दौरान, पीएटी चक्र-1 के तहत, ई-प्रमाण-पत्र (ऊर्जा बचत प्रमाण-पत्र) ट्रेडिंग की योजना को केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग अधिसूचना सं.एल-1/97/2016 दिनांक 27/5/2016 से शुरू किया गया है। इस योजना के तहत, बीईई योजना के प्रशासक के रूप में कार्य करता है तथा पोसोको रजिस्ट्री के रूप



में कार्य करता है। पोसोको पात्र संस्थाओं से सभी शुल्क और प्रभार एकत्र करेगा और इसके सभी बही खाते रखेगा। पोसोको रजिस्ट्री और प्रशासक के बीच 50:50 के अनुपात में शुल्क और प्रभार साझा करेगा।

- 11) मानक और लेबलिंग कार्यक्रम (एसएंडएल) के तहत ₹95,04,304 /- (पिछले वर्ष ₹59,74,400 /-) की जाँच परीक्षण उपकरणों की राशि को वर्तमान परिसंपत्तियों के रूप में दिखाया गया है, जो अलग-अलग स्थानों पर तृतीय पक्ष (परीक्षण प्रयोगशालाओं) के साथ हैं। ये मांग सूची मानक और लेबलिंग कार्यक्रम अधीन हैं और व्यापार के उद्देश्य के लिए नहीं हैं। 31/3/2020 को जाँच परीक्षण उपकरणों का उत्पाद-वार विवरण निम्नानुसार है:-

I. एयर कंडिशनर	-	₹ 33,06,296 /-
II. छत के पंखे	-	₹ 11,340 /-
III. इंडक्शन कुकटॉप	-	₹ 38,138 /-
IV. इंडक्शन मोटर्स	-	₹ 3,58,882 /-
V. पंप सेट	-	₹ 11,34,274 /-
VI. रेफ्रिजरेटर	-	₹ 26,75,047 /-
VII. टेलीविजन	-	₹ 12,83,273 /-
VIII. ट्यूबलर फ्लोरोसेंट लैंप	-	₹ 82,255 /-
IX. वॉटर हीटर	-	₹ 6,04,999 /-
कुल	-	₹ 95,04,304 /-

- 12) अप्रयोज्य वस्तुओं (डब्ल्यू.डी.वी. - ₹85,883 /-) पर कोई मूल्यहास नहीं लगाया गया है, जो अचल संपत्तियों में शामिल हैं।
- 13) ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) सिडबी के साथ संयुक्त रूप से एक जीईएफ वित्त-पोषित परियोजना (एमएसएमई में ऊर्जा दक्षता का वित्त-पोषण) कर रहा है। परियोजना की कार्यान्वयन एजेंसी विश्व बैंक है। यह परियोजना सितंबर, 2010 में परियोजना की समापन तिथि के साथ 30 दिसंबर, 2014 को शुरू हुई थी। इस परियोजना का पुनर्गठन विश्व बैंक ने दिसंबर, 2014 में किया था। पुनर्गठन की योजना के तहत, परियोजना को 2 वर्षों अर्थात् 30 दिसंबर, 2016 तक के लिए बढ़ा दिया गया था।

नवंबर 2016 में, परियोजना को 4 मई, 2019 तक समय विस्तार के साथ 5.19 मिलियन अमरीकी डॉलर का अतिरिक्त जीईएफ अनुदान प्रदान किया गया है। अतिरिक्त वित्त-पोषण के तहत बीईई के लिए बजट का आवंटन 1.42 मिलियन अमरीकी डॉलर है।

बीईई द्वारा 31 मार्च, 2020 तक ₹13.25 करोड़ की राशि खर्च की गई है। वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान खर्च की गई ₹2.41 करोड़ की राशि इसमें शामिल है।

- 14) बोली प्रोससिंग शुल्क और आरटीआई शुल्क ₹10,26,533/- (पिछला वर्ष - ₹12,21,000/- आरटीआई शुल्क सहित) को अनुसूची-18 - अन्य आय के तहत 'विविध सेवाओं के लिए शुल्क' के रूप में दिखाया गया है।
- 15) ईसी अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (2) के खंड (ढ), (ण) और (त), ईसी अधिनियम की धारा 58 और 8 की उप-धारा (2) के खंड (घ), (ङ.) और (च) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ऊर्जा दक्षता ब्यूरो केंद्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से 2004 से ऊर्जा प्रबंधकों और लेखा परीक्षकों की पहचान करने के लिए परीक्षा आयोजित कर रही है। परीक्षा शुल्क और उस पर किया गया व्यय इस प्रकार है:

1/4/2019 को शेष राशि	—	₹ 30,98,34,574/-
वर्ष के दौरान जमा राशि	—	₹ 4,29,07,476/-
घटा: वर्ष के दौरान व्यय	—	₹ 4,03,67,435/-
31/3/2020 को शेष	—	₹ 31,23,74,615/-


अनुसूची-1 के तहत उपर्युक्त शेष राशि को "व्यय की तुलना में अतिरिक्त आय" में शामिल किया गया है।

- 16) बीईई और एनएमईईई के नियमित कर्मचारियों के मार्च, 2020 के महीने के वेतन और भत्ते का प्रावधान खातों में नहीं किया गया है, क्योंकि यह अगले वर्ष में देय होते हैं।
जनवरी से मार्च, 2020 तक के महंगाई भत्ते का बकाया सरकार द्वारा स्थगित कर दिया गया है।
- 17) कोविड-19 महामारी और उसके बाद हुए लॉकडाउन के कारण, जो भुगतान मार्च, 2020 में जारी किए जाने थे, उनमें विलंब हुआ है। इसलिए, केवल इस वित्तीय वर्ष के दौरान विशेष मामले के रूप में मार्च, 2020 से संबंधित भुगतान के लिए प्रावधान किया गया था।



- 18) पिछले वर्ष के संबंधित आंकड़ों को, जहां भी आवश्यक था, फिर से समूहीकृत /पुनः व्यवस्थित किया गया है।
- 19) अनुसूची 1 से 26 तक, 31 मार्च, 2020 के अनुसार तुलन-पत्र तथा उस तारीख को समाप्त वर्ष हेतु आय एवं व्यय लेखे से संबंधित और उसका अभिन्न अंग हैं।





प्रशासन

- 4.1 शिकायत निवारण
- 4.2 सूचना का अधिकार अधिनियम
- 4.3 अ.जा./अ.ज.जा./ओबीसी का कल्याण
- 4.4 अल्पसंख्यको का कल्याण
- 4.5 राजभाषा का कार्यान्वयन
- 4.6 सतर्कता
- 4.7 दिव्यांगजनों का कल्याण

4.1 शिकायत निवारण

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो में अलग से कोई शिकायत निवारण प्रकोष्ठ नहीं है। बीईई के प्रशासन अनुभाग द्वारा प्राप्त शिकायतों को निपटाया जा रहा है। प्राप्त सभी शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई की गई/उत्तर दिया गया।

4.2 सूचना का अधिकार अधिनियम

वर्ष 2019-20 के दौरान, आरटीआई अधिनियम के तहत बीईई में सूचना मांगने के लिए 107 आवेदन प्राप्त हुए थे और इन सभी का स्वीकार्य समय-सीमा के भीतर उत्तर दिया गया/हस्तांतरित कर दिया गया था।

इसी अवधि के दौरान अपीलीय प्राधिकारियों द्वारा 09 अपीलें भी प्राप्त की गईं, जिन्हें भी स्वीकार्य समय-सीमा के भीतर निपटा दिया गया था।

4.3 अ.जा./अ.ज.जा./ओबीसी का कल्याण

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो में अ.जा./अ.ज.जा./ओबीसी का प्रतिनिधित्व नीचे दिए गए प्रोफार्मा में दर्शाया गया है:-

समूह	31.03.2020 को कुल कर्मचारी	प्रतिनिधित्व					
		अनुसूचित जाति	अनुसूचित जाति %	अनुसूचित जनजाति	अनुसूचित जनजाति %	अन्य पिछड़ा वर्ग	अन्य पिछड़ा वर्ग
क	14	02	14.28%	—	—	—	—
ख	08	—	—	—	—	—	—
ग	01	—	—	—	—	—	—
कुल	23	02	8.69%	—	—	—	—

4.4 अल्पसंख्यकों का कल्याण

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को नीचे प्रोफार्मा में दर्शाया गया है:-

समूह	31.03.2020 को कुल कर्मचारी	अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व	अल्पसंख्यकों का प्रतिशत
क	14	01	7.14%
ख	08	—	—
ग	01	—	—
कुल	23	01	4.34%

4.5 राजभाषा का कार्यान्वयन

सरकारी कार्यों में हिंदी के प्रगामी प्रयोग के बारे में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो में हर वर्ष सितंबर के महीने में हिंदी पखवाड़ा मनाया जाता है। वर्ष के दौरान, राजभाषा अधिनियम के अंतर्गत नियमों के अनुसार अधिकारियों/कर्मचारियों को अपना अधिक से अधिक कार्य हिंदी में करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु विभिन्न हिंदी प्रतियोगिताओं और हिंदी कार्यशालाओं आदि का आयोजन किया गया।

बीईई में हिंदी पखवाड़ा 12-26 सितंबर 2019 के दौरान आयोजित किया गया था। पखवाड़े के दौरान, सात प्रतियोगिताओं, अर्थात् निबंध प्रतियोगिता, टिप्पण और आलेखन प्रतियोगिता, अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए श्रुतलेख, चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिए हिंदी श्रुतलेख प्रतियोगिता और राजभाषा हिंदी के उपयोग के संबंध में सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता, हिंदी कविता पाठ और ऊर्जा दक्षता पर स्लोगन, प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिताओं के विजेताओं को आठ पुरस्कार अर्थात् प्रथम पुरस्कार, द्वितीय पुरस्कार, तृतीय पुरस्कार और पाँच सात्वना पुरस्कार दिए गए। महानिदेशक (बीईई) द्वारा हिंदी पखवाड़ा के समापन समारोह में प्रमाण-पत्र और पुरस्कार दिए गए।

19 जून, 2019, 30 सितंबर, 2019 और 5 मार्च, 2020 को प्रत्येक दो घंटे के लिए हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन किया गया जिसमें क्रमशः 16, 22 और 24 प्रतिभागियों ने भाग लिया। विशेषज्ञ अतिथि वक्ताओं ने न केवल अपने विचारों और ज्ञान को साझा किया, बल्कि प्रतिभागियों द्वारा सामना की जा रही समस्याओं को भी हल करने में भी मदद की, ताकि वे राजभाषा अधिनियम की आवश्यकता के अनुसार हिंदी में दिन-प्रतिदिन के सरकारी काम कर सकें। इन कार्यशालाओं में भाग लेने से सरकारी कार्यों में हिंदी के उपयोग को बढ़ाने में काफी मदद मिली है। इन कार्यशालाओं में भाग लेने के बाद कर्मचारियों ने फाइलों में हिंदी में यूनिकोड के माध्यम से टाइप करके टिप्पणियां लिखना शुरू कर दिया है। हिंदी में 'क' और 'ख' क्षेत्रों में भेजे गए पत्रों की संख्या प्रत्येक तिमाही में बढ़ रही है। इसके अलावा, हिंदी के उत्तरोत्तर उपयोग की समीक्षा के लिए महानिदेशक (बीईई) की अध्यक्षता में तिमाही बैठकें नियमित रूप से आयोजित की गईं।

4.6 सतर्कता

वर्ष 2019-20 के दौरान, कोई बड़ी शिकायत नहीं मिली और कोई अनुशासनात्मक मामला शुरू नहीं हुआ।

4.7 दिव्यांगजनों का कल्याण

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो में दिव्यांग कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व नीचे दिए गए प्रारूप में दर्शाया गया है:-

समूह	31.03.2020 को कुल कर्मचारी	शारीरिक रूप से विकलांग कर्मचारी				शारीरिक रूप से विकलांग कर्मचारियों का प्रतिशत
		वीएच	एचएच	ओएच	कुल	
क	14	—	—	01	01	7.14%
ख	08	—	—	01	01	12.5%
ग	01	—	—	—	—	—
कुल	23	—	—	02	02	8.69%



ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

(विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार)

वीणा टोल, सेवा भवन, आर.के. पुरम्, नई दिल्ली-110068

फोन: +91-11-26766700, फैक्स: +91-11-26178328/52

वेबसाइट: www.beeindia.gov.in